खण्ड-183, अंक-7
बुधवार, 18 वैशाख, शक संवत् 1879
(8 मई, 1957 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 183 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५७

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, ८ मई, १९५७

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अधिष्ठाता, श्री द्वारकाप्रसाद मित्तल के सभापतित्व में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य (३८८)

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अल्लाह बख्श, श्री शेख
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अशफाक अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आदिराम सिंघल, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
इन्द्रभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उदयशंकर, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलेशचन्द्र, श्री उपनाम कमले
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
उपनाम छुन्नन गुरु
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
कृपाशंकर, श्री
खजानसिंह, चौधरी
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री

गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दनारायण तिवारी, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह बिष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
गौरीशंकर, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजी लाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जंगबहादुरसिंह बिष्ट, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणबक्तसिंह, श्री
जगदीशशरण अग्रवाल, श्री
जगन्नाथ, चौधरी
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमुनासिंह, श्री (बदायूं)
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह बिष्ट, श्री
जरग्राम हैदर, श्री सैयद
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम, चौधरी
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दुर्योधन, श्री
दुलारादेवी, श्रीमती
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवदत्तसिंह, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमार देव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री

नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह, चौधरी
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारी लाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रजभूषणशरण, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भीखालाल, श्री
भुवनेशभूषण शर्मा, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंगलाप्रसाद, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, कुंवर (मेरठ)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुज़फ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मूलचन्द, श्री
मुहम्मद इब्राहीम, श्री हाफिज
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
उपनाम लाल साहब
रघुवीर राम, श्री

रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामगोपाल गुप्त, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण, श्री
रामलखन, श्री (जौनपुर)
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान, वैद्य
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूमसिंह, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीनारायण बंसल, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लायकसिंह, चौधरी
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथ सिंह, श्री
वजरंगविहारी लाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
वृजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री

शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खन लाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरकेशबहादुर, श्री
हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेव, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, ८ मई, १९५७

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

रायल होटल, लखनऊ में विधायकों के लिये कमरे

**१—श्री शिवगोपाल तिवारी (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि रायल होटल में कितने विधायकों को कमरे दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)—विधायक निवास ४ (पुराना रायल होटल) में २३ विधायकों को कमरे दिये गये हैं ।

मथुरा तथा कोसी कलां की मंडियों में गुड़ का भाव गिरना

**२—श्री रामहेतसिंह (जिला मथुरा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत महीनों में मथुरा तथा कोसी कलां की मंडियों में गुड़ का भाव १० रुपया मन से कम रहा है ?

सहकारिता उप मंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---जी हां, सरकार को यह पता है कि पिछले तीन महीनों में गुड़ के दाम कोसी और मथुरा की मंडियों में १० रु० से नीचे रहे।

**३---श्री रामहेतसिंह---यदि हां, तो गुड़ १० रुपया मन से ऊंचा बिक सके, इसके लिये सरकार की क्या योजना है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---गुड़ के दाम १० रु० या १० रु० से ऊंचे रहें, इसकी योजना सरकार के विचाराधीन है ।

श्री रामहेतसिंह---क्या यह सही है कि सरकार ने पहले यह आश्वासन दिया था और ऐलान भी किया था कि १० रुपये मन से कम में गुड़ नहीं बिकेगा और अगर बिकेगा तो सरकार १० रुपये मन में खरीदेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---ऐसा कोई स्पष्ट एलान तो नहीं हुआ था कि १० रुपये से कम होने पर सरकार खरीदेगी ।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी अपने पुराने वायदों को ध्यान में रखते हुये, जो पुरानी सरकार थी, उसके वायदों को भी अपने ही वायदे मानते हैं ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह प्रश्न तो नहीं उठता है । सरकार नयी या पुरानी नहीं होती है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गुड़ के भाव गिरने का एक कारण यह भी है कि सीजन के दौरान में गुड़ का मूवमेंट सही तरीके से नहीं हो पाता है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह भी एक कारण हो सकता है ।

श्री रामहेतसिंह---क्या यह सही है कि सरकार के आश्वासन के ऊपर ही गत वर्ष मंडियों में १० रुपये मन गेहूं और १० रुपये मन गुड़ सरकार ने खरीदा ?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)---अधिष्ठाता महोदय, इसकी सूरत यह है कि जिस वक्त सरकार को महसूस होता है कि किसी बहुत जरूरी कमोडिटी या इस तरह की चीज का निर्ख घटता जा रहा है तो प्राइस सपोर्ट स्कीम सरकार चलाती है और वह मुख्तलिफ तरीकों से होता है । बहरहाल, गुड़ के सिलसिले में बड़ी दिक्कत यह है कि उसे स्टाक करने में बहुत काफी नुकसान होता है । चूंकि सीजनल वैरियेशन की वजह से गुड़ की हालत बदलती रहती है, इसमें बहुत ज्यादा सरकार को नुक्सान उठाना पड़ता है, इसलिये प्राइस सपोर्ट स्कीम गुड़ के लिये आसानी से नहीं चल सकती है । दूसरी मुश्किल उसके लिये मारकेट तलाश करने की है कि उसे कहां बेचा जाय । सरकार ने यह सोचा है कि अगर हो सके तो ज्यादा शुगर फैक्टरियां बनावें या रिफाइनरीज खोली जावें जिनमें गुड़ साफ करके शुगर बनाकर बेची जाय । बहरहाल इन सब बातों पर विचार हो रहा है और अभी कोई फैसला नहीं किया गया है कि किस तरह से गुड़ के निर्ख को इकानामिक रेट से नीचे गिरने से रोका जाय । यह मामला सहल नहीं है ।

तारांकित प्रश्न

*१---श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---[स्थगित किया गया ।]

प्राइमरी स्कूलों में निःशुल्क शिक्षा के सम्बन्ध में आदेश

*२—श्री राजाराम शर्मा (जिला बस्ती)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में सभी प्राइमरी स्कूलों में शिक्षा जुलाई मास से निःशुल्क कर दी जायेगी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री कैलाशप्रकाश)—जुलाई, १९५६ से स्थानीय निकायों के सभी स्कूलों की कक्षा १–३ में तथा उन प्राइवेट स्कूलों की उपरोक्त कक्षाओं में निःशुल्क शिक्षा लागू कर दी गयी है जो विशेष प्रकार (जैसे मांटेसरी, किन्डरगार्टन तथा कानवेन्ट स्कूल) के नथे और जिनमें कक्षा १–२ में १ रु० ४ आ० तथा कक्षा ३ में शिक्षा शुल्क १ रु० ८ आ० से अधिक नहीं लिया जाता था। जुलाई, १९५७ से उक्त योजना को प्राइमरी कक्षा ४ तथा ५ में भी लागू करने का विचार है।

श्री राजाराम शर्मा—यह जो जवाब मिला है उसके अन्त में लिखा हुआ है कि विचार किया जायगा। तो यह विचार पक्का है या कच्चा ?

श्री कैलाशप्रकाश—विचार कच्चे पक्के की व्याख्या तो श्रीमन्, मैं जानता नहीं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह ५ वीं कक्षा तक निःशुल्क शिक्षा देने की हिदायत सरकार की ओर से जारी हो गयी है या नहीं ?

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—ऐलान किया जा चुका है हिदायतें, जो होनी चाहिये, दे दी जायेंगी। शीघ्र ही जो बजट आने वाला है उसमें यह शामिल कर दिया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या सरकार कृपा कर यह बतायेगी कि सरकार ने जो हिदायतें जारी की हैं उनके अनुसार सरकार का कितना व्यय होगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री गेंदासिंह—क्या जिस बजट का जिक्र शिक्षा मंत्री जी ने किया है वह ३० जून से पहले पास हो जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—कब होगा यह तो माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं। वह शायद जुलाई में आयेगा लेकिन उसकी वजह से हिदायत देने में कोई रुकावट न होगी।

शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुबन का अनुदान

*३—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के "शहीद हायर सेकेन्डरी स्कूल, मधुबन" का सरकारी अनुदान कितने समय से बन्द है तथा क्यों ?

श्री कैलाशप्रकाश—अनुदान बन्द नहीं है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह अनुदान किस अधिकारी को दिया जा रहा है ?

श्री कैलाशप्रकाश—यह अनुदान अभी किसी अधिकारी को नहीं दिया जा रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो यह उत्तर दिया गया कि अनुदान बंद नहीं है, तो यह अनुदान किस संस्था को किस प्रकार से प्राप्त हुआ है ?

श्री कैलाशप्रकाश---किसी को अनुदान बंद करने के आदेश नहीं हैं लेकिन चूंकि वहां झगड़ा है इसलिये स्कूल के किसी अधिकारी को अनुदान नहीं दिया गया है । लेकिन जब वहां के शिक्षकों को वेतन नहीं दिया जा सका तो वहां इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के जरिये शिक्षकों को वेतन दे दिया गया ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस हायर सेंकेडरी स्कूल को कितना अनुदान दिया जा रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसका ठीक तो स्मरण मुझे नहीं है, लेकिन वह शायद ३,२०० रुपया है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---इंसपेक्टर आफ स्कूल्स के जरिये शिक्षकों को वेतन देने की परिपाटी कब से जारी की गयी है ?

श्री कैलाशप्रकाश---यह अनुदान सन ५६-५७ का था जो झगड़े के कारण नहीं दिया जा सका है ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स के जरिये से वेतन देने की व्यवस्था कब तक लागू रहेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इसमें मुकदमेबाजी हो रही है । स्कूल की दो मैनेजिंग कमेटीज बनी थीं और उनमें झगड़ा था । एक मैनेजिंग कमेटी और उसके अधिकारी को इंस-पेक्टर आफ स्कूल्स ने स्वीकार किया और दूसरी को अस्वीकार किया । तो दूसरी पार्टी ने हाई कोर्ट में रिट दाखिल किया है । उस पर हाई कोर्ट में फैसला हुआ । हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक इंसपेक्टर आफ स्कूल्स या डारइरेक्टर आफ एजूकेशन को भी यह अधिकार नहीं है कि वे किसी को उसका मैनेजर अथवा किसी को उसका अधिकारी नियुक्त करें । रिट एप्लीकेशन पर फैसला करते हुए उन्होंने यह हुक्म दे दिया कि केवल अनुदान दे सकते हैं और किसको दिया जाय यह तय कर सकते हैं । चूंकि वहां अभी तक झगड़ा है और कोई ऐसा संचालक या अधिकारी हमको दिखलायी नहीं देता । इसलिये अनुदान बन्द रहने की आज्ञा न होते हुए किसी को अनुदान देना सम्भव नहीं हो रहा है । अभी अध्यापकों का वेतन अनुदान न मिलने से रुक गया था तो गवर्नमेंट ने इंस्पेक्टर आफ स्कूल्स को आदेश दे दिया था कि अध्यापकों का अहित न हो, इसलिये उनको दिसम्बर तक का वेतन बांट दिया गया है और अब भी अनुदान की रकम उनके पास मौजूद है । जब यह तय हो जायगा कि कौन वास्तविक अधिकारी है, तो उसको अनुदान दे दिया जायगा ।

*४---श्री रामसुन्दर पांडेय---[स्थानान्तरित किया गया ।]

बलिया जिले में कत्ल तथा डकैतियां

*५---श्री शिवमंगल सिंह (जिला बलिया)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि बलिया जिले में मार्च सन् १९५७ के महीने में कितनी डकैतियां तथा कत्ल हुए हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश---डकैती के ४ मामले हुए जिनमें से १ मामले में ८ आदमी डाकुओं द्वारा मारे गये ।

कत्ल के ३ मामले हुए जिनमें कुल ६ व्यक्ति मारे गये ।

श्री शिवमंगल सिंह---क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि बलिया जिले में बढ़ती हुई डकैतियों और कत्ल को रोकने के लिये सरकार ने क्या ठोस कदम उठाया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ठोस कदम उठाने का सवाल नहीं है, डकैतियां और हत्यायें जहां तक है, उन्हें रोकने का पूरा प्रयत्न सरकार करती रही है और करेगी।

श्री जगन्नाथ लहरी (जिला आगरा)---क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि इन डकैतियों के सम्बन्ध में कितने व्यक्ति अब तक गिरफ्तार किये जा चुके हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---कितने व्यक्ति गिरफ्तार हो चुके हैं यह तो नहीं बतला सकता, लेकिन जितनी डकैतियां हुई हैं उन सभी के सम्बन्ध में गिरफ्तारियां हो चुकी हैं।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार को इस बात का पता है कि वे जो डकैतियां हुई हैं उनमें स्थानीय पुलिस की भी कुछ साजिश थी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मुझको इसका कोई पता नहीं है और न यह बात सच है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या गृह मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इधर डकैतियों और कत्लों की संख्या दरहकीकत बढ़ रही है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---इस प्रश्न का निश्चित उत्तर देने के लिये तो नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन जहां तक मुझे स्मरण है पिछले ३ महीने में उनकी संख्या घटी है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि इन डकैतियों में क्या कोई ऐसी डकैतियां भी हुई हैं कि जिनमें फायर आर्म्स का इस्तेमाल किया गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---२ में।

बलिया जिले के हथोंग गांव में हत्याकाण्ड

*६---श्री शिवमंगल सिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि हथोंग ग्राम, जिला बलिया में २८-२९ मार्च, १९५७ को कितने व्यक्तियों का कत्ल किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश---चार।

श्री शिवमंगल सिंह---क्या माननीय गृह मंत्री को ज्ञात है कि हथोंग ग्राम में जो कत्ल हुआ वह श्री राधिका सिंह नामक प्रसिद्ध डाकू के विरुद्ध गवाही देने के कारण हुआ ? यदि हां, तो क्या सरकार उन परिवारों के लोगों को सहायता देने की कृपा करेगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---यह बात सही है कि राधिका सिंह के खिलाफ गवाही देने की वजह से इस परिवार पर आक्रमण हुआ। जिन लोगों ने गवाही दी थी वे सौभाग्य से बच गये और जिन्होंने गवाही नहीं दी थी वे रात को सोते हुए मारे गये, यह बात सही है। इस मामले की पूरी जांच पड़ताल हो रही है, मामला अदालत में है।

श्री गौरी शंकर राय (जिला बलिया)---कुछ समाचार-पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ था कि इस कत्ल और डकैती में जो व्यक्ति शामिल थे वे राजनीतिक दल से सम्बन्धित हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सत्य है। यदि सत्य है तो वे राजनीतिक व्यक्ति किस दल से संबन्धित हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---ऐसी कोई रिपोर्ट मेरे पास नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिये इस जिले में पर्याप्त पुलिस है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मेरा ख्याल है कि उसका पूरा इंतजाम है ।

मथुरा जिलान्तर्गत कोसी कलां में सामान की निगरानी के लिये चौकी

*७---श्री रामहेत सिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि कोसी कलां नगरपालिका रेलवे फाटक के पास एक चौकी सरकार ने कायम की है, जो इधर-उधर से सामान लाने व ले जाने का निरीक्षण करती है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां । कोसी कलां, जिला मथुरा में इधर उधर से आने व जाने वाले सामान के निरीक्षण के लिये एक चौकी कायम की है ।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि उनके पास स्थानीय कार्यकर्त्ताओं की तरफ से ऐसी शिकायतें आई हैं कि दो दो चार चार रुपये का सामान लाने ले जाने वाले लोगों पर बहुत सख्ती की जाती है और कई कई घंटे उनको बिठाया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश---ऐसी कोई सूचना इस समय उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामहेत सिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न को ही सूचना समझकर इस बात की इंक्वायरी करायेंगे कि वहां दैनिक जीवन से सम्बन्धित वस्तुओं के लाने वाले किसानों को इस तरह से परेशान किया जाता है ?

श्री कैलाशप्रकाश---जी हां, करायेंगे ।

श्री जगन्नाथ लहरी---क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि कार द्वारा जाने वाले व्यक्तियों की तलाशी क्यों नहीं ली जाती है ?

श्री कैलाशप्रकाश---कार वालों और गाड़ी वालों के लिये तलाशी के सम्बन्ध में कोई अलग-अलग नियम नहीं है, नियम सब के लिये एक ही हैं ।

महौली, जिला फैजाबाद में चकबंदी के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---गत ७ मई को ग्राम महौली, थाना रोहनी, जिला फैजाबाद में चकबन्दी योजना के अन्तर्गत बनने वाली चकबन्दी समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में होने वाले संघर्ष के फलस्वरूप एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी जिससे आस-पास के गांवों में काफी आतंक छा गया है और परिस्थिति गम्भीर हो गई है ।

अतः इस गम्भीर परिस्थिति पर जनहित की दृष्टि से विचार करने के लिए सदन आज का अपना कार्य स्थगित करता है ।

यह कामरोको प्रस्ताव श्री नन्दराम गुप्त ने भेजा है । जहां तक इस कामरोको प्रस्ताव का सम्बन्ध है यह प्राइवेट नेचर का है, यह कोई पब्लिक इपार्टेन्स की चीज नहीं है । दो आदमियों में आपस में झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है उसका कोई नतीजा होता है । लेकिन इसके माने यह नहीं हैं कि चकबन्दी के सिलसिले में या उसके कानून के कारण ऐसा हुआ है । इसलिए पब्लिक इम्पार्टेन्स की चीज न होने के कारण इसको मैं स्वीकार नहीं करता ।

ग्राम बैरी, अकबरपुर एवं नारामऊ के किसानों की भूमि इंडियन शुगर टेक्नालाजी के निमित्त लिये जाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता––दूसरा कामरोको प्रस्ताव इस प्रकार है––

गत ७ मई को भूमि प्राप्त अधिकारी, कानपुर द्वारा ग्राम बैरी, अकबरपुर एवं नारामऊ, जिला कानपुर के कृषकों की ५२२ एकड़ खेती होने वाली उपजाऊ भूमि को इंडियन शुगर टेक्नालाजी के अन्तर्गत प्राप्त करने की योजना से २,००० ग्रामीण कृषकों के भूमिहीन हो जाने की समस्या पैदा हो गयी है जिससे कृषकों में अत्यन्त क्षोभ एवं असंतोष है ।

अतः जनहित की दृष्टि से इस आवश्यक तथा तत्कालीन विषय पर विचार करने के लिए सदन आज अपना कार्य स्थगित करता है ।

यह लैंड एक्वीजीशन की कार्यवाही कानून के मातहत है और उसमें उज्रदारी का फरीकों को काफी मौका है और मैं यह समझता हूं कि ऐडजर्नमेंट मोशन इसके लिए लाना नामुनासिब है, क्योंकि यह एक कानूनी चीज है । इसमें कानूनी हकूक पैदा होते हैं और कानूनी हकूक के पैदा होने की वजह से किसी को कानूनी हक से वंचित नहीं किया जा सकता । इसलिए मैं इसको नामंजूर करता हूं ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)––श्रीमन्, मुझे एक मिनट दे दिया जाय । यह मामला बहुत अर्जेन्ट पब्लिक है, इम्पार्टेन्स का है और इसमें जितने सोर्सेज टैप करने के थे अधिकारियों के, सब किये जा चुके हैं । अगर इसमें कोई सुविधा नहीं दी जायगी तो दो हजार किसान भूमिहीन कर दिये जायंगे । ७५ फीसदी जमीन ली जा चुकी है ।

श्री अधिष्ठाता––अब आप बैठ जाइये । मैंने सुन लिया । वैसे मैं रूलिंग दे चुका हूं, उसमें कोई तब्दीली करने का सवाल पैदा नहीं होता है, लेकिन फिर भी आपकी जानकारी के लिए रूल ७९ (५) की तरफ आपकी तवज्जह दिलाऊंगा––

"It shall not relate to any matter which is under adjudication by a Court of Law having jurisdiction in any part of India."

अगर कोई ऐसी चीज है जो किसी अदालत में हो तो उसके ऊपर कोई रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है । अगर रेजोल्यूशन नहीं आ सकता है तो ऐडजर्नमेंट मोशन भी नहीं आ सकता । इसलिए मैंने इसको नामंजूर कर दिया ।

अब इसके ऊपर बात करने के लिए या बहस करने के लिए मैं इजाजत नहीं दूंगा ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––मैं पर्सनल एक्सप्लैनेशन की बात कहूंगा । यह एग्जिक्यूटिव से मुताल्लिक चीज है ।

श्री अधिष्ठाता––मैं इस पर बहस के लिए मौका नहीं देता । मैं इसको समझता हूं, यह कानून की बात है । अदालतों में यह बात जाती है । किसी एग्जिक्युटिव आफिसर का सवाल नहीं है ।

श्री मोतीलाल अवस्थी––क्या मैं जान सकता हूं कि इसके बारे में मंत्री जी कोई स्टेटमेंट देने को तैयार हैं ?

श्री अधिष्ठाता---मंत्री] जी अगर इसके बारे में कुछ कहना चाहें तो फरमा ।

वित्त मंत्री (श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम)---अगर कोई गवर्नमेंट के स्टेटमेंट की ख्वाहिश है तो मैं कल को इस पर स्टेटमेंट दे दूंगा ।

सीमेंट के अभाव से बाढ़पीड़ित क्षेत्रों में निर्माण-कार्य बन्द होने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---श्री रामसुन्दर पांडेय का कार्य स्थगन प्रस्ताव इस प्रकार है:---

"यों तो समस्त उत्तर प्रदेश में मई मास से सीमेंट का कोटा निर्धारित कोटे से १/३ हो जाने के कारण असंतोष व्याप्त है ही किन्तु विशेषत: बाढ़पीड़ित जिलों---आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया आदि---के कोटे से भी १/३ हो जाने के कारण निर्माण-कार्य बिलकुल बन्द हो गया है, जिसके कारण नगरों एवं देहातों में बसने वाली हजारों की संख्या में जनता बरसात के पहले घर बनाने में असमर्थ हो गयी है इसके कारण लाखों जनता में असंतोष व्याप्त हो गया है । अतएव इस विषम परिस्थिति पर विचार करने हेतु सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है ।"

मैं समझता हूं कि यह चीज पब्लिक इम्पार्टेन्स की नहीं है । जहां तक सीमेंट के मकान बनाने का ताल्लुक है अगर कोई ऐसी चीज हो कि सिवाय सीमेंट और किसी चीज से मकान न बन सकते हों तो कोई सवाल हो सकता है । लेकिन ह्वाइट लाइम, कंकड़ लाइम और दूसरी चीजें भी हैं जिससे मकान बनाये जाते हैं । वे ज्यादातर गारे से और ईटों से बनाये जाते हैं, छप्पर भी होते हैं । मैं समझता हूं कि यह कोई पब्लिक इम्पोर्टेन्स की चीज नहीं है । इसलिये मैं इसको नामन्जूर करता हूं ।

कीर्तिनगर एवं जगबूड़ा सस्पेंशन पुल पर मुसाफिरों पर टैक्स लगाये जाने के सम्बन्ध में कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अधिष्ठाता---एक कामरोको प्रस्ताव श्री नारायणदत्त तिवारी का है । वह इस प्रकार है---

"सदन की बैठक एक आवश्यक, निश्चित तथा महत्वपूर्ण विषय अर्थात् सरकार द्वारा कीर्तिनगर एवं जगबूड़ा सस्पेंशन पुल पर बिना किसी अधिकार के मुसाफिरों पर नये टैक्स लगाये जाने पर विचार करने के लिये स्थगित की जाए ।"

यहां पर एक पुल बनाया गया और उसके ऊपर टोल टैक्स लगाया गया है । उसके लिये यह कहते हैं कि यह कानून के विरुद्ध है, इसलिये गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है । मैं माननीय सदस्य को बतलाना चाहता हूं कि नार्दर्न इंडिया फैरीज ऐक्ट, १८७८ के अधीन टोल टैक्स लगाया जा सकता है । पुल बनाने में काफी कीमत लगती है, उसके वसूल करने के कई तरीके होते हैं । यह एक ही जगह नहीं, हमारे जिले में भी नये पुलों पर टैक्स लगता है, पैदल चलने वालों पर, जानवरों के लादने पर इत्यादि, इत्यादि । इसलिये मैं उसको कोई ऐसी चीज नहीं समझता जिससे कोई गम्भीर स्थिति पैदा होने वाली हो । यों मेले तमाशों में माननीय सदस्य ने देखा होगा कि हरिद्वार में भी जब नये पुल बनते हैं तो उन पर भी टोल टैक्स लगता है । इसलिये मैं इसको नामंजूर करता हूं ।

विभिन्न समितियों के निर्वाचनार्थ सदस्यों के नाम-निर्देशन के सम्बन्ध में सूचना

श्री अधिष्ठाता—कल सायंकाल ३ बजे तक का समय वित्त समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इन्टरमीडियेट एजूकेशन, राज्य मद्य निषेध बोर्ड, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स समिति तथा रुड़की यूनिवर्सिटी सीनेट समिति के लिये नाम-निर्देशन-पत्र प्राप्त करने का समय निर्धारित किया गया था। इस समय के भीतर जो नामांकन-पत्र प्राप्त हुए उनकी सूक्ष्म परीक्षा कल सायंकाल ५ बजे सचिव, विधान सभा के कमरे में की गयी और उसके फलस्वरूप जो नामांकन-पत्र नियमित पाये गये उनका विवरण इस प्रकार है:—

समिति का नाम	स्थान संख्या	अभ्यर्थियों की संख्या जिनके नामांकन प्राप्त हुए तथा सूक्ष्म परीक्षा में नियमित पाये गये।
१—वित्त समिति	१४	३०
२—प्राक्कलन समिति . .	२५	४२
३—सार्वजनिक लेखा समिति . .	२०	४१
४—बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीजियेट एजूकेशन . .	२	१७
५—राज्य मद्य निषेध बोर्ड . .	४	३८
६—यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स समिति . .	३	१७
७—रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट . .	४	२३

इनके लिये शाम के ५ बजे तक का समय है। अगर कोई सदस्य नाम वापस लें तो वापस हो जायंगे और उसका नतीजा बतला दिया जायगा और अगर नाम वापस नहीं लिये गये तो जो चुनाव का प्रोग्राम होगा उसकी सूचना दे दी जायगी। जिनके नौमीनेशन्स आये हैं, वे सब यहां पर मौजूद हैं। अगर सदन के कोई सदस्य देखना चाहें तो देख सकते हैं।

कानपुर में निक्की दास के शव-जुलूस पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में गृह मंत्री का वक्तव्य

गृह मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—मान्यवर, कानपुर की एक घटना के सम्बन्ध में पिछले दो दिनों से बराबर कार्यस्थगन प्रस्ताव आते रहे हैं। आपके आदेश से उसके सम्बन्ध में माननीय सदन को वास्तविक स्थिति का कुछ ज्ञान करा देने के लिए मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। यद्यपि यह घटना मार्च की है और उसके सम्बन्ध में गवर्नर साहब के अभिभाषण पर जब वादविवाद सदन में हुआ उस समय माननीय मुख्य मन्त्री जी ने अपना स्पष्टीकरण कर दिया था। फिर भी बार-बार कार्य-स्थगन प्रस्ताव का आना कदाचित् इस बात का संकेत था कि माननीय सदन के आदरणीय सदस्य लोग उस विषय में कुछ जानना चाहते हैं। तो यह आवश्यक प्रतीत हुआ कि आपके सम्मुख कुछ निवेदन करूं।

यह घटना, एक मजदूर निक्की दास की आत्महत्या के कारण जो स्थिति पैदा हुई, उससे सम्बन्ध रखती है। ७ मार्च को ९ बजे प्रातःकाल लाल इमली मिल के एक मजदूर ने जिनका नाम निक्कीदास जी था, मिल की छत से कूद कर आत्महत्या करने की चेष्टा की और चोट खा गये। उनको अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी मृत्यु हो गई। मजदूर नेताओं ने यह मांग की कि उनका शव उनको दे दिया जाय। वे उसका जुलूस निकालना चाहते थे।

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

कुछ मजदूर नेता जहां कि पोस्ट मार्टम हुआ था, वहां पहुंचे और उन्होंने इस चीज की मांग की। अधिकारियों ने पहले तो यह सोचा कि कदाचित् इससे कुछ अशान्त वातावरण उत्पन्न हो, लेकिन फिर भी उनके आग्रह पर उन्हें शव ले जाने की इजाजत उन्होंने दे दी।

उन लोगों की आपस की बातचीत से शव ले जाने के मार्ग का निर्धारण हो गया और यह तय पाया गया कि यह जुलूस निकले और यह पार्वती बागला रोड से होता हुआ श्मशान भूमि, जो भैरव घाट कहलाता है, वहां ले जाया जाय। शाम को साढ़े सात बजे मजदूरों का एक जुलूस यह शव लेकर चला और जब वह डी० ए० वी० कालेज के पास पहुंचा, जहां से कि सीधा रास्ता पार्वती बागला रोड होता हुआ भैरव घाट को जाता था, तो वहां से वह जुलूस म्योर मिल की ओर मुड़ा। अधिकारियों की ओर से उसमें रुकावट डाली गयी और कहा गया कि जो बात तय हो गई थी, जो रास्ता तय हो गया था, उस रास्ते से कृपा करके जुलूस को ले जायं। उन लोगों ने जब आग्रह किया और माने नहीं तो पुलिस ने उन्हें रोकने की चेष्टा की। इस पर कुछ कहा सुनी भी हुई। इसके बाद भीड़ की ओर से बल-पूर्वक उस मार्ग से ले जाने का प्रयास भी हुआ और पुलिस के ऊपर कुछ ईंट पत्थर भी फेंके गये जिससे कि एक सब-इंस्पेक्टर को और नौ कांस्टेबुलों को चोटें आयीं। मैजिस्ट्रेट जो उस समय मौजूद थे उन्होंने लोगों से यह कहा कि अब आप उस रास्ते से या तो जायं और नहीं तो आपको हम अवैध घोषित करेंगे। इस पर भी वह नहीं माने। मैजिस्ट्रेट ने उस मजमे को अवैध घोषित किया लेकिन फिर भी वह हटे नहीं। इस पर उन्होंने यह आदेश दिया कि इस भीड़ को तितर-बितर कर दिया जाय। उसमें पुलिस की ओर से लाठी चार्ज हुआ। जिसमें लोगों को चोटें आयीं और मजदूर नेताओं को भी चोटें आयीं। फिर इसके बाद कुछ गिरफ्तारियां हुईं जिसमें मजदूर नेता भी गिरफ्तार हुए तथा कुछ और लोग भी गिरफ्तार हुए। गिरफ्तारी के सिलसिले में एक सब-इंसपेक्टर को एक साहब ने उनके दाहिने अंगूठे में दांत से काट भी लिया। बहरहाल वह गिरफ्तार हुए और थाने में रखे गये।

इसके बाद २० मार्च को एक शिकायती पत्र माननीय मुख्य मंत्री के पास आया, जिस में यह कहा गया कि किसी एक भाई की मूंछ उखाड़ी गयीं और थाने में, कोतवाली में ले जा कर अमुक-अमुक सज्जन पीटे गये और उन्होंने यह मांग की थी कि इसकी जांच करायी जाय और अधिकारियों को दंड दिया जाय। माननीय मुख्य मंत्री जी ने तत्काल ही कार्यवाही की, जो उप-मंत्री गृह विभाग के श्री मुजफ्फर हसन साहब हैं, उनको उन्होंने इस मामले की इंक्वायरी करने का काम सुपुर्द किया। पत्र मिलने के एक हफ्ते के भीतर २९ मार्च को वह कानपुर पहुंच गये और उन्होंने अपनी इंक्वायरी में दो बातों की विशेष रूप से इंक्वायरी की।

एक तो यह कि जो शव ले जाने का रास्ता तय किया गया वह आपस में उनकी राय से तय किया गया था और उस रास्ते को छोड़कर, आपसी समझौते को तोड़कर यह जुलूस दूसरे रास्ते पर उसको ले जाने का प्रयास कर रहा था। और दूसरे इस बात की कि क्या थाने के भीतर या कोतवाली के भीतर लोगों के ऊपर पुलिस ने कोई जोर जुल्म किया और उनको मारा पीटा। ये दो मुख्य बातें थीं जिनकी उन्होंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करके ६ अप्रैल को उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट में उन्होंने यह कहा—हां इतना और कह दूं कि सभी लोगों से वह वहां मिले थे—वीरेन्द्र सिंह जी से, श्री पन्नालाल और श्री बनर्जी से और सबों से वे मिले, अधिकारियों से भी बातचीत की, मुख्यतः इन दो प्रश्नों को सामने रख कर। यह बात सही है कि आपस में समझौता हो करके शव को ले जाने के मार्ग का निर्धा-रण हुआ। यद्यपि वीरेन्द्र सिंह जी ने मुजफ्फर हसन साहब के सामने कहा कि हम लोगों को इसकी सूचना नहीं थी, लेकिन बनर्जी साहब जो हमारी पार्लियामेंट के मेम्बर हैं उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि रास्ता हम लोगों ने आपस में तय किया था।

वहां पहुंच करके म्योर मिल की ओर मुड़ने की बात सब लोग स्वीकार करते हैं और उन्होंने कोशिश की कि उस रास्ते से हम लोग जायं। अधिकारियों ने उसको रोका। एक तो इस वजह से कि एक समझौता हो गया था, उसे तोड़कर उस रास्ते का फिर बदला जाना, दूसरे उस रास्ते से इस प्रकार एक मजदूर के शव को ले कर जाना, जिसकी किसी कारण एक दुःखद स्थिति में मृत्यु हुई थी, कदाचित् शान्ति भंग का कारण भी हो सकता था और एक उत्तेजना भी व्याप्त हो सकती थी।

इस बात को उन्होंने भी स्वीकार किया कि हां, हमने समझौता किया था और फिर हम म्योर मिल के रास्ते से जा रहे थे ताकि और मजदूर हमारे साथ शरीक हो जायं। अधिकारियों ने उसे रोका। इन दो दृष्टियों को सामने रख कर उनका यह एतराज मुजफ्फर हसन साहब की राय में स्वाभाविक था और उचित था, क्योंकि पहले भी एक आध मौके पर इसी तरह शव को जुलूस बना कर ले जाने के फलस्वरूप कानपुर में कुछ अव्यवस्था और अशान्ति उत्पन्न हो चुकी थी जिससे वे सावधान थे और उन वाकयात को सामने रखते हुए और उन उदाहरणों को सामने रखते हुए समझौता हो जाने के बाद निश्चित मार्ग की ओर जाने के लिये उनसे आग्रह करना और मार्ग बदल कर समझौते को तोड़ते हुए दूसरे रास्ते से न जाने के लिये उन्हें मना करना, यह उनकी दृष्टि में और उनकी रिपोर्ट में उचित माना गया है।

लोग हटे नहीं। लाठी चार्ज हुआ। लोगों को चोटें आयीं यह बात सही है। श्री पन्ना लाल और श्री वीरेन्द्र सिंह जी को भी चोटें लगी हैं, और लोगों को भी चोटें लगीं।

दूसरा प्रश्न यह था कि वे थाने में पीटे गये अथवा उनको कोतवाली ले जाकर पीटा गया। जैसा कि उनकी रिपोर्ट से मालूम होता है यह स्पष्ट है कि उन्हें चोटें आयीं। लेकिन चोटें उनके लाठी चार्ज के समय आयीं। कोतवाली में ले जाकर उन्हें पीटने का कोई प्रश्न नहीं था। कर्नलगंज थाने में वे ले जाये गये या कोतावाली में ले जाये गये? कर्नलगंज थाने के रोजनाम्चे में उन लोगों का जाना, वहां की हवालात में रखा जाना ये सारी चीजें दर्ज हैं। जो चोटें थीं वह भी दर्ज हैं। उन बातों को देखने के बाद मुजफ्फर साहब इस नतीजे पर पहुंचे कि चोटें तो उन्हें जरूर आयी हैं और वे चोटें लाठी चार्ज के समय की ही हैं। यह सम्भव नहीं है और इसकी आवश्यकता भी नहीं थी कि थाने में लाकर किसी को पीटा जाता अथवा किसी की मूंछ उखाड़ी जाती।

तीसरी एक और शिकायत की गयी कि जेल के लोगों को बिना कलेक्टर से पूछे मिलने नहीं दिया गया। जहां तक कलेक्टर से पूछने की बात है, ८६ आदमियों को मिलने की इजाजत दी गयी, जिनमें से ७६ आदमियों को सुपरिन्टेडेन्ट जेल ने स्वयं ही इजाजत दे दी थी। तो यह कहना कि कलेक्टर से पूछे बिना इजाजत नहीं दी गयी, सही नहीं है। दस आदमियों के सम्बन्ध में उन्होंने अवश्य कलेक्टर से पूंछा था। पर उन दस आदमियों ने मिलने की जब इजाजत मांगी थी तो वह दिन ऐसा था कि जो इंटरव्यू का दिन नहीं था और जो इंटरव्यू का समय होता है उस समय के बाहर था। तो ऐसी हालत में उन्हें कलेक्टर से पूछना आवश्यक था और कलेक्टर से पूछ कर जिनको इजाजत मिल सकती थी मिली, जिनको नहीं मिल सकती थी, नहीं मिली। यह इनकी रिपोर्ट का सारांश है, मान्यवर, जो मैं आपकी आज्ञा से सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं।

अब इसके बाद एक स्थिति इस समय यह पैदा हो गयी है कि एक हमारे युवक ओम् प्रकाश जी कई दिन से, दो तीन दिन से हमारे विधान सभा के द्वार के सामने वाले मैदान में अनशन कर रहे हैं। उनका एक पत्र ३० अप्रैल को माननीय मुख्य मंत्री जी को प्राप्त हुआ था जिसमें उन्होंने यह कहा कि सारे उत्तर प्रदेश भर में पुलिस की ओर से ज्यादती और जुल्म हो रहा है। कानपुर में विशेष घटना घटी। ऐसा लगता है कि सरकार इसको बार-बार टालना चाहती है और उस पर कोई कार्यवाही करना नहीं चाहती है। इसलिये

[श्री कमलापति त्रिपाठी]

३ मई से यदि इसकी कोई जुडीशल इन्क्वायरी नहीं डिप्यूट कर दी जायगी और अधिकारियों को दंड नहीं दिया जायगा तो अनशन कर देंगे। मान्यवर, इस सम्बन्ध में यह निवेदन करना है कि कहीं भी पुलिस की ओर से किसी भी घटना के कारण लाठी चार्ज करने की नौबत आये और किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह सार्वजनिक कार्यकर्ता हो, चाहे साधारण नागरिक हो, उन परिस्थितियों के कारण ही लाठी चार्ज अथवा बल प्रयोग में चोट पहुंचे, कष्ट पहुंचे, इस पर आप को भी दुःख होता है और हमें भी दुःख होता है। पर परिस्थितियां ऐसी जब उत्पन्न हो जाती हैं तो शांति भंग की आशंका को देखते हुए इस तरह की स्थिति के उत्पन्न होने पर जनता की सुरक्षा और शान्ति के निमित्त जो सरकार का उत्तरदायित्व है उसका निर्वाह करने के लिये इस प्रकार का कठोर कार्य भी लाचार हो करके किया जाता है।

इसमें कुछ शिकायतें हुई। उन शिकायतों की उपेक्षा सरकार की ओर से नहीं हुई। जुडीशियल इन्क्वायरी का नाम बहुत लिया जाता है। अब सरकार के एक सम्मानित सदस्य, प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्यकर्ता जो आप की सभा के भी सदस्य हैं उनके जिम्मे एक इन्क्वायरी करना मेरी विनम्र सम्मति में और जुडीशियल इन्क्वायरी के प्रति अपना आदर और सम्मान प्रकट करते हुए मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि वह कोई छोटी बात नहीं थी, किसी जुडीशियल इन्क्वायरी से कम बात नहीं थी। उनके जिम्मे एक हफ्ते के अन्दर उस जांच का काम किया गया। उन्होंने उसकी जांच की और उसकी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट का हवाला, घटना का हवाला और जांच का हवाला माननीय मुख्य मंत्री जी पिछली बार सदन में राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में दे चुके हैं। फिर उसके बाद उसी मांग को दोहराना और उसमें कोई नई बात का न आना, वही पुरानी बात को दोहराना और यह कहना कि जो इन्क्वायरी हुई उस पर हमें विश्वास नहीं है, दूसरी जुडीशियल इन्क्वायरी इंस्टीट्यूट की जाय और न की जायगी तो हम ३ मई से अनशन करेंगे, एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देना है जिसे सरकार कभी स्वीकार नहीं कर सकती और निष्पक्ष दृष्टि से विचार करने वाला कोई व्यक्ति उसे स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी तो अपनी ओर से इस सदन के माननीय सदस्यों से और सभी से यह अपील है कि इस प्रकार की परिस्थिति को उत्पन्न करके फिर शासन को चलाना और शान्ति को स्थापित रखना दोनों ही कठिन और दुष्कर सी बात हो जाती हैं। कानपुर में कोई नागरिक अधिकार रक्षा समिति है, उसकी ओर से जो शिकायतें आई थीं उनकी जांच हो गयी, उनके अलावा और कोई नई बात या विषय सामने आया होता तो सम्भव है कि मुजफ्फर हसन साहब को या और किसी साहब को उस विषय को देखने दिखाने के लिये सरकार तैयार हो जाती। पर ऐसी कोई बात नहीं हुई। सारे मामले की पूरी जांच हुई और पूरे वाक्यात सामने आ चुके, वह मामले स्पष्टीकृत इस सदन में हुए और फिर उन्हीं बातों को दुहराकर नये सिरे से प्रारम्भ कर देना और एक प्रकार से यह आग्रह करना कि इसे स्वीकार करो, नहीं तो अनशन कर देंगे, ऐसी परिस्थिति को हमारे लिये स्वीकार करना असम्भव होगा और उसे स्वीकार करने का मतलब जो उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है उसके प्रति उपेक्षा का बर्ताव करना होगा।

इतना और मैं आप की आज्ञा से निवेदन करना चाहता हूं कि जो माननीय सदस्य यहां बैठे हैं वे देखें कि जो शिकायतें की गयी थीं और जिन पर जांच हो चुकी है उनके अलावा यदि कोई नयी घटना, नयी बात ऐसी हो जिन पर जांच पड़ताल न हुई हो और वह अगर सरकार के सम्मुख, माननीय मुख्य मंत्री जी के सम्मुख उपस्थित की जायं तो वह उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर सकते हैं और उस विषय में जानकारी भी करा सकते हैं जिससे कि इस सदन के माननीय सदस्यों के हृदय में यदि कोई भ्रान्ति अथवा किसी प्रकार की जिज्ञासा हो तो उसकी पूर्ति हो सके।

मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि इस पक्ष के अथवा उस पक्ष के जिन लोगों का भी कुछ प्रभाव उस अनशन करने वाले युवक के ऊपर पड़ सकता हो वे इस बात का आग्रह करें

कि यह ऐसा प्रश्न नहीं है कि जहां पर ऐसा अनशन कर के ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाय। अच्छा हो यदि वे अनशन त्याग कर दें। इस विषय में जो कुछ हो चुका है उसे मैंने आपके सम्मुख रख दिया है इस पर आप स्वयं विचार कर लें।

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)---श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से इस विषय में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता हूं।

श्रीमन्, मैं माननीय गृह मंत्री जी का कृतज्ञ हूं कि उन्होंने इस घटना के सम्बन्ध में जो सरकार का मत था वह इस सदन के सामने प्रकट किया। लेकिन मैं मुख्यतः उसी सिलसिले में उनसे चार बातें दरियापत करना चाहता हूं।

पहली बात तो यह है कि कानपुर में मजदूर की लाश के सिलसिले में जो जुलूस निकला उस पर रोक लगायी गयी। किसी की मौत के समय दंगे की आशंका करना जब उसकी लाश गंगा जी के किनारे लायी जा रही हो क्या जरूरत पड़ी कि उसका रास्ता नियत किया गया?

दूसरी बात यह है कि उस शव के जुलूस के साथ मैजिस्ट्रेट भी थे, पुलिस का इतना बड़ा दस्ता था कि उसने लाठियों से मजमे को तितर-बितर कर दिया। तो उनके रहते हुए यदि वह जुलूस दूसरे रास्ते से चला जाता तो उसमें शान्ति भंग होने की क्या आशंका थी?

माननीय मन्त्री जी यह भी बतालाने की कृपा करें कि लाठीचार्ज के उपरान्त २१ ऐसे व्यक्तियों को उसी रात को १२ और १ बजे रात्रि में उठा कर, जिनका कोई वास्ता उससे नहीं था, गिरफ्तार किया गया। इसकी क्या जरूरत थी? मुझे अफसोस है कि मेरी तीसरी बात उनकी जांच में नहीं आयी। मैंने मुजफ्फर हसन साहब से स्वयं उस सम्बन्ध में निवेदन किया था। यह कहा जा सकता है कि हवालात में जो मारपीट हुई उसकी कोई शहादत नहीं, लेकिन माननीय गृह मंत्री के वक्तव्य से यह साबित होता है कि चोटें उनको थीं। दूसरे दिन वह जेल भेजे गये, लगभग २२ घंटे के बाद। पुलिस का यह नियम है कि अगर किसी को चोट लगे तो उसकी मरहमपट्टी पहले की जाय। हर पुलिस स्टेशन पर एक फर्स्ट एड बाक्स होता है। यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि २२ घंटे तक उन लोगों की चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं किया जा सका, जिनको चोटें लगी थीं और न उनकी फर्स्ट एड का प्रबन्ध किया गया।

चौथी बात यह कि ७६ इंटरव्यूज सुपरिंटेंडेंट जेल की आज्ञा से ग्रान्ट किये गये। जो शिकायत की गई थी उसमें मैंने भी हिस्सा लिया था कि एक सज्जन, मैं नाम ले रहा हूं, श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंह को एक भी इंटरव्यू बिना डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की इजाजत के नहीं दिया गया। यह कहना कि ८६ इंटरव्यू दिये गये या ९६ दिये गये, यह तो हुआ ही करता है। जेल का नियम है कि सुपरिन्टेन्डेंट जेल कैदी को इंटरव्यू ग्रान्ट करता है, लेकिन कानपुर में वीरेन्द्र बहादुर सिंह जी को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया गया जब तक कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से इजाजत न ले ली जाय और यह मैं स्वयं बीती हुई कहता हूं। हुजूरवाला, मैंने जेल सुपरिन्टेन्डेन्ट से पूछा था कि मैनुअल की किस धारा के अनुसार वह चाहते हैं कि जिला मैजिस्ट्रेट से इजाजत ले कर एक हवालाती कैदी से मिलें, तो उन्होंने फरमाया कि यह ठीक है कि जेल मैनुअल में ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सिलसिले में यही है। मैंने स्वयं माननीय मुजफ्फर हसन साहब से निवेदन किया था कि इस पहलू की जांच होनी चाहिये। यह बड़ी निर्दयता है कि पुलिस के आदमी किसी को हवालात में बन्द करें और उनमें से किसी को चोट लगी हो तो उसकी दवा का प्रबन्ध न किया जाय। यह खुद इतनी बड़ी निर्दयता है कि उसके लिये कोई प्रायश्चित होना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जो शंकायें मैंने उठाई हैं उनका समाधान पेश करने की वह कृपा करें।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---प्वाइंट आफ आर्डर। पुलिस मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उस पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि आप ने बार-बार यह हवाला दिया कि ....

श्री अधिष्ठाता---यह प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी---यह मैं इंफार्मेशन के लिये पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी के भाषण में मुजफ्फर हसन साहब की रिपोर्ट का कोई हवाला नहीं था। जिस समय वह अपना भाषण दे रहे थे उस समय मैंने कानपुर की बात उठायी थी। मुख्य मंत्री जी के मुंह से निकला था कि मैं कानपुर की परवाह नहीं करता और उन्होंने कानपुर के मामले पर एक शब्द भी नहीं कहा। मुजफ्फर हसन साहब की रिपोर्ट उस समय प्रकाशित हो चुकी थी। उसके बाद भी उनके मुंह से यह असत्य बात कही गयी।

श्री अधिष्ठाता---मैं इस बयान पर किसी किस्म की चर्चा होने देना मुनासिब नहीं समझता और न इसकी इजाजत देता हूं, लेकिन अगर इनफार्मेशन के तौर पर वाकयात के बारे में पूछा जाय तो मैं उसकी इजाजत देना मुनासिब समझता हूं। माननीय मंत्री जी, जो कुछ त्रिलोकी सिंह जी ने फरमाया है, उसके बारे में कुछ बयान देना चाहेंगे?

श्री कमलापति त्रिपाठी---मान्यवर, मैं निवेदन कर चुका हूं कि जलूस को ले जाने के लिये रास्ते का निर्धारण किया गया। और वह इस विचार से किया गया---त्रिलोकी सिंह जी ने पूछा कि इसकी क्या आवश्यकता थी, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कानपुर में एक आध ऐसी घटना पहले हो चुकी है जिसमें मजदूरों के ऐसे किसी जलूस के निकलने में शान्ति भंग हुई और कठिनाई का सामना उसके कारण जनता को और सरकार को करना पड़ा। मैं समझता हूं कि उन अनुभवों के रहते हुए एक इस प्रकार के शव का जलूस निकालने के लिए परस्पर समझौता करके सावधानी बरतने के लिए यदि एक मार्ग निर्धारित किया गया तो वह सर्वथा उचित ही था। उसमें शव का जलूस निकालने में रुकावट लगाने की कोई बात नहीं थी और न कोई और ही बात थी।

दूसरी बातें जो त्रिलोकीं सिंह जी ने हमारे सामने रखी हैं वह इस प्रकार की बातें हैं जिनके ऊपर जांच करायी जा सकती है और जानकारी प्राप्त की जा सकती है और तब जानकारी प्राप्त करके उस पर विचार करने के लिये और वह जानकारी उनको देने के लिये सरकार सदा तत्पर रहेगी। अच्छा हो यदि त्रिलोकी सिंह जी इस सम्बन्ध में मेरे यहां पधारने की कृपा करें। वे हमें बतायें कि किस जानकारी को वह चाहते हैं अथवा पत्र से चाहें, तो वह हमारे विरोधी दल के नेता हैं, मुझे इज्जत बख्शेंगे यदि वह लिखें। मैं इस सम्बन्ध में जो कुछ जानकारी होगी उसको उपलब्ध करके उन्हें देने के लिये प्रसन्नतापूर्वक तत्पर रहूंगा। यदि किसी चीज की कुछ जांच-पड़ताल की जरूरत हो तो वह भी अवश्य करेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं दोनों ही काम करूंगा।

श्री अधिष्ठाता---मैं समझता हूं कि जो माननीय मंत्री जी ने अपना भाषण दिया उसके बाद अब किसी और मजीद जांच पड़ताल की या सवाल की जरूरत पैदा नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह बात कही कि अगर किसी और सदस्य को और कोई जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता हो तो वह जानकारी उनसे प्राप्त करें। अगर उनके मुताल्लिक़ कोई और कार्य करना चाहें तो वह उसको करने के लिये तैयार हैं। ऐसी सूरत में मैं नहीं समझता कि और विवाद की इजाजत दी जाय। इसलिये अब मैं कार्यसूची की अगली मद को लेता हूं।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)--माननीय मंत्री जी ने इधर के बैठने वाले लोगों से अपील की है कि वह अपना प्रभाव अनशनकारी पर डालें जिससे वह अनशन छोड़ दें, तो क्या माननीय मंत्री जी अपने प्रभाव को पर्याप्त नहीं समझते हैं या माननीय मन्त्री जी ने कोई इस प्रकार का प्रयत्न किया है कि जिससे वह अनशन छोड़ने के लिये तत्पर हो जायं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी--जी हां, मैं यह जरूर समझता हूं कि मुझसे अधिक प्रभाव उधर के लोगों का है।

स्वतंत्र प्रगतिशील दल के लिये कमरा न मिलने के सम्बन्ध में आपत्ति

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)--मैं आपकी आज्ञा से यह कहना चाहता हूं जैसा कि हमारे विरोधी दल के नेता ने बतलाया कि अभी तक विरोधी दल के लोगों को कमरा नहीं मिला। श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी पार्टी को कोई कमरा तो एलाट हो गया है मगर निश्चित रूप से नहीं मिला है। उसके लिये बराबर कोशिश की जा रही है। मैं आप के द्वारा यह कहना चाहता हूं कि अगर कल तक यह हो जाय तो हमें बड़ी सुविधा होगी।

मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)--ऐसे कमरों का देना तो अध्यक्ष के अधिकार की बात है।

श्री अधिष्ठाता--मुझे मालूम हुआ है कि कमरे तो निश्चित हो गये हैं, लेकिन अभी उन पर दखल नहीं मिला। इसलिये अब वह कुछ आपके अख्तियार की बात है।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आप मालिक हैं। अगर किसी ने दखल देने से इन्कार किया हो तो जो कुछ आप चाहें दंड दे सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता--तो मैं माननीय सदस्यों को इत्मीनान दिलाना चाहता हूं कि मैं माननीय खेर साहब से बातचीत करूंगा। इस वक्त मैं सदन में प्रिसाइड करने के लिये हूं, इससे अधिक पैनल के चेयरमैन का कोई अधिकार नहीं है। यह खेर साहब के अधिकार की बात है। मैं यह बात उनके पास पहुंचा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि चूंकि सदन में आपने यह सवाल उठाया है तो कल तक इसका मुनासिब जवाब दे दूं।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं यह वैधानिक प्रश्न उठाना चाहता हूं कि क्या जो रूलिंग या आश्वासन आपकी तरफ से दिये जाते हैं वे निजी-तौर से हैं या अध्यक्ष की तरफ से हैं और उनकी पाबन्दी माननीय अध्यक्ष को करनी आवश्यक है या नहीं ?

श्री अधिष्ठाता--मैं निर्णय अध्यक्ष की हैसियत से देता हूं और वह अध्यक्ष पर और सब पर पाबन्द हैं। स्पीकर की दो हैसियत हैं। एक तो यह कि सदन में प्रिसाइड करे और दूसरी यह कि दूसरे कार्य करें। दूसरे कार्य के लिये स्पीकर महोदय अपने स्थान पर मौजूद हैं और काम करते हैं। उनका स्थान खाली नहीं है। उनकी या उपाध्यक्ष की ग़ैरहाजिरी में मुझे प्रिसाइड करने का अधिकार है और मेरे निर्णय उतने माननीय और गम्भीर हैं और हर शख्स को काबिले पाबन्दी हैं जितने कि स्पीकर के।

विधान सभा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन

श्री अधिष्ठाता--कार्य-सूची के अनुसार अब उपाध्यक्ष पद के चुनाव की आइटम है। मैं आपके सामने उन सदस्यों के नाम पढ़ूंगा जिनके नाम नामीनेट हुये हैं और जिन्होंने प्रोपोज और सेकिन्ड किया है। पहला नाम श्री रामनारायण त्रिपाठी का है और उन्हें

[श्री अधिष्ठाता]

प्रोपोज किया है श्री देवनारायण भारतीय ने और सेकिन्ड किया है श्री उग्रसेन ने। दूसरा नामीनेशन श्री रामनारायण त्रिपाठी का है और प्रोपोज करने वाले हैं श्री राजनारायण और सेकिन्ड किया है श्री रामसिंह चौहान ने। तीसरा नामीनेशन पत्र भी श्री रामनारायण त्रिपाठी का है जिन्हें प्रोपोज किया है श्री झारखंडे राय जी ने और श्री चन्द्रजीत यादव ने सेकिन्ड किया है। चौथा नामीनेशन भी श्री रामनारायण त्रिपाठी का है जिसके श्री राघुवेन्द्र प्रताप सिंह जी प्रोप्रोज करने वाले और श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी सेकिन्ड करने वाले हैं। पांचवां नामीनेशन श्री गेंदासिंह जी का है जिसे प्रोपोज श्री त्रिलोकी सिंह ने किया है और सेकिन्ड श्री गौरीशंकर राय जी ने किया है। छठा नामीनेशन श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल जी का है और उनके प्रोपोज करने वाले श्री अवधेशप्रताप सिंह जी हैं और सेकिन्ड करने वाले श्री इन्द्रभूषण गुप्त हैं। सातवां नामीनेशन श्री नारायणदत्त तिवारी का है और उन्हें प्रोपोज किया है श्री पद्माकरलाल श्रीवास्तव ने और सेकिन्ड किया है श्री विश्रामराय ने। आठवां श्री सुल्तान आलम खां जी को प्रोपोज किया है श्री मंगलाप्रसाद ने और श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट ने उन्हें सेकिन्ड किया है।

ये आठ नाम हैं और इन्हें इस तरह से प्रोपोज और सेकिन्ड किया गया है।

इसके पश्चात् ४ नाम, सर्वश्री गेंदासिंह, श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, नारायणदत्त तिवारी और सुल्तान आलम खां, वापस हुये हैं। इन कैन्डिडेट्स ने अपने नाम वापस लिये हैं। यूं तो मैंने रूल्स को पढ़ा और कोई रूल ऐसा नजर नहीं आया जिससे किसी कैन्डीडेट को अपना नाम वापस लेने का अधिकार हो या मुझे उसकी स्वीकृति देने का अधिकार हो। लेकिन एक जनरल उसूल की बात है। बहरहाल, आप किसी ऐसे कैन्डीडेट को नहीं चुन सकते जो खुद चुने जाने के लिये रजामन्द न हो। इसलिये मैं समझता हूं कि जैसे उन्होंने अपने नाम वापस लिये हैं और विथड्राल पेपर्स भेजे हैं, मुझे भी कोई अधिकार इंकार करने का नहीं है, फिर भी मैं समझता हूं कि मुमकिन है कि कोई प्रोपोजर इस बात पर कटिबद्ध हों कि वह चुनाव करावेंगे ही, इसलिये सदन के सामने इसे रखना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि सदन भी इस के लिये रजामन्द है कि इनके नाम वापस लेने की मैं स्वीकृति दे दूं।

(कोई आपत्ति नहीं की गई)

लिहाजा मैं इन चारों नामों को वापस लेने की स्वीकृति देता हूं। इसके बाद केवल माननीय रामनारायण त्रिपाठी जी ही रह जाते हैं जो इस पद के लिये चुने जाने हैं।

मुझे यह डिक्लेयर करते हुये बड़ी प्रसन्नता है, मुझको इसका बड़ा गौरव है कि मुझे इसको डिक्लेयर करने की ड्यूटी मिली कि वे उपाध्यक्ष पद के लिये निर्विरोध चुने गये हैं। मैं अब उनसे प्रार्थना करूंगा कि वे अब इस आसन को ग्रहण करें। यों तो मैं उनको आज्ञा से जाने कब तक इस प्रकार प्रिसाइड करता रहूंगा, लेकिन इस वक्त मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि वह अपने आसन को ग्रहण करें। आज मुझे इसका बहुत गौरव है।

(इस समय १२ बज कर ६ मिनट पर नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुए।)

उपाध्यक्ष पद पर निर्वाचित श्री रामनारायण त्रिपाठी को बधाई

*मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी तरफ से और मैं समझता हूं, इस सदन के सभी सदस्यों की ओर से, आपको बधाई देता हूं। आपका इस प्रकार से चुना जाना इस बात का प्रमाण है कि इस सदन के सभी वर्गों को, सभी दलों को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आपकी योग्यता, आपके चरित्र और आपकी दृढ़ता तथा आपकी निष्पक्षता पर सभी को पूरा-पूरा विश्वास है। हमारे सदन में जो एक के बाद दूसरे अध्यक्ष होते गये हैं उन्होंने बड़ी ही सुन्दर और लोकतांत्रिक परम्परायें कायम की हैं और हमको इसका पूरा भरोसा है कि आपके हाथों से वह परंपरायें पुष्ट से पुष्टतर होती जायंगी।

इस मौके पर एक बात और कहना चाहता हूं कि आपके अतिरिक्त कुछ नाम भी प्रस्तावित हुए थे। जिन लोगों के नाम प्रस्तावित हुए थे वे हमारे सभी योग्य मित्र हैं और सचमुच अगर चुनाव की नौबत आती तो हम बड़ी अड़चन में पड़ जाते कि हम किस को चुनें और किसको न चुनें। ऐसी स्थिति में इन मित्रों ने अपने नाम वापिस लेकर हमें उस धर्म-संकट से बचाया है। वे सब हमारी कृतज्ञता के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से माननीय गेंदा-सिंह जी के प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। वे सदन के बहुत बुजुर्ग (जिसे अंग्रेजी में सीनियर मेम्बर कहते हैं), आदरास्पद सदस्य हैं। मैंने इस बात को देखते हुए कि हम सब की ऐसी इच्छा है कि यह चुनाव निर्विरोध हो, स्वयं उनसे इस बात का अनुरोध किया कि वे अपने नाम को वापिस लें और उन्होंने कृपा करके मेरे इस अनुरोध की रक्षा की। मैं विशेष रूप से उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं और पुनः आपको बधाई देता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अपने कर्त्तव्य को पालन करने में आप हम लोगों की जिस प्रकार से सहायता चाहेंगे, आपकी सेवा में अर्पित करने के लिये हम तत्पर रहेंगे।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमन् के निर्विरोध चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आपको बधाई देता हूं। साथ ही मैं माननीय नेता सदन के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस सदन में यह सम्भव किया कि विरोधी पक्ष का एक माननीय सदस्य इस आदरणीय सदन का उपाध्यक्ष चुना जाय। इस सदन के हाथ में, उसके अधिकार में दो ही ऐसे स्थान हैं, जिनसे वह माननीय सदस्यों को गौरवान्वित कर सकता है, एक अध्यक्ष और दूसरा उपाध्यक्ष।

श्रीमन्, आपकी जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष की बीमारी के कारण बहुत बड़ी है और यों भी अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी लगभग एक सी ही हुआ करती है। जैसा माननीय नेता सदन ने कहा—निष्पक्षता, दृढ़ता, इस आदरणीय सदन के अधिकारों की रक्षा, इन सबमें उपाध्यक्ष, श्रीमन्, उतना ही जिम्मेदार है जितना कि अध्यक्ष हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि श्रीमान् के कार्यकाल में इस आदरणीय सदन की प्रथायें और कार्य की गति, उसकी व्यवस्था उन्हीं संसदीय प्रथाओं के अनुसार होगी जो इस सदन में ही नहीं बल्कि सारे संसार में सर्वमान्य और प्रचलित हैं। मैं श्रीमान् को फिर अपनी ओर से और प्रजा सोश-लिस्ट पार्टी की ओर से उपाध्यक्ष चुने जाने पर बधाई देता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके सर्व-सम्मत चुनाव पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं, लेकिन आपको बधाई देने के साथ ही साथ यह भी मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि सदन के माननीय नेता को भी इस बात के लिये बधाई दूं कि उन्होंने इस स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा को मान्यता दी कि अगर अध्यक्ष बहुमत दल का होता है तो उपाध्यक्ष विरोधी दल का होना चाहिये। इसके लिये मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं खासतौर पर माननीय गेंदासिंह जी को भी इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया और विरोधी दल की ओर से सर्वसम्मत नाम रखने का आज अवसर दिया और इस प्रकार हम लोगों को यह कहने का मौका मिला कि हमारा नाम सर्वसम्मत है, इसके लिये मैं उनको भी बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं। अपने दल की ओर से मैं फिर आपको धन्यवाद देता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपके इस चुनाव से और आपके कार्यकाल में विरोधी दल और सत्ता-रूढ़ दल में अधिक सहयोग और सद्भावना बढ़ेगी और जिन स्वस्थ परम्पराओं का प्रारम्भ आपके इस चुनाव से हुआ है वह ५ वर्ष तक निरन्तर जारी रहेगी और बढ़ती रहेगी।

राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपके इस निर्विरोध चुने जाने पर मैं अपनी ओर से और जनसंघ की ओर से आपको हार्दिक बधाई देता हूं। श्रीमन्, आपका चुनाव इस बात का स्पष्ट द्योतक है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिये जिस प्रकार की निष्पक्षता, दृढ़ता, प्रामाणिकता और सहृदयता चाहिये, वह आप में है और उसका प्रमाण यह है कि आज विरोधी दल की ओर से और सत्ताधारी दल की ओर से, दोनों ओर से ही आपका निर्विरोध चुनाव हुआ। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को और विरोधी दल के लोगों को भी बधाई देता हूं कि उन्होंने आज एक स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा के निर्माण में सहयोग दिया है। उनका यह कार्य बहुत ही प्रशंसनीय व बधाई के योग्य है कि विरोधी दल के लोगों ने जिनका नाम प्रस्तावित किया गया था, अपना नाम वापस ले लिया और इसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं, क्योंकि उन्होंने एक स्वस्थ जनतांत्रिक परम्परा के स्वरूप को स्पष्ट करने में सहयोग दिया है। इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। इसके उपरान्त मैं अपनी ओर से और जनसंघ की ओर से आपको बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि सदन की मान-मर्यादा की रक्षा के लिये सदा आप तत्पर रहेंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम लोगों का आप को सदा ही पूर्ण सहयोग प्राप्त रहेगा।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्विरोध निर्वाचन पर अपनी ओर से तथा साम्यवादी दल की ओर से आपको हृदय से बधाई देता हूं। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस सदन के माननीय अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों ही निर्विरोध चुने गये और इन निर्विरोध निर्वाचनों से इस सदन की मान-मर्यादा और प्रतिष्ठा बढ़ी है। इस सम्बन्ध में मैं यहां के शासक दल को भी हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि जिस ने इस प्रदेश में लोकतंत्रीय परम्परा को सुदृढ़ करने के लिये आपका चुनाव निर्विरोध करने में पूर्ण सहयोग दिया है और सफल बनाया है। वे बहुमत में थे उन्हें इस बात का पूर्ण अधिकार था कि वे चुनाव लड़ते और हम जानते हैं कि इस प्रदेश में हमारे लिये यह सम्भव नहीं हो सकता था कि विरोधी दल की ओर से कोई माननीय सदस्य इस पद पर आसीन हो सकता, लेकिन उन्होंने जो यह परम्परा स्थापित की है मैं समझता हूं हमारे प्रदेश में लोकतंत्र जो अभी बाल्यावस्था में है उसको शक्ति प्रदान होगी, उसे बल मिलेगा। मान्यवर, मैं आपकी निष्पक्षता, दृढ़ता, योग्यता और लगन में पूर्ण विश्वास रखता हूं, क्योंकि पहले भी अधिष्ठाता मंडल में रहकर आपने अपने इन गुणों का पूर्ण परिचय दिया है और मैं समझता हूं कि यह भी एक कारण है कि आप को अपने निर्विरोध चुनाव में सफलता मिली है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अपनी ओर से और अपने दल की ओर है कि सदन की मान-मर्यादा की रक्षा के लिये आप के कार्य-संचालन में हम हर समय पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—श्रीमन्, आपके निर्विरोध चुनाव पर मैं आपको बधाई देता हूं और साथ ही साथ मैं सदन के सभी सम्मानित सदस्यों को बधाई देता हूं। श्रीमन्, अभी जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और विभिन्न विरोधी पार्टियों के नेताओं ने कहा कि आपने अधिष्ठाता मंडल में रह कर अपने गुणों का विशेष परिचय दिया है और इस सदन में मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ गुणग्राहक हैं क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपके ऐसे गुण न होते और आप पहले इस पद पर न रहते तो आपका चुनाव निर्विरोध न हो पाता। आपका उस दल से सम्बन्ध रहा है जो कि सरकार से सीधी टक्कर में आता रहा है। मैं यह मानता हूं कि जब तक आपका चुनाव नहीं हुआ था तब तक मैं जरूर यह चाहता था कि आप इस पद पर चुन लिये जायं, अब मुझको ऐसा लगता है कि कहीं आप हमसे छिने तो नहीं जा रहे हैं क्या? (हंसी) मैं अपनी भावनाओं को छिपाकर रखने वाला व्यक्ति नहीं हूं, इसलिए मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। मुझे पहले से ही, कल से ही आभास होने लगा था, मेरे एक समाचार-पत्र के मित्र मुझसे कह भी रहे थे कि त्रिपाठी जी को उपाध्यक्ष पद पर भेज कर तो आप स्वयं ही अपने ऊपर ब्रेक लगा रहे हैं। मैंने उनसे कहा

हम हमेशा जेन्युइन (उचित) रोक लगाने के पक्षपाती हैं और अगर जेन्युइन ब्रेक लगाने की आवश्यकता हुई तो मैं भी अपने को इस कसौटी पर रखूंगा और यह सदन हमें किसी काम में दोषी नहीं ठहरा सकता।

अब श्रीमन्, मैं माननीय मुख्य मंत्री को, नेता सदन को भी इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि इस चुनाव के निर्विरोध होने में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने व्यक्तिगत प्रभाव का भी प्रयोग किया है, जैसा कि उन्होंने कहा भी। उन्हीं शब्दों को सामने रखते हुए मैं अपने मित्र माननीय गेंदासिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी की सलाह मान कर उन्होंने इस चुनाव को निर्विरोध होने में सहायता प्रदान की। मैं उनका आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि यदि नेता सदन, माननीय मुख्य मंत्री जी और माननीय गेंदासिंह का यह परस्पर व्यवहार और प्रगाढ़ होता जायगा तो इस सदन के कार्य में और आसानी आती रहेगी। श्रीमन्, मैं इस अवसर पर माननीय नारायणदत्त जी तिवारी जिन्होंने अपना नाम वापस लिया, माननीय सुल्तानआलम खां, जो कि इस सदन में सबसे बड़े बहुमत दल के सदस्य हैं, उनका विशेष आभारी हूं। उन्होंने भी अपने नाम को प्रस्तावित और समर्थित होने के बाद वापस लिया। उसी के साथ मैं माननीय पालीवाल जी और माननीय झारखंडे राय जी, माननीय यादवेन्द्रदत्त जी दुबे, माननीय चन्द्रजीत जी यादव, यह जो विभिन्न पार्टी के नेतागण यहां हैं उनका भी आभारी हूं, क्योंकि उन्होंने हमारे दल के एक सदस्य में इतना बड़ा विश्वास प्रकट किया कि इनके नेताओं ने कल शाम को ही नेता सदन को निवेदन कर दिया था कि आप माननीय रामनारायण जी को यदि इस पद पर सुशोभित करें और अपनी इच्छा की पूर्ति करें तो इसमें हम लोगों को प्रसन्नता होगी। श्रीमन्, मैं अपनी ओर से और सोशलिस्ट पार्टी की ओर से आपको और इस सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सोशलिस्ट पार्टी संसदीय परम्परा के स्वस्थ विकास और प्रसार में सर्वदा आपका साथ देती रहेगी और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि जब भी कोई ऐसा अवसर हो, हमें कसौटी पर सदन कसने की कोशिश करे।

आपके लिए जरूर मैं यह कहूंगा कि आपने जिन गुणों को अपने में हासिल कर इस पद का निर्विरोध चुनाव होने में सफलता प्राप्त की, आप अपने उन गुणों को बराबर बनाये रखें। कभी भी यदि किसी पार्टी अफीलियेशन के कारण आपको किसी अपने स्वस्थ, स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यवस्था में बाधा उत्पन्न हो तो मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप अपने पार्टी स्वार्थ को कभी सामने न रखिए। (हियर, हियर,) अध्यक्ष और उपाध्यक्ष संसदीय परम्परा और मर्यादा की तभी सुरक्षा कर सकता है जब पार्टी सम्बन्धों से ऊपर रह कर अपनी निष्पक्ष और स्वतन्त्र व्यवस्था सदन में दे। सदन की मर्यादा की सुरक्षा और मर्यादा की सुरक्षा का भार अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के व्यवहार और व्यवस्था पर सर्वोपरि है। इसलिए मैं चाहता हूं और अपने दल की उस भावना को व्यक्त करना चाहता हूं, आपके द्वारा इस सदन के तमाम सम्मानित सदस्यों पर, कि मैं बराबर इस बात का कायल रहा हूं और बराबर इस बात का कायल रहूंगा कि जो भी व्यक्ति इस पद को सुशोभित करे वह व्यक्ति अपने उस पद के सम्मान की सुरक्षा में जितनी दूर तक जा सकना आवश्यक समझे उतनी दूर तक जाय। श्रीमन्, जब से यह सवाल हमारे सामने प्रस्तुत है, मैंने ब्रिटिश हाउस आफ कामन्स और दूसरे स्थानों की संसदीय परम्परा को अध्ययन करने की कोशिश की है। मैंने बहुत से लोगों से जो इसके जानकार रहे हैं यह जानने की कोशिश की है कि क्या कहीं भी जहां पर संसदीय परम्परा हो, पार्लियामेंट्री सिस्टम कायम हो, वहां उपाध्यक्ष चुनाव होने के बाद पार्टी से अपना सम्बन्ध-विच्छेद करता है या नहीं? आज भी मैं बहुत प्रयत्न में था कि इसके बारे में सही जानकारी हासिल करूं, मगर अभी तक मेरे सामने एक भी कोई ऐसी नजीर नहीं आयी जिसमें यह बात आयी हो कि उपाध्यक्ष चुनाव होने के बाद पार्टी से सम्बन्ध-विच्छेद की घोषणा करता हो। मैं चाहूंगा कि यदि जनतान्त्रिक परम्परा के स्वस्थ विकास के लिये यह काम भी करना पड़े तो आप कर डालें।

मैं इसको भी साफ कहना चाहता हूं कि माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुपस्थिति में ही उपाध्यक्ष को काम करना होता है। अध्यक्ष जब तक उपस्थित रहता है उपाध्यक्ष के पद

[श्री राजनारायण]

की कोई इस सदन में महत्ता नहीं है । उपाध्यक्ष बराबर विरोधी दल के साथ बैठता है, नेता विरोधी दल के पास इसीलिये उसकी सीट रहती है । यह मैं आपको साफ बताना चाहता हूं, इस सदन के सदस्यों को भी बताना चाहता हूं कि नेता सदन ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने और कांग्रेस दल के लोगों ने जो यह परम्परा का पालन किया है इसको दूसरे लोग कोई बहुत बड़ी विशेष कृपा न समझें, यह कोई कृपा की बात नहीं है । उन्होंने अपने कर्त्तव्य का पालन किया है, वह अपने कर्त्तव्य का पालन करते रहेंगे, हमको ऐसा विश्वास है । जो संसदीय परम्परा इस समय तमाम दुनिया में कायम है, उस संसदीय परम्परा को यहां पर चरितार्थ करने का प्रथम बार मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में कांग्रेस दल ने प्रयास किया है और उन्होंने इसमें सफलता हासिल की और इस काम को करके जितना उन्होंने विरोधी दल के सम्मान को बढ़ाया उससे ज्यादा अपने सम्मान को बढ़ाया और कांग्रेस दल के सम्मान को बढ़ाया, ऐसा कहने में कोई तनिक भी हिचक नहीं है ।

अब एक बात मैं प्रशंसा की कहूंगा, अपने दल की भी प्रशंसा कर देना चाहता हूं, क्योंकि इस सदन में ५ साल पूर्व काम करने पर हमने अपने दल में एक सदस्य तो ऐसा पैदा किया जिसमें इस सदन के तमाम सदस्यों का विश्वास है । अगर हम किसी प्रशंसा के पात्र हों तो उसको हम क्यों न लें ? यह हमारा गौरव है, क्योंकि जिन-जिन कमेटियों में, मैं बतलाऊंगा इस समय कि माननीय रामनारायण त्रिपाठी जब प्रिविलेज कमेटी में रहे हैं और मेरा मामला उसमें रहा है, एक भी कोई वाकया नहीं कह सकता कि हमने उनसे बातचीत की हो । हमने कभी उनसे बातचीत नहीं की जब प्रिविलेज कमेटी में हमारी बात थी । उपाध्यक्ष के पद में जितनी निष्पक्षता की आवश्यकता हो, जितनी अधिक से अधिक दूर जाकर इस पद की मर्यादा की सुरक्षा करने में वह सफल हो सकें, सफल हों । यह हमारी कामना रहेगी ।

श्री उपाध्यक्ष—माननीय नेता सदन, माननीय नेता विरोधी दल तथा अन्य दलों के नेतागण,

आपने मेरे प्रति जिन उदार भावनाओं को प्रकट किया है उनको सुनने के बाद अनेक प्रकार की भावनायें मेरे मन में उठ रही हैं और वास्तविकता यह है कि मेरे पास वास्तविक शब्द नहीं मिलते जिनके जरिये से मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करूं । सम्भवत: भारत की सबसे बड़ी विधान सभा के उपाध्यक्ष पद के लिये मुझे निर्विरोध चुनकर जो आपने गौरव प्रदान किया है वह सर्वथा प्रशंसनीय है और जब मैं यह सोचता हूं कि क्या वाकई जिन भावनाओं को यहां प्रकट किया गया है उनके मैं योग्य हूं तो अपने बारे में मुझे जरा भी भ्रम नहीं है कि जो भावनायें मेरे प्रति प्रकट की गई हैं मैं उनके सर्वथा अयोग्य हूं । लेकिन मैं जानता हूं कि आप उदार हैं और आपने उदारता से मेरा उत्साहवर्द्धन किया है । मैं इसलिये कृतज्ञ हूं । जिन माननीय सदस्यों ने मेरे इस पद के निर्विरोध निर्वाचन के लिये अपना नाम वापस लिया है उनका मैं विशेष रूप से कृतज्ञ हूं, क्योंकि उनमें से किसी की बराबरी में मैं अपने को सर्वथा अयोग्य मानता हूं । यह उनकी महान् अनुकम्पा और उदारता है कि उन्होंने अपना नाम वापस लेकर मुझे एक सेवा का मौका दिया है ।" माननीय नेता सदन के प्रति तो सभी दलों ने कृतज्ञता प्रगट की और मैं भी अपनी कृतज्ञता प्रकट करना चाहता हूं कि विरोधी दल की मांग को स्वीकार करके उन्होंने जो परम्परा कायम की है और जहां तक मेरी जानकारी है हमारे देश भर में उत्तर प्रदेश ही ऐसा प्रदेश है जहां कि यह परम्परा कायम हुई है अभी तक किसी और प्रदेश में नहीं है, इसलिये वे और उनका दल विशेष धन्यवाद का पात्र है ।"

मैं संसदीय पद्धति और परम्परा का एक विद्यार्थी हूं । ऐसा विद्यार्थी नहीं कि जिसने कई किताबें पढ़ी हों बल्कि जिसने अभी क, ख, ग से शुरू किया हो और मैं जानता हूं कि जो कर्त्तव्य मेरे कमजोर कन्धों पर डाला गया है, उनको सम्हालने के लिये मैं सर्वथा अयोग्य हूं । लेकिन मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि आपकी सद्भावना और सहयोग से इसका निर्वाह

करने में मैं सफलीभूत हूंगा। संसदीय परम्परा और प्रथा के बारे में जब मैं सोचता हूं तो मेरी राय में यह एक अथाह समुद्र है। जिस तरह से विज्ञान और गणित के बारे में न्यूटन ने कहा था कि जीवन भर अध्ययन करने के बाद कोई मनुष्य उसी बालक के समान रह जाता है जो समुद्र के किनारे कुछ कंकड़ बटोरकर अपने को आनन्दित कर लेता है, उसी तरह से संसदीय पद्धति भी एक अथाह समुद्र है और मैं समझता हूं कि जीवन भर प्रयत्न करने के बाद भी मैं सदा एक विद्यार्थी ही रहूंगा और जहां तक कुशलता प्राप्त करने का सवाल है वह असम्भव सा है। मैं तो यह समझता हूं कि इस माननीय सदन के हर एक सदस्य से मुझे कुछ सीखना है और आपके सहयोग और शुभकामना से ही मैं इस सम्बन्ध में सफलीभूत हो सकता हूं।

कर्त्तव्यों का ज्ञान होना मैं जानता हूं बड़ा आसान है पर उनका पालन करना बड़ा कठिन है। माननीय लोकसभा के स्वर्गीय अध्यक्ष माननीय मावलंकर जी ने इन आसान कर्त्तव्यों के पालन के बारे में चर्चा करते हुये एक समय कहा था कि यह कुर्सी ऐसी है कि जहां बैठते ही मनुष्य स्वाभाविक रूप से पार्टी से सम्बन्ध भूल जाता है और इस सदन में जो कुछ अवसर मुझे प्राप्त हुआ इस आसन पर बैठने का मैंने खुद भी इस जादू का अनुभव किया और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब भी इस सदन की मर्यादा और मान को ऊंचा करने का प्रश्न उठेगा उसके प्रति मैं अपने कर्त्तव्यों का पूर्ण रूप से निर्वहन करूंगा और रास्ते में यदि मेरा पार्टी सम्बन्ध रुकावट डालता है तो मैं इस आसन के कर्त्तव्यों को अपनी पार्टी के सम्बन्ध के मुकाबिले में तरजीह दूंगा।

मैं इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष का भी कृतज्ञ हूं जिन्होंने कि अभी-अभी टेलीफोन से मुझे बधाई दी है और उन्होंने यह व्यक्त किया है कि सदन को भी इस निर्वाचन के लिये वह बधाई देना चाहते हैं। मैं उनका भी कृतज्ञ हूं। मैं उनके प्रति विशेष श्रद्धा रखता हूं और मैं समझता हूं कि उनकी सेवा में, उनके सहयोग में रहकर मुझे कुछ सीखने का मौका मिलेगा। आज तक संसदीय परम्परा में जितने अग्रदूत चाहे लोक सभा में या विधान सभाओं में रहे हों, मैं भरसक यही प्रयत्न करूंगा, कि उनके पद चिन्हों पर चलूं और उनके नाम को कलंकित न होने दूं। मैं नेता सदन और तमाम दलों से यही आशा करता हूं कि यह इतना बड़ा बोझ ये कमजोर कंधे उठा नहीं सकते जब तक कि उनकी शुभ कामनायें और सहयोग मेरे साथ न हो। सभी दलों के नेताओं ने आश्वासन दिया है इससे मेरी हिम्मत बढ़ी है और मैं उनका बराबर कृतज्ञ हूं।

पार्टी से सम्बन्ध-विच्छेद करने के सम्बन्ध में मैं निश्चित राय नहीं बना सका हूं। मैं अभी अध्ययन कर रहा हूं और यदि उपाध्यक्ष पद के लिये कहीं भी इस बात की नजीर मिलेगी तो मैं पार्टी से सम्बन्ध-विच्छेद करने में एक सैकिंड में हजारवां हिस्सा भी नहीं लूंगा।

मैं विधान मंडल तथा सभा सचिवालय के सचिव और उनके अधिकारियों और कर्मचारियों से भी सहयोग की आशा करता हूं और सभी दलों को, तमाम माननीय सदस्यों को इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यदि मेरे कार्यकाल में इस आसन की मर्यादा और शान ऊंची हुई तो मैं अपने जीवन को सफल समझूंगा।

मैं अन्त में बार-बार फिर आप लोगों को बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने यह संभव किया कि मेरा निर्विरोध चुनाव हो सका और मैं फिर विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने कर्त्तव्य के पालन में न्याय, निष्पक्षता और दृढ़ता को बरतूंगा।

अन्त में मैं एक निश्चय की घोषणा करना चाहता हूं। मैंने यह निश्चय किया है कि अपने वेतन में प्रतिमास २५० रुपये स्वेच्छा से कटौती कर केवल ५०० रुपये ग्रहण करूंगा।

अन्त में फिर आप सभी पक्षों को धन्यवाद देता हूं और इस बात की आशा करता हूं कि आप अपनी शुभ कामनाओं और सहयोग से हमारे रास्ते को साफ-सुथरा बनायेंगे और अपने कर्त्तव्य में लक्ष्य तक पहुंचाने में मेरी मदद करेंगे।

†उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७

*न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७, उत्तर प्रदेश विधान मंडल के दोनों सदनों की एक संयुक्त प्रवर समिति को विचारार्थ निर्दिष्ट कर दिया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे ख़याल में कोई चार वर्ष हुये जब सरकार ने यह फैसला किया था कि हम कम से कम ५ कार्पोरेशन अपने इस सूबे में बनायें और उसी जमाने में ५ ऐसे म्युनिसिपल बोर्ड जो काम कर रहे थे जहां पर कि सदस्य निर्वाचित थे उनको भी खत्म कर दिया गया। ख़याल यह था कि साल दो साल के अन्दर कानून बन जायगा और फिर चुनाव हो जायगा, लेकिन जब काम हाथ में ले लिया गया तो वह इतना बड़ा साबित हुआ कि उसमें इतनी देर हो गई जिसके लिये सरकार को अफसोस है। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी है कि आज मैं यह तजवीज पेश कर रहा हूं कि कार्पोरेशन बिल को एक ज्वाइंट सेलेक्ट कमेटी के हवाले कर दिया जाय।

सवाल यह है कि कार्पोरेशन की जरूरत क्यों है ? माननीय सदस्य जानते हैं कि हमारे म्युनिसिपल बोर्ड्स मुख्तलिफ दरजों के हैं। एक तो शुरू होता है टाउन एरिया और नोटिफाइड एरिया से वे भी एक किस्म के म्युनिसिपल बोर्ड हैं। उसके अलावा बोर्ड्स के ५ ग्रेड हैं, जो अपनी आमदनी के लिहाज से अब तक ग्रेड किये जाते हैं। कार्पोरेशन एक ऐसी जगह होती है कि जिसमें बहुत ज्यादा अधिकार वहां के चुने नुमाइंदों को दिया जाता है। इस वजह से हमारे मुल्क में आज ६-७ कार्पोरेशन बड़े-बड़े शहरों में बने हुये हैं और वह काम कर रहे हैं। मुझे याद है, लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट कमेटी की मीटिंग हो रही थी, इस सम्बन्ध में और उसको सरकार की तरफ से कुछ रुपया दिया गया, यहां के म्युनिसिपल बोर्ड्स के लिये पानी और ड्रेनेज के लिये कुछ रुपया निर्धारित किया गया। कमेटी में वहां के जो अफसरान थे उन्होंने तजवीज पेश कर दी-४० करोड़ रुपये की, कि उसमें से १० करोड़ रुपया कार्पोरेशन को दिया जायगा और सिर्फ ३० करोड़ रुपया जो बाकी बचेगा वह रुपया म्युनिसिपल बोर्डों में तकसीम होगा। मैंने उनसे बहुत कहा कि साहब कार्पोरेशन कहने को तो आप कहेंगे कि यू० पी० में नहीं है, हालांकि यह सब से बड़ा सूबा है। हमारे सूबे में बहुत से ऐसे शहर हैं जो कार्पोरेशन बनने के काबिल हैं। हमारा बिल भी असेम्बली में पेश हो चुका है और इसमें हमको भी हिस्सा मिलना चाहिये, लेकिन बावजूद सारी कोशिशों के उन्होंने सिर्फ उन्हीं ७-८ म्युनिसिपल कार्पोरेशन को, जो उस वक्त मौजूद थे, रुपया बांट दिया और उस ३० करोड़ रुपया से, जो तमाम म्युनिसिपल बोर्ड्स में तकसीम हुआ, हमें भी उसमें से मिला।

बहरहाल कार्पोरेशन की एक खास अहमियत और हैसियत होती है और इन सब बातों का लिहाज रखते हुये बहुत जहमत के साथ और कोशिश करके यह कानून बनाया गया है जो आपके सामने पेश है। मैं यह नहीं कहता कि कानून बजात खुद मुकम्मल है, इसमें बहुत सी खामियां हैं और जाहिर है कि जब ५७६ धाराओं का कोई कानून बनेगा, विधेयक बनेगा, तो उसके लिये यह समझना कि यह मुकम्मल है अपनी जगह पर, यह तो किसी तरह से मुमकिन नहीं है। मुमकिन है कि बहुत से उसूलों में हमारा आपका मतभेद हो, बहुत से ऐसे प्राविजन्स हैं उनमें इख्तलाफ हो, इसलिये इस बात की जरूरत है कि एक ज्वाइन्ट सेलेक्ट कमेटी बन जाय, जिस में इस कानून के ऊपर पूरे तौर से गौर हो सके, ताकि जो हम आखिर में कानून हाउस के सामने पेश करें, वह करीब करीब ऐसा हो कि जिसके ऊपर मुख्तलिफ दलों का इत्तफाक हो और वह मुत्तफिक हों कि इस कानून को इस सूरत में पास कर दिया जाय और लागू कर दिया जाय।

---

†१८ अप्रैल, १९५७ को प्रतिलिपि मेज पर रखी गई।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जहां तक मैं समझता हूं इस उसूल से हमारे यहां कम से कम ५ कार्पोरेशन फौरन बन जाने चाहिये। इससे शायद किसी को इन्कार नहीं होगा। यह मुमकिन है कि शुरू में शायद दो ही बनें और तीन कारपोरेशन बाद को बनें, लेकिन बहरहाल यह चीज भी कोई बहुत अहमियत नहीं रखती है। यह तो सुविधा के ऊपर है बाद में तजर्बे की बिना पर कार्पोरेशन बनते जायेंगे।

अब जैसा कि इस कानून में रखा गया है, वह कार्पोरेशन किस तरह का हो सकता है? पहले तो एक कार्पोरेशन बाडी है कि जिसमें तकरीबन सौ मेम्बर होंगे वह एक बड़ी जमाअत होगी जिसमें से कुछ मेम्बर डायरेक्ट एलेक्शन से चुने जायेंगे। वह "कौंसिलर्स" कहलायेंगे और खयाल यह है कि तीन चौथाई के करीब जो मेम्बर होंगे कार्पोरेशन के, वे कौंसिलर्स की हैसियत से वहां आयेंगे। उसके बाद दूसरी एक क्लास होगी मेम्बरों की, जो 'एल्डरमेन' कहलायेंगे, और खयाल है कि उसमें ज्यादा तजुर्बेकार लोग होंगे, या ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा एलेक्शंस आम तौर से नहीं लड़ सकते हैं, मगर शहर की तरक्की में बेहतर राय दे सकते हैं और मदद दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों के लिये इनडायरेक्ट एलेक्शन रखा गया है। तो जितनी तादाद कौंसिलर्स की होगी उसके एक तिहाई एल्डरमेन होंगे। इसके माने यह हैं कि पूरे हाउस के जितने मेम्बर्स होंगे उसके ४/५ तो कौंसिलर्स चुनेंगे लेकिन १/५ ऐसे होंगे जिनको नामजद करने का अधिकार सरकार को होगा। कौंसिलर्स ७५ के ७५ जनरल फ्रेंचाइज से चुनकर आयेंगे। इसमें यह भी इन्तजाम किया गया है, जैसा हमारी विधान सभा में है कि जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं उनके लिये २६ जनवरी, १९६० तक रेजर्वेशन रहेगा। तो जो चुनाव इसके पहले होगा उसमें उनके लिए अलग जगहें मखसूस कर दी जायंगी।

एक और बात हमने अपने यहां रखी है और वह यह है कि हमारे यहां के कार्पोरेशन परमानेन्ट बाडी होंगी। परमानेन्ट बाडी के माने यह हैं कि पूरा कार्पोरेशन सिवाय उस हालत के कि जब सरकार उसको भंग करदे बराबर कायम रहेगा। होगा यह कि एल्डरमेन के १/३ हर दूसरे साल अलग हो जायेंगे और उनकी जगह पर दूसरे चुनाव हो जायेंगे और जो कौंसिलर्स हैं उनके चौथाई मेम्बर्स हर साल अलग हो जायेंगे और उतने नये मेम्बर उसमें आ जायेंगे। इसका नतीजा यह होगा कि हर एल्डरमेन का टर्म आफ आफिस ६ वर्ष का होगा और हर कौंसिलर का टर्म आफ आफिस ४ वर्ष का होगा और चौथाई मेम्बर उनके और १/३ मेम्बर एल्डरमेन के बराबर बदलते रहेंगे। तो जहां-तक कार्पोरेशन का ताल्लुक है वह अपनी जगह पर कायम रहेगा, लेकिन उसमें नये आदमी बराबर चुन कर आते रहेंगे और अगर कोई नयी चीज वे इंट्रीड्यूस करना चाहें तो वह कर सकेंगे।

इसके बाद, जैसा आप जानते हैं, एक मेयर होता है और एक डिप्टी मेयर होता है। मेयर तो कोई शख्स भी जो उस शहर का रहने वाला हो और जो क्वालिफिकेशन्स दी हैं उनको फुलफिल करता हो वह हो सकता है, चाहे वह कार्पोरेशन का मेम्बर हो या न हो। लेकिन डिप्टी मेयर वही होगा जो पहले कार्पोरेशन का मेम्बर चुना जा चुका हो। इन दोनों का टर्म आफ आफिस साल भर का होगा। मेयर के लिये यह रखा गया है कि दो सक्सेसिव टर्म्स तक एक आदमी मेयर रह सकता है, लेकिन तीसरे टर्म का चुनाव वह नहीं लड़ सकता।

जहां तक कार्पोरेशन के एग्जीक्यूटिव पावर्स का ताल्लुक है, जितने कार्पोरेशन हैं उनमें यही तरीका है कि एक म्युनिसिपल कमिश्नर होता है और उसको पूरा अधिकार होता है कि जो-जो फैसले हों, उनको वह एग्जीक्यूट करे। हमारा खयाल है कि म्युनिसिपल कमिश्नर ऐसा सीनियर आफिसर हो जो यह पूरी जिम्मेदारी को संभाल सके। उसके लिये यह है कि वह गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट होगा और तीन साल के लिये नियुक्त किया जायगा और उसके बाद अगर कार्पोरेशन उसका एक्सटेन्शन चाहेगा तो फिर उसका एक्सटेन्शन हो जायगा। लेकिन अगर किसी सूरत में कार्पोरेशन को वह पसन्द न हो तो एक तादाद लिख दी गयी है कि अगर इतने मेम्बर कार्पोरेशन के उसको नहीं चाहेंगे तो गवर्नमेन्ट उसको वापस बुला लेगी और उसका तबादला हो जायगा।

[श्री सैयद अली जहीर]

इसके अलावा सिर्फ दो कमेटियां कार्पोरेशन की होंगी। एक स्टैंडिंग कमेटी होगी जिसके १२ मेम्बर होंगे। उसको तमाम वे फरायज़ अन्जाम देने होंगे जैसे बजट का बनाना, कार्पोरेशन के फाइनेन्सेज की निगरानी करना और टैक्सेज़ वगैरह के मुताल्लिक फैसला करना। यह सब काम स्टैन्डिंग कमेटी के मुताल्लिक होगा। जितने और इंतजाम के काम हैं वह उस स्टैंडिंग कमेटी के मुताल्लिक रहा करेंगे और वह उनका इंतजाम करेगी।

मेयर इसका एक्स-आफिसिओ चेयरमैन होगा।

इसी के साथ-साथ एक दूसरी कमेटी है जो स्टेटुटरी होगी उसका नाम इम्प्रूवमेन्ट कमेटी है। शहरों की तरक्की के लिये कई नई बातें जरूरी होती हैं जैसे किसी लोकेलटी को दुरुस्त करना है कहीं सड़क निकालनी है, या मकान बनवाना है, वह सब उस कमेटी के जिम्मे होंगा। इन पांचों कैंबाल टाउन्स में इम्प्रूवमेंट कमेटीज़ बनी हुई हैं और डेवलपमेंट कमेटी भी कानपुर में बनी हुई है। जो काम यह इम्प्रूवमेन्ट कमेटीज़ या कानपूर की डेवलपमेंट कमेटी कर रही है वह उसके मातहत कर दिया जायगा और वह कमेटी उनको अंजाम देगी।

जैसा मैंने अर्ज़ किया कि यह कमेटियां साल साल भर के लिये चुनी जायेंगी और साल भर के बाद दूसरी चुनी जायंगी। जैसा आप जानते हैं कि सबसे बड़ा फर्क कार्पोरेशन और म्युनिसिपल बोर्ड में जो होता है वह फाइनेंसेज़ का है। जहां तक कार्पोरेशन का ताल्लुक है उसके फाइनेंसेज के लिये खास तौर से अधिकार दिया जाता है कि म्युनिसिपल फंड शुरू किया जाय और स्टेट बैंक में या किसी दूसरे शिड्यूल्ड बैंक में उस फंड को रखेंगे। किस तरह से उसके एकाउन्ट्स आडिट होंगे या कैसे एकाउन्ट्स रखे जायेंगे इस मामले की बहुत तफसील इस बिल की दफा १३९ और १४० में दी है। यह सब उसी में मिलेगा कि यह हिसाब उनका किस तरह से रखा जायगा।

उसके बाद बजट बनाने का सवाल आता है। यह सब से ज्यादा महत्व का काम है। इसके लिये कार्पोरेशन को अख्तियार है कि वह बजट को मंजूर कर देगा और जब तक साल भर के बाद दूसरा बजट नहीं आता है तब तक वह अपनी कमेटियों के द्वारा और म्युनिसिपल कमिश्नरों के द्वारा उस बजट से काम चलाता रहेगा। तो यह बजट की सूरत मैंने बताई कि जो स्टैंडिंग कमेटी है वह उस बजट को बनावेगी और जब वह उसको मंजूर कर लेगी तब वह कार्पोरेशन के सामने पेश किया जावेगा।

जो कार्पोरेशन मकरूज हो गये हैं और जिनकी हालत अच्छी नहीं है, जैसा कि आजकल म्युनिसिपल बोर्ड के लिये भी है, कि, जब उसके बजट को गवर्नमेन्ट मंजूर कर देगी तभी वह लागू होगा, क्योंकि उसमें देखने की जरूरत पड़ेगी कि आया जो कर्जा वह ले रही है उसका वह इंतजाम भी कर सकती है, अदायगी का या नहीं। अगर सही इंतजाम नहीं है तो गवर्नमेन्ट को अधिकार है कि उनके बजट में तरमीम कर दें या बदल दें। वैसे मामूली तौर से अगर कार्पोरेशन ऐसे हैं जिन पर कर्जा नहीं है तो उनको अख्तियार होगा कि जो उनका अपना बजट है उसे वे मंजूर करें और उसको लागू करें। गवर्नमेन्ट को ऐसे कार्पोरेशन पर कोई अख्तियार नहीं होगा।

इस सिलसिले में जैसा मैंने अर्ज किया कि कार्पोरेशन को अख्तियार होता है कि जो बड़े बड़े काम उनको करने होते हैं मसलन् ड्रेनेज की कोई स्कीम बना रहे हैं या हाउसेज़ या मार्केट बनाने की स्कीम उन्होंने ली है यह सब काम ऐसे हैं और वह जानते हैं कि अगर इसमें रुपया लगा दिया तो वह रुपया हमें मिल जायगा टैक्स की शक्ल में या पानी की सप्लाई करेंगे तो उसकी कीमत में, या मकानों और दूकानों के किराये से, मगर उनके पास इतना कैपिटल तो नहीं होता और इसलिये जब तक सरकार उनकी मदद न करे इतने बड़े कामों में वह नहीं लग सकते और इसके लिये कार्पोरेशन

को हर जगह यह अख्तियार दिया गया कि पब्लिक डिबेंचर्स के जरिये से कर्जा शुरू कर दे और उसके जरिये से वह सूद तय कर दे और उस सूद को अदा करता रहे और पब्लिक डिबेंचर्स के जरिये से रुपया ले सके, ताकि अपनी जो बड़ी बड़ी स्कीमें हैं तरक्की की, उसको वह अंजाम दे सकें। मैं यह अर्ज करूंगा कि यह एक सब से बड़ी और जरूरी पावर है कि जो कारपोरेशन को मिलती है और जिसकी वजह से वह म्युनिसिपल बोर्ड के मुकाबिले में बहुत ज्यादा बेहतर तरीके पर अपने फरायज को अंजाम दे सकते हैं और शहरों की तरक्की में काम कर सकते हैं।

उसके बाद इसमें और दफात हैं। आप देखेंगे कि इसमें मुख्तलिफ टैक्सेज का जिक्र है। तीन टैक्सेज हैं कि जो कम्पलसरी हैं, जो उनको लगाना ही पड़ेंगे। इनके अलावा १० और टैक्सेज का तजकिरा है कि अगर वह चाहें तो उनको लगावें और न चाहें तो न लगावें। यह दफात भी इसमें मौजूद हैं।

इसके बाद मैं और ज्यादा तफसील में इस स्टेज पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि यह मामला इस वक्त तो सेलेक्ट कमेटी को जायगा। इसके उसूल में कोई ज्यादा एख्तिलाफ नहीं है और जब यह बिल सेलेक्ट कमेटी के बाद यहां आयेगा तो एक एक दफा पर हाउस गौर करेगा। बहरहाल इस कानून में और दफात जो हैं वह इसके लिये हैं कि ड्रेनेज का काम किस तरह से होगा, वह कैसे बनेंगे, क्या क्या पावर्स होंगी, कैसे वह मेन्टेन होंगे, उनको इम्प्रूव करने के लिये क्या क्या किया जा सकता है, सड़कों के लिये उनकी क्या जिम्मेदारी है, रोशनी के लिये क्या जिम्मेदारी हैं, स्लाटर हाउसेज आदि की जो जिम्मेदारियां हैं, उन को भी तफसील के साथ इस कानून में रखा गया है और इसी कारण से यह इतना बड़ा हो गया है। आप जानते हैं कि बाज वक्त कार्पोरेशन पर इस तरह की जिम्मेदारी भी आती है कि कोई बीमारी फैल गई, पानी में कोई खराबी आ गई, और उस वजह से उसको फौरन ऐक्शन लेना पड़ता है। इसके लिये भी इसमें प्राविजन किया गया है।

इस कानून में इस बात का भी प्राविजन किया गया है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई फैसला हो जाय तो बाज सूरतों में वह उसकी अपील भी कर सकता है। फर्ज कीजिये कि किसी से कहा गया कि अपनी इमारत गिरा दो या तुम्हारी इमारत से ड्रेन का पाइप जायगा, तो उसको अधिकार दिया गया है कि वह जज, स्माल काज कोर्ट के यहां अपील दायर कर सके। जज स्माल काज कोर्ट को इसमें इसलिये रखा है कि एक तो वह सीनियर होता है और दूसरे उसके पास मुकाबिलतन डिस्ट्रिक्ट जज के ज्यादा वक्त होता है। तो इसलिये कि फैसले में देरी न हो और मामला जल्दी निपट जाय यह मुनासिब समझा गया कि ऐसे मामलों की सुनवाई का अधिकार जज, स्मालकाज कोर्ट को रहे।

इसके अलावा वह अख्तियारात जो अभी तक डिप्टी कमिश्नर के हैं, वह अब कमिश्नर को हासिल होंगे। किसी आदमी पर जो टैक्स लगाया जाता है, अगर वह समझता है कि उस पर टैक्स ज्यादा लग गया है तो वह कमिश्नर के यहां, अपील कर सकेगा, और कमिश्नर के फैसले की अपील का हक बोर्ड आफ रेवेन्यू में दिया गया है, इस कानून के जरिये से।

यह मुख्तलिफ बातें हैं जो मैंने आप के सामने पेश कीं। और बहुत सी बातें हैं जिनको कि अगर आप इस बिल को देखेंगे तो आपको खुद ही मालूम होंगी। इनके अलावा भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो जरूरी थीं और जिनको हमने इस कानून में रखा है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि यह वक्त महज इस बात का फैसला करने का है कि आया हमें इस उसूल से इत्तफाक है या नहीं कि जो हमारे पांच कबाल टाउन्स हैं उनमें कार्पोरेशन बना दिये जायं? मैं समझता हूं कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसा न होगा जो इस उसूल से मुत्तफिक न हो, और अगर आप इस उसूल से इत्तफाक करते हैं तो आप इस बिल को सेलेक्ट कमेटी को रेफर कीजिए। वहां इस पर गौर होगा और जब वहां से वापस आयेगा तो माननीय सदस्यों को इस पर, इसके एक एक क्लाज पर बहस करने नीज गौर करने का मौका मिलेगा।

[श्री सैयद अली जहीर]

मैंने एजेन्डा में देखा है कि बाज तरमीमें इस किस्म की हैं कि यह बिल सेलेक्ट कमेटी से जून तक वापस आ जाय, या जुलाई तक वापस आ जाय। मैं निहायत अदब से अर्ज करूंगा कि यह चीज मुमकिन नहीं है। यह तो इस बात पर मुनहसिर है कि किस रफ्तार से सेलेक्ट कमेटी में काम चलता है। कोशिश तो सरकार की यही होगी कि जल्द से जल्द यह विधेयक इस हाउस में आ जाय। साथ ही इसके जो हमने वायदा किया है कि हम अपने यहां कार्पोरेशन जल्द से जल्द बनायेंगे उसको हम पूरा करें क्योंकि इसमें शक नहीं है कि इस विधेयक के मंजूर होने के फौरन बाद ही चुनाव नहीं होंगे। मंजूर होने के बाद वोटर लिस्ट बनेगी, कांस्टीट्यूएंसी बनेंगी और अलग अलग रूल्स बनेंगे उसमें ६ महीने या साल भर का वक्त जरूर लग जायगा। हम चाहते हैं यह काम जल्द से जल्द हो लेकिन आप कोई मियाद मुकर्रर नहीं कर सकते। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि इसके अन्दर ५७६ धारायें हैं और उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर गौर करने में काफी देर लगेगी इसलिए तीन चार महीने में यकीनन इसका फैसला हो सकेगा। बहरहाल जितनी जल्दी होगी वह कमेटी से आ जायगा। मैं निहायत अदब के साथ अर्ज करूंगा कि इसमें कोई मियाद निर्धारित न करके सेलेक्ट कमेटी को रेफर करें। इसमें ३-४ कौंसिल के मेम्बरान भी नामजद किये जायेंगे और उस कमेटी का काम जल्द से जल्द शुरू हो जायगा। बहरहाल मेरी यह गुजारिश है कि माननीय सदस्य इसको मंजूर करें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं नियम ९५ और ९७ की तरफ माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं। नियम ९५ (ख) में यह है कि विधेयक को एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय। एक विधेयक भार साधक सदस्य यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को एक प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय। उसके बाद नियम ९७ को आप देखें तो उसके भाग (ख) में यह दिया है कि प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय तो कोई सदस्य संशोधन के रूप में यह प्रस्ताव कर सकता है कि विधेयक को राय प्राप्त करने के लिये, उस तिथि तक, जो उस प्रस्ताव में दी गयी हो, घुमाया जाय। इससे यह स्पष्ट है कि ऐसे संशोधन ही नियमानुकूल होंगे जो संयुक्त प्रवर समिति में भेजने के समय जनमत प्राप्त करने के लिये प्रस्ताव के रूप में रखे गये हों या जिनमें निश्चित अवधि के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया हो। इस दृष्टिकोण से जब मैं देखता हूं तो इन सारे संशोधनों में से केवल माननीय पालीवाल जी का ही संशोधन ऐसा है जो सारे नियमों के अनकूल है और निश्चित है। इसलिये मैं पहले उनको इजाजत दूंगा और अन्य माननीय सदस्यों को जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं मैं बोलने का मौका दूंगा।

श्री अवधेशप्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---मान्यवर, जब जनमत संग्रह का प्रश्न हो तभी यह समय निर्धारित करने का प्रश्न होता है। जहां तक प्रवर समिति को भेजने का प्रश्न है उसके लिये यह आवश्यक नहीं है कि उसमें हम मियाद रखें तभी उसको नियमित करार दें। ऐसी इस हाउस की परम्परा भी रही है। यदि आप उन नियमों को फिर से देखेंगे तो आप यही पायेंगे कि यह प्रश्न तभी पैदा होता है जबकि विधेयक को जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने नियम का अध्ययन कर लिया है। माननीय मंत्री जी ने यह प्रस्ताव उपस्थित किया है कि यह विधेयक एक संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट कर दिया जाय और आपका संशोधन है कि इसको संयुक्त प्रवर समिति के बजाय प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय। आपका प्रस्ताव जनमत के लिये घुमाने का नहीं है और न आप अपने संशोधन द्वारा संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट को एक निश्चित अवधि के भीतर तैयार कराना चाहते हैं।

ऐसी दशा में आप का संशोधन नियमानुकूल नहीं है। इस दृष्टिकोण से आप इसका अध्ययन करेंगे तो पालीवाल जी के संशोधन को आप इन आर्डर पायेंगे। फिर भी अगर आप स्पष्टीकरण करके बता सकें तो मैं उस पर गौर करूंगा।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—मैं एक बात जानना चाहता हूं। हमारे सामने जो यह विधेयक है यह बहुत लम्बा चौड़ा विधेयक है। तो हमको पता नहीं चल सका कि यह कब तक चलेगा। कल यह हाउस खत्म हो जायगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के लिये भेज दिया जाय इसके ऊपर कब तक जनरल डिबेट होगी। यह एक बजे तक रहेगी या कल भी रहेगी। इसके बारे में मालूम नहीं हो सका कि इसके लिये क्या तरीका इस्तेमाल होगा।

श्री उपाध्यक्ष—मुझे यह मालूम हुआ है कि सरकारी और विरोधी पक्षों में इस बात का पारस्परिक समझौते के आधार पर, निश्चय हो गया है कि कल इस पर १ बजे तक वाद-विवाद होगा।

हरिजन सहायक राज्य-मंत्री (श्री मंगलाप्रसाद)—उसके बाद यह कौन्सिल में जायगा और वहां से ५ बजे तक नाम आ जावेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है और कल संयुक्त प्रवर समिति बन जावेगी। उसके बाद शायद ३१ जुलाई तक समिति को अपनी रिपोर्ट देनी होगी, कुछ ऐसा तय हुआ है। उसके बाद जब हाउस में आवेगा तब बहुत से तरीके ऐसे हैं जिनसे आप इस पर बहस कर सकते हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं समझता हूं कि मंगलाप्रसाद जी के वक्तव्य से सभी लोग सहमत हैं?

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—मैं एक बात से सहमत नहीं हूं। सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद जब यह विधेयक सदन में आवेगा तब कोई आम वाद-विवाद नहीं हो सकता है। जितना आम वाद-विवाद होना है वह सेलेक्ट कमेटी के पहले ही होना चाहिये ताकि कमेटी उस पर विचार कर सके।

श्री उपाध्यक्ष—नियमानुकूल तो यही है। लेकिन इस सदन की कार्यवाही में ऐसे उदाहरण हैं जब लखनऊ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बिल पेश थे उस समय सर्वसम्मति से यह तय किया गया था। मेरा निश्चित मत है कि अगर सदन ऐसा करना चाहे तो हम संबंधित नियम को निलम्बित करके ऐसा कर सकते हैं।

श्री त्रिलोकीसिंह—मैं श्रीमन् के द्वारा यह निवेदन करूंगा कि परम्परा तो किसी मकसद से होती है। जब सेलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ जावेगी तो आम वाद-विवाद पर गौर कौन करेगा? फौरन धाराओं व संशोधनों पर गौर होना शुरू हो जायगा। बिल के उसूल होते हैं और उनके अन्तर्गत कार्यवाही होती है। सेलेक्ट कमेटी को रेफ्रेंस के बाद आम वाद-विवाद की जरूरत नहीं रह जाती।

एक और बात मैं बड़े अदब से यह निवेदन करूंगा कि यह बिल पूरे तौर पर अजसरेनी कार्पोरेशन के बनाने के मामले से सम्बन्ध रखता है। कोई परिधि नहीं है इसमें कि इतनी ही और उससे आगे नहीं जहांतक उसूलों का सम्बन्ध है, सेलेक्ट कमेटी का और सदन का अधिकार रहेगा कि वह उन पर विचार करे। सेलेक्ट कमेटी में यह बात नहीं है कि वह इतने पर ही विचार करे। इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि जैसा मंगलाप्रसाद जी ने कहा, कल सवा बजे तक इसे विधान परिषद् में भेज दिया जाय और कल ही वहां वे रजामन्दी हमें मिल जाय ताकि कल ही इस सदन के उठने से पहले संयुक्त प्रवर समिति बन जाये।

श्री उपाध्यक्ष---आपकी आपत्ति से मैं सहमत हूं। लेकिन प्रवर समिति की रिपोर्ट के बाद यदि कोई माननीय सदस्य इस पर फिर से वाद-विवाद करने का प्रस्ताव रखें तो आप अपनी आपत्ति पेश कीजियेगा। उस उपयुक्त समय पर मैं अपनी व्यवस्था दूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वशासन मंत्री के उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ सम्बन्धी प्रस्तावना में ये शब्द और जोड़ दिये जायें :

"जो अपनी रिपोर्ट ३१ जुलाई, १९५७ तक दे दे।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अवधि नियत किये जाने के सम्बन्ध में माननीय स्वशासन मंत्री जी के ऐतराज को सुना। मैं एक हद तक उससे सहमत हूं और इस हद तक कि अगर ३१ जुलाई का समय कम पाया जाय तो कुछ और समय बढ़ाने के लिये मैं सहमत हो जाऊंगा। यद्यपि जैसा कि विरोधी दल के नेता माननीय त्रिलोकीसिंह जी याद दिला रहे हैं, यह बात हो चुकी है हम से यह कहा गया है कि ३१ जुलाई वाले संशोधन को स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री सैयद अली जहीर---मैंने दिक्कत बयान कर दी कि यह इतना बड़ा विधेयक है कि इतने समय में वह मंजूर होकर आ जाय यह मुश्किल मालूम होता है। बहरहाल इस वक्त मैं कोई इसरार नहीं करूंगा, अगर बाद में जरूरत हो तो मुद्दत बढ़ा दी जाय। बहरहाल मैं इस मामले पर आपसे इख्तलाफ नहीं करूंगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं माननीय मंत्री जी का इसके लिये बड़ा कृतज्ञ हूं। जैसा कि मैं पहले ही कह रहा था कि मुझे इस बात पर इसरार नहीं है कि ३१ जुलाई ही हो। मगर इस पर इसरार है कि कोई अवधि अवश्य हो। इसका कारण मैं फिर बताऊंगा। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि बजाय ३१ जुलाई के इसकी मियाद ३१ अगस्त कर दी जाय। तो उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन उपस्थित करता हूं। अब मेरा प्रस्ताव इस प्रकार से है :

"जो ३१ अगस्त, १९५७ तक अपनी रिपोर्ट दे दे।"

जहां इस प्रकार मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी के एतराज के वजन को मानता हूं वहां साथ-साथ उन कारणों को भी बता देना चाहता हूं जिनकी वजह से मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं कि कोई मियाद जरूर मुकर्रर होनी चाहिये। उसके कारणों को समझने के लिये कार्पोरेशन बिल के इतिहास की तरफ और स्वशासन सम्बन्धी संस्थाओं के बारे में जो सरकार का रुख रहा है, उसकी तरफ माननीय सदस्यों को ध्यान देना होगा। मैं मिनिस्टर महोदय को यह बता देना चाहता हूं कि इसके बारे में हमारे मन में आग्रह और आशंका क्यों है?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं समझ पाया कि ३१ जुलाई रिपोर्ट देने के लिये प्रस्ताव में रखा हुआ है, क्या उसके बजाय आपने ३१ अगस्त स्वीकार कर लिया है? सदन की स्वीकृति के बिना यह कैसे हो गया?

श्री उपाध्यक्ष---प्रस्तावकर्ता ने स्वयं ही मेरी इजाजत से उसको संशोधित कर दिया है। इसलिये ३१ जुलाई के स्थान पर ३१ अगस्त का रखा जाना नियमानुकूल है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---मैं बयान कर रहा था कि स्वशासन सम्बन्धी संस्थाओं के बारे में तथा उनके चुनाव के सम्बन्ध में इस सरकार की जो नीति और रुख रहा है, दोनों मिल कर इसकी पृष्ठभूमि में हमारे मन में यह आशंका पैदा करती हैं कि अगर इसकी अवधि नियत न की गयी तो अभी कई वर्ष लग सकते हैं, कार्पोरेशन की स्थापना होने में। कौन कह सकता है कि इससे पहले का इतिहास जो चुनाव के सम्बन्ध में रहा है वही अब भी नहीं दोहराया जायगा? माननीय स्वशासन मंत्री जी ने स्वयं यह कहा.....

श्री उपाध्यक्ष---क्या आप और समय लेंगे ?

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---जी हां।

श्री उपाध्यक्ष---अब सवा बज चुका है, आप बाद को अपना भाषण जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर १७ मिनट पर उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा कि मैं सदन के उठने से पहले कह रहा था कि मैं इस संशोधन पर जोर क्यों दे रहा हूं कि इस की अवधि नियत कर दी जाय और उसके भीतर रिपोर्ट आ जाय, इसका कारण अब तक का यहां का इतिहास है। अब तक का इतिहास यह बतलाता है, खासतौर से स्थानीय संस्थाओं के चुनाव के सम्बन्ध में न मालूम क्यों हमारी सत्तारूढ़ पार्टी को डर-सा लगता है, वह हमेशा चुनाव से घबराती है और मालूम होता है कि वह किसी न किसी बहाने चुनाव को टालती रही है, ऐसा मालूम होता है कि उसे चुनाव कम्पज्वर हो गया है। मैंने यह ३१ अगस्त तक की मियाद इसलिये रखी है और मैं केवल कुछ फैक्ट आप की इजाजत से सदन के सामने रखूंगा। आप यहां के पिछले इतिहास को देखें कि सन् ४८ में जब जिला बोर्डों के चुनाव हुये थे तब सरकार का इरादा यह था और चूंकि मैं भी उस समय मंत्रिमंडल का मेम्बर था इसलिये मुझे सरकार का इरादा मालूम था कि साल भर के अन्दर ऐक्ट में संशोधन करके १९४९ में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के दुबारा चुनाव कराये जायं, लेकिन आज साल भर के बजाय ९ साल हो गये, अभी तक उन का कोई नाम भी नहीं ले रहा है। जिस ऐक्ट में साल भर में संशोधन हो रहा था उसमें संशोधन अभी तक नहीं आया है, इसलिये मैं कहता हूं कि यह एतराज बराबर हमेशा से किया जा रहा है और जो सुपरसीडेड म्युनिसिपैलिटीज हैं जैसे अलीगढ़ का मामला है, अनिश्चित काल के लिये सुपरसेशन हो गया और मालूम ऐसा पड़ता है कि अगर सरकार पर जनमत का अधिक प्रभाव न पड़ा तो शायद वह चुनाव न करावे। पता नहीं कि चुनावों के मामले में इतनी सुस्ती और लापरवाही क्यों की जाती है। यह मैंने पिछला इतिहास, इन लोकल संस्थाओं का बताया।

अब इस कार्पोरेशन बिल का क्या इतिहास है वह माननीय स्वशासन मंत्री जी ने कार्पोरेशन बिल के सम्बन्ध में स्वयं बताया था और सरकार की ओर से सन् ५३ में उन्होंने एलान किया था कि एक साल के बाद सन् ५४ में, साल भर में ऐडमिनिस्ट्रेटर्स को खत्म कर के चुनाव करा दिये जायेंगे। ५४ गया, उसके बाद ५५ गया, ५६ गया और अब सन् ५७ जा रहा है और मई के मास में इस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं यह कहते हैं कि अगर ३१ अगस्त तक रिपोर्ट भी आ जाय और वह यहां से पास हो जाय और उसके बाद कौंसिल से भी पास हो जाय तब भी डेढ़ दो साल तमाम बातों के पूरा करने में और चुनाव कराने में लग सकते हैं। तो माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा इस सदन से प्रार्थना करना चाहता हूंकि माननीय सदस्य इस बात पर विचार करें कि सिम्पल रूल आफ थ्री ही अगर एप्लाई कर लिया जाय तो एक की जगह ४ साल लगे और जब अब दो साल की बात कही जा रही है तो कितना समय लगेगा। अगर कोई अवधि नियत न की गई तो पिछले इतिहास के हिसाब से ही ८ साल लग जायेंगे, तो सन् ६१ तो क्या सन् ६२ में चूंकि आम चुनाव होने वाले हैं इसलिये कार्पोरेशन के चुनाव नहीं कराये जा सकते।

यही बात इसके सम्बन्ध में पिछले वर्ष कही गयी थी कि यह चुनाव इसलिये नहीं कराये जा रहे हैं क्योंकि अब आम चुनाव आ रहे हैं। बाई एलेक्शंस जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के पड़े हुये हैं उनके बारे में भी यही दलील दी गयी।

श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)---मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आनरेबिल मिनिस्टर साहब हैं नहीं इस वक्त। मेरे खयाल में उनको जरूर रहना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष---आप कृपया बैठ जाइये । संबंधित विभाग के सभा सचिव यहां उपस्थित हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल---उपाध्यक्ष महोदय, उस तरफ के घरेलू झगड़े से मुझे कोई ताल्लुक नहीं। वह उनका आपस का झगड़ा है, वह उसे अपने घर में सुलझ लेंगे ।

मैं यह कह रहा था कि चुनाव को टालने की बात हमेशा से रही है, अब भी है और अब जब यह बात कही जाती है कि ३१ अगस्त तक भी अगर नहीं हो पाये तो? तो मैं केवल यही निवेदन करना चाहता हूं कि जब स्वशासन मंत्री महोदय स्वयं यह कहते हैं कि उनकी यह ख्वाहिश है कि जल्दी से जल्दी यह विधेयक अधिनियम बन जाय और इसके अनुसार काम होने लगे तो उनकी इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिये इधर के बैठे हुये सदस्य भी उससे ज्यादा ख्वाहिश करते हैं कि उसे जल्दी से जल्दी करने के लिये एक अवधि मुकर्रर कर दी जाय और कोशिश की जाय कि सेलेक्ट कमेटी अपनी रिपोर्ट अवधि के अन्दर दे दे । तब वह अपनी ख्वाहिश पूर्ति का स्वागत करने के बजाय कहते हैं कि उसमें हो नहीं सकेगा, मान तो लेते हैं, इस बात के लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं । इसीलिये मैंने अपने भाषण और दलीलों को और भी संक्षेप में दिया, केवल तथ्य रूप में दिया है । उस पर अधिक वाद-विवाद की आवश्यकता नहीं है । वह बात मान ली गयी है । इसलिये इस बात को छोड़ कर केवल इतनी बात इस सम्बन्ध में कह कर मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि स्थानीय चुनाव जो हैं वह स्वराज्य की पहली सीढ़ी है । वह जनता के राज्य का पहला आधार है और आम लोग, स्थानीय संस्थाओं में जनता की सेवा करके वहां शासन के कार्य करने की क्षमता, और शासन करने का काम सीखते हैं । वह विद्यालय है हमारे नागरिकों को सार्वजनिक स्वशासन की शिक्षा देने के लिये, वहां जनता की सेवा करने के लिये । उसको वर्षों तक स्थगित रखना, जनता को अपने इस अधिकार से वंचित रखना है । मैं यह कहने की क्षमा चाहूंगा कि यह जनतंत्र के लिये घातक है और यह भी कहने के लिये क्षमा चाहूंगा कि इस तरह से चुनावों को वर्षों तक टालना अगर कुछ नहीं तो पोलिटिकल डिसआनेस्टी, राजनीतिक बेईमानी है, ईमानदारी नहीं है । वर्षों तक आप चुनावों को टालते जायं । मुझे तो ऐसा भी भय होता है उपाध्यक्ष महोदय जी, कि अगर प्रदेश में सरकार के हाथ में विधान सभा के चुनावों को कराना होता तो सम्भवतः दस, दस, बीस, बीस वर्ष तक टाल देती । जिन चुनावों को कराने का उसे अधिकार है, उनका इतिहास तो पुकार पुकार कर यही कहता है कि इन चुनावों को वर्षों तक ले जाती । इसीलिये हमने कहा की हमारी यह आशंका और आग्रह कि इसकी अवधि मुकर्रर कर दीजिये निराधार नहीं है । उसके कारण हैं । मुझे यह खुशी है कि उन्होंने यह बात मान ली है ।

अब मैं इस बिल के सिद्धांत के सम्बन्ध में थोड़ी सी बात कह देना चाहता हूं । यह सही है कि इस बिल का उद्देश्य जो है कि कार्पोरेशन कायम किया जाय उससे मैं स्वयं सहमत हूं और जैसा कि स्वशासन मंत्री ने कहा, एक भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जो इससे सहमत न हो । लेकिन इस बिल में जो उसके लिये प्राविजन किया गया है उस पर मुझे तो सख्त एतराज है और वही एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इस समय अधिक वादविवाद का समय नहीं है, और वह यह है कि इस विधेयक में ऐसा मानता हूं कि यह रिट्रोगेट है, पीछे ले जाने वाला है । इसमें जनता के अधिकारों को कम किया गया है । इस बात के प्रमाण में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि जैसा उद्देश्य और कारणों में स्वयं माना गया है कि पहले म्युनिसिपैलिटी में अंग्रेजी राज्य के जमाने में द्वैध शासन था । उस द्वैध शासन को हम सब लोग खत्म करना चाहते थे, खास कर कांग्रेस पार्टी और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया मैं भी इस कांग्रेस पार्टी में बहुत दिनों तक रहा हूं और उस समय कांग्रेस पार्टी के नेताओं के भाषणों को सुनता रहा हूं और कांग्रेस के प्रस्ताव पास हुये हैं, पार्टी में जो प्रस्ताव पास हुये हैं वह सब .....

श्री उपाध्यक्ष---पुराने भुक्तभोगी हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--जी हां। इसीलिये मुझे शंका अधिक है क्योंकि मैं अनुभव के आधार पर आशंका कर रहा हूं। तो उस समय यह कहा जाता था कि स्थानीय संस्थाओं के ऊपर से अधिकारियों का नियंत्रण कम करके उन संस्थाओं के अधिकारों को बढ़ा देना चाहिये। और इसी के मुताबिक म्युनिसिपैलिटियों में डायरेक्ट इलेक्शन चेयरमैनों का कराया गया। यह सब इस बात के सबूत हैं कि जनतंत्र के लिये स्थानीय स्वराज्य के लिये जनता के अधिकार बढ़ाना जरूरी है। इस सिद्धांत को हमारी सत्तारूढ़ पार्टी इससे पहले मानती थी और ऐसे नियम भी उसने इसलिये बनाये और चुनाव कराये, लेकिन उसने अब अपने ही बनाये हुये नियमों को पलट दिया। अब चुनाव भी इनडायरेक्ट होने जा रहा है, म्युनिसिपैलटियों का तो कर दिया गया और अब डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में भी ऐसा ही होने वाला है, और ऐसा सुना जाता है। लेकिन वह भविष्य की बात है। यही बात इसमें भी की गई है, साफ साफ कहा गया है उद्देश्य और कारणों में कि विमर्श और नीति निर्धारण का काम जनता के चुने हुये प्रतिनिधि करेंगे, लेकिन निर्धारित नीतियों के सम्पादन का कार्य अधिकारी करेंगे। और अधिकारी सब किसके अधीन होंगे? म्युनिसिपल कमिश्नर के। म्युनिसिपल कमिश्नर कौन नियुक्त करेगा? धारा ५७ के मुताबिक सरकार नियुक्त करेगी। इस सरकार का नियुक्त किया हुआ म्युनिसिपल कमिश्नर उन नीतियों का सम्पादन करेगा। बाकी सब अधिकारी उसके नीचे रहेंगे। कार्पोरेशन केवल नीति निर्धारित कर दिया करेगा इसके अलावा उसका और कोई काम नहीं है।

एक बात स्वशासन मंत्री जी ने कही कि म्युनिसिपल कमिश्नर तीन साल तक रहेगा और उसके बाद उसको ऐक्सटेंशन दिया जा सकता है, लेकिन अगर वहां का कार्पोरेशन असंतुष्ट है और वह चाहता है, अवधि न बढ़ायी जाय तो अवधि नहीं बढ़ायी जायगी, यह तीन साल बाद होगा, लेकिन तीन साल तक क्या होगा? चाहे मेयर, चाहे समूचा यानी तीन चौथाई से भी अधिक कार्पोरेशन यह समझता रहे कि म्युनिसिपल कमिश्नर निर्धारित नीति के अनुसार काम नहीं कर रहा है तो न मेयर कुछ कर सकता है, न डिप्टी मेयर कुछ कर सकता है, न समूचा कार्पोरेशन कुछ कर सकता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह जनतंत्र है? क्या यह हमें स्वराज्य की तरफ ले जाता है, क्या स्थानीय स्वराज्य की तरफ ले जाता है? तो केवल इस मूल सिद्धांत के ऊपर ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह बात मैंने पहले ही कह दी जो मान ली गई कि ३१ अगस्त तक इसकी रिपोर्ट आ जानी चाहिये। और जो कुछ कहना होगा, जैसा तय हुआ है, आम विवाद जब होगा तब कहूंगा। इसलिये क्योंकि हम चाहते हैं कि कल सवा बजे तक इसको स्वीकार कर लिया जाय और कौन्सिल में भेज दिया जाय। मैं यही कहूंगा कि सत्तारूढ़ पार्टी और विरोधी दल इस बात पर विचार करे कि जो नियंत्रण लगाये गये हैं क्या वह ठीक हैं? क्या वह कम नहीं होने चाहिये, और कम होने चाहिये तो कितने कम होने चाहिये?

श्री गोविन्द नारायण तिवारी (जिला जालौन)--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है कि ३१ अगस्त, १९५७ तक संयुक्त प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट पेश करे, इस संशोधन के समर्थन के लिये मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। वैसे तो जब माननीय स्वशासन मंत्री अपनी बात सदन के सामने फर्मा रहे थे तब उन्होंने और सब बातों के अलावा इस बात पर बड़ा जोर दिया कि कोई टाइम लिमिट न रखी जाय। हमको उनकी बात सुन के बड़ा ताज्जुब हुआ। कबाल टाउन्स उत्तर प्रदेश ऐसे प्रमुख प्रदेश के पांच बड़े-बड़े नगर इतने वर्षों से बिना लोकल गवर्नमेन्ट के बिना स्वशासन की सहूलियत के रह रहे हैं। मैं समझता हूं कि उन पांच कस्बों की आबादी सम्भवतः ७५ लाख जरूर होगी। तो उत्तर प्रदेश के ७५ लाख नागरिक इतने वर्षों से अपने जन्मसिद्ध अधिकारों से वंचित हैं। फिर भी इस माननीय सदन में प्रजातांत्रिक पद्धतियों में विश्वास करने वाली सरकार के मंत्री की ओर से यह कहा जाता है कि इसमें समय निश्चित न किया जाय। इसके साफ मानी यह हैं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह सरकार अब भी कार्पोरेशन का न तो निर्माण करना चाहती है और न यह सरकार इन कबाल

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

टाउन्स के लिये लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट की कोई शीघ्र ही व्यवस्था करना चाहती है। इसलिये यह बात आवश्यक है कि इस सदन का ऐसा आदेश इस विधेयक के सिलसिले में हो कि उसमें एक समय नियत कर दिया जाय।

जहां तक इस विधेयक के जनरल प्रिंसिपल का सवाल है, उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी कोई हत्या हुई तो वह डेमोक्रेसी की हुई, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स की हुई और उसकी जिम्मेदारी इस सरकार के ऊपर है। मैं इस सरकार को इसके पहले वाली सरकार का वारिस मानता हूं। इसलिये उस सरकार को यानी जो सरकार, अप्रैल, १९५७ के पहले वाली सरकार थी उसको भी यही सरकार मानता हूं। इस वजह से जैसा अभी माननीय पालीवाल जी ने कहा कि १९४८ से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव नहीं हुए। यह कितना बड़ा मखौल है प्रजातंत्रवाद का। क्या दुनिया के इतिहास में और भी कोई देश ऐसे मिलेंगे कि जहां कौउन्टी कौंसिल्स के, जहां कार्पोरेशन के या डिस्ट्रिक्ट कौंसिल्स के चुनाव इतने दिनों तक न हों? मैं समझता हूं कि अमेरिका में प्रेसीडेंट का चुनाव चाहे लड़ाई हो, चाहे झगड़ा हो, चाहे जिस तरह की परिस्थिति हो जो नियत तिथि होती है उस नियत तिथि को चुनाव होता है। इस वजह से इस देश में भी यह परम्परा होनी आवश्यक है कि चाहे जो भी परिस्थिति हो, चाहे जो भी संकट हो, चुनाव की जो तिथि हो, चुनाव की जो अवधि हो उसके पश्चात् देश में किसी भी परिस्थिति में चुनाव होना चाहिये। अगर चुनाव नहीं होते तो देश की प्रजातांत्रिक परम्परा को बड़ी ठेस पहुंचेगी।

इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, आपने जाना होगा कि पंचायतों के चुनाव भी बहुत अरसे तक चलते रहे और चुनाव होने के बाद क्या हुआ? हुआ यह कि एक जगह चुनाव हो रहा था गांव में और दूसरी जगह गांव जलाया जा रहा था। जब यह बात कही गई पिछले डिस्कशन में कि चुनाव की पद्धति में भी तब्दीली होनी चाहिये, चुनाव हाथ उठाकर नहीं होना चाहिये तो माननीय मंत्री महोदय ने सरकारी ट्रेजरी बेंचेज से फरमाया कि यह खर्च कहां से आये। जब कोई दलील हाउस में इस तरफ से दी जाती है तो मंत्री महोदय अपनी दलील यह कह के देते हैं कि उसका खर्चा कहां से आवेगा। असल में काम करना नहीं चाहते। असल में यह सरकार फिजूलखर्च सरकार है, असल में यह सरकार पब्लिक एक्सचेकर को बर्बाद करती है। इस वजह से जहां प्रजातांत्रिक पद्धति को तरक्की का सवाल होता है वहां यह सरकार खर्च का सवाल पेश कर देती है। मैं केवल आपके द्वारा इस सदन की जानकारी के लिये यह कहूं कि पंचायत के चुनाव में ग्राम सभा के सभापति के कैंडीडेचर के लिये १२ रुपया और ग्राम सभा के सदस्य के कैंडीडेचर के लिये ६ रुपया लगाया गया। एक गांव ने मेरी जानकारी में ढाई सौ रुपया दिया। तो ढाई ढाई सौ रुपये पंचायतों के चुनाव के जरिये से इस सरकार ने एक पंचायत से वसूल किये और उस गांव पंचायत के चुनाव के सिलसिले में खर्च किया मुश्किल से ३० रुपये। तो यह सरकार तो चुनाव के जरिये से भी कमाना चाहती है। पंचायत के चुनाव के जरिये से जितना रुपया इस सरकार ने प्राप्त किया उसका अगर आधा रुपया भी यह सरकार खर्च करती तो जरूर चुनाव बैलेट बाक्सेज के जरिये से होते और अगर चुनाव बैलेट बाक्सेज के जरिये से होते तो जो आज बदअमनी हमारे प्रान्त में हो रही है, जो बदमजगी फैल रही है, जो पार्टीबन्दी जगह जगह हो रही है और जिससे बहुत से अपराध हो रहे हैं वे न होते और शासन व प्रशासन की व्यवस्था दूसरी ही होती।

मैंने इसका निवेदन करना इसलिये आवश्यक समझा कि सरकार की तरफ से हमेशा रुपये पैसे का सवाल किया जाता है। मैं इसी सिलसिले में यह भी निवेदन कर दूं कि यह प्रान्तीय रक्षक दल आखिर है क्या। उसका खर्चा कम कर दिया जाय। इन प्रजातांत्रिक पद्धतियों की तरक्की के लिये तो खर्चा कहीं न कहीं से लाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकार तो ऐसे बहुत से विभाग

कायम करना चाहती है जिसमें जनता के धन का दुरुपयोग होता है । इसीलिये अपने प्रदेश में सरकार के द्वारा प्रजातांत्रिक पद्धतियों की तरक्की के लिये तो खर्चा कहीं न कहीं से लाना पड़ेगा ।

इस प्रदेश में चुनाव तो होता ही नहीं। कार्पोरेशन का चुनाव कबाल टाउन्स में म्युनिसिपल बोर्ड स के खत्म होने के बाद जाने कब का हो जाना चाहिये था, मगर नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि यह सरकार इस बात में विश्वास नहीं करती गवर्नमेन्ट आफ दी पीपुल, बाई दी पीपुल एंड फार दी पीपुल । यह सरकार विश्वास करती है गवर्नमेन्ट आफ दी कांग्रेस बाई दी कांग्रेस और फार दी कांग्रेस में। इसी वजह से जब यह सरकार यह देखती है कि कांग्रेस की पार्टी को, कांग्रेस वालों को चुनाव करने से फायदा है तब यह सरकार चुनाव का ऐलान करती है और जब तक इस सरकार के नक्शे में यह बात नहीं आती है तब यह सरकार चुनाव करने की बात नहीं करती है। उसका उदाहरण यह है कि अभी अभी जब म्युनिसिपल बोर्ड स के चुनाव हुये, उसमें श्रीमन्, यह सदन जानता है कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ऐक्ट, १९४८ में यह प्राविजन था कि डायरेक्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स के चेयरमैन का होगा और वही प्राविजन आज भी कंटिन्य कर रहा है। यह इसलिये हुआ कि सन् ४८ में उत्तर प्रदेश में करीब-करीब सभी जिलों में कांग्रेस के प्रेसीडेंट हुये और सभी जिलों में करीब-करीब कांग्रेस पार्टी के मेम्बर्स हुये। उस समय इस प्रदेश में कोई विरोधी दल नहीं था। इसलिये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स में आज कांग्रेस के आदमी बैठे हुये हैं। इसलिये कांग्रेस की गवर्नमेन्ट उन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड स को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती और न उनकी बाबत कोई बिल हाउस के सामने लाना चाहती है ।

म्युनिसिपल बोर्ड स के चुनाव में इसके विपरीत बात हुई थी। वहां पर बहुत सी जगह कांग्रेस की पराजय हुई। श्रीमन्, मैं अपने जिले की बात जानता हूं। औरई और कोंच म्युनिसिपल बोर्ड में और माधोगढ़ टाउन एरिया में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी को विजय हुई। कोंच म्युनिसिपल बोर्ड में इसके बाद क्या हुआ ? यह, श्रीमन्, एक इतिहास की बात है । जब इतिहासकार वहां का इतिहास लिखेगा तो लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट को वर्किंग के बारे में इस सरकार की रिजीम में तब वह लिखेगा ऐसी कहानी जिस कहानी से, जिन घटनाओं से आने वाली सरकार का सर नीचा होगा। मैं, श्रीमन्, इस सिलसिले में यह भी कह दूं कि कोंच म्युनिसिपल बोर्ड में पी० एस० पी० के चेयरमैन के खिलाफ नो कांफीडेंस मोशन लाया गया। उस पर चुनाव होने को था। जिस दिन चुनाव होना था कांग्रेस वालों ने जब देखा कि पी०एस०पी० का ही कैंडिडेट फिर चेयरमैन हो जायगा तो कमिश्नर साहब ने चन्द्र ग्रहण के नाम पर छुट्टी दे दी। बड़ा दुख हुआ। उसी दिन सारे जिला जालौन में पंचायत के चुनाव हो रहे थे। गांव-गांव में आदमी पंचायत के चुनाव में भाग ले रहे थे मगर चूंकि पी०एस०पी० का कैंडीडेट प्रेसीडेंट आफ दि बोर्ड होने को था, इसलिये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब ने अनधिकृत तरीके से कांग्रेस लीडर के इशारे पर चुनाव नहीं होने दिया और अन्त में उस म्युनिसिपल बोर्ड की हत्या कर दी गयी और वह इस सरकार के द्वारा सुपरसीड कर दिया गया। जितने सुपरसेशंस इस उत्तर प्रदेश में इतने थोड़े अर्से में हुये हैं, वह इस सरकार के मत्थे पर बड़ा भारी कलंक का टीका है। वह इस बात को साबित करता है कि एक नहीं अनेकों सुपरसेशंस करके न जाने कितने विरोधी मेम्बर्स को तरह-तरह की बात पर हटाने की इस सरकार के द्वारा कोशिश होती है और जब फरियाद करने वह सरकार के पास आता है तो सरकारी अधिकारी उसको जिला कांग्रेस कमेटी के पास भेज देते हैं कि वह जाकर वहां उनसे बात करे और बात करके आयेगा तो उसके बाद आपका मसला देखा जायगा।

इतिहास बताता है कि यह सत्य है कि यह सरकार जनतांत्रिक परम्परा में विश्वास नहीं करती। अगर करती होती तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चुनाव न पड़े होते, या म्युनिसिपल बोर्ड के बाई-इलेक्शंस न पड़े रहते। यह सुपरसेशंस जो हो रहे हैं और कार्पोरेशन्स के चुनाव जो पड़े हुये हैं ये न पड़े होते।

श्रीमन्, आज नहीं, आज से सौ वर्ष पहले, १० मई को हिन्दुस्तान ने हमारे देश ने क्रान्ति का बिगुल बजाया। आज ८ मई को जो यह नगर निगम विधेयक, रिऐक्शनरी विधेयक,

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

ऐसा प्रतिक्रियावादी विधेयक, आज उस सौ वर्ष पहले की क्रांति की शताब्दी के दो दिन पहले पेश हो रहा है। लखनऊ में, लोगों ने बताया कि ७ मई को ही क्रान्ति शुरू हो गयी थी, तो जब आज से सौ वर्ष पहले इसी लखनऊ नगर में हिन्दुस्तान के लोग अपनी आजादी के लिये लड़ रहे थे, अपनी आजादी के लिये मर मिटने के लिये तैयार थे, उस दिन आज यह उत्तर प्रदेश म्युनिसिपल कार्पोरेशन ऐक्ट, ५७ पेश हो रहा है। मैं चाहता था कि इस ऐक्ट का नाम होता "सिटी रिपब्लिक ऐक्ट" यह तो हमारी मानसिक दासता है कि हमने इंगलैन्ड और अमरीका के ड्राफ्टिंग को देखा और उसके आधार पर अपना बिल ड्राफ्ट कर लिया। हमारी सरकार के ड्राफ्टसमैन किसी बिल के ड्राफ्टिंग को बड़ा आसान काम समझते हैं। वह यह करते हैं कि इंगलैन्ड और अमरीका के लेजिस्लेशन के पैरेलल लेजिस्लेशन उठा दिया और थोड़े से वैरिएशंस और तबदीली करके बिल पेश कर दिया। यह हमारे देश की मानसिक दासता का द्योतक है, और कुछ नहीं। हम क्रांतिकारी तरीकों से, अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार क्यों नहीं सोचते ? यह सरकार क्रान्तिकारी तरीके से प्रजातंत्र की पद्धतियों को स्थापित करने के लिये कुछ ऐसी बात क्यों नहीं सोचती कि इस उत्तर प्रदेश की रहने वाली जनता की प्रतिष्ठा देश में बढ़े, इस प्रकार का बिल यहां पेश हो ?

इस बिल के सिलसिले में केवल यह निवेदन करना चाहता हूं कि एक इस बिल की खास बात है कि एक हाथ में एक चीज दी और दूसरे हाथ से ले ली, ताकि कहने को तो यह हो कि कुछ दिया, मगर दरअसल देने को कुछ नहीं। इस इनएक्टमेंट में, श्रीमन्, इस बिल में गवर्नमेन्ट ने अपने पास इतनी असीम शक्ति रख ली है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेन्ट का, लोकल इंस्टीट्यूशंस का बिलकुल मजाक हो गया है। वैसे तो पहले यह निवेदन करूं, श्रीमन्, कि चाहता तो यह था कि जैसा उत्तर प्रदेश में कैबिनट फार्म आफ गवर्नमेन्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट फार्म आफ गवर्नमेन्ट है वैसा ही अच्छा होता कि इन कार्पोरेशन में भी कैबिनेट फार्म आफ गवर्नमेन्ट होता और एक पार्टी के लीडर और कैबिनेट की अपोजीशन का लीडर दोनों एग्री करते कि कोई रेजोल्यूशन इस किस्म का हो तब स्टेट गवर्नमेंट इस बिल को एक्सरसाइज कराती। अभी तो यह स्टेट गवर्नमेन्ट की पावर आर्बिट्रेरी पावर है। धारा ५३४ के मुताबिक तो यह लगता है कि स्टेट गवर्नमेन्ट जब चाहे तब किसी की सिफारिश से कारपोरेशन को भंग कर सकती है, सुपरसीड कर सकती है, डिजाल्व कर सकती है। होना यह चाहिये था कि स्टेट गवर्नमेन्ट केवल यह अधिकार अपने हाथ में लेती कि जब कारपोरेशन ऐसी हालत में हो जाय कि जो वहां की मेजारिटी पार्टी और माइनारिटी पार्टी हों वे दोनों यह कहें कि अब हमारे बस के बाहर की बात हो गयी है तब कहीं डिजोल्युशन का सवाल होता। मगर जो प्रस्तावित विधेयक है उसकी धारा ५३४ ने सारे के सारे इनैक्टमेंट को बिल्कुल नलीफाई कर दिया है।

वैसे तो और देशों में एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं मेयर कौंसिल सिस्टम, जिसमें मेयर होता है, उसकी एक कौंसिल होती है। उस कौंसिल के पास अथारिटी होती है और उसके हिसाब से मेयर और उसकी कौंसिल के सिस्टम से कारपोरेशन फंक्शन करता है। दूसरा तरीका होता है मेयर और उसकी एगजीक्युटिव कमेटी का सिस्टम। तीसरा तरीका होता है कैबिनेट का सिस्टम। मगर जो यह बिल हाउस के सामने है इसमें कोई सिस्टम नहीं है। अमरीकन सिस्टम से एक आध बात ले ली गयी है, लेकिन ज्यादातर जो इंग्लैन्ड का सिस्टम है उसी को लिया गया है। पहले जब म्युनिसिपल बोर्ड का ऐक्ट आया तो उसमें अमरीकन सिस्टम को अपनाने की कोशिश की थी। उसमें जो चीफ एग्जीक्युटिव होता है वह भी जनरल एलेक्टोरेट से एलेक्ट किया जाता है। इसी तरह से म्युनिसिपल एलेकशन्स में भी चेयरमैन को चुनाव अमरीकन सिस्टम से हुआ। मगर जहां तक मेयर का सवाल है जैसा इसमें, प्रस्तावित किया गया है वैसा न होकर अगर जनरल एलेक्टोरेट से उसका चुनाव होता तो बहुत अच्छा होता। यह कोई बड़ी भारी दलील नहीं है जैसी कि सरकार की तरफ से दी जाती है कि अगर एक पार्टी के ज्यादा एल्डरमेन या कौंसिलर्स चुने गये और मेयर किसी दूसरी पार्टी का चुना गया तो फिर काम बिल्कुल रुक जायगा। पहले वह प्राविजन्स थे कि जब मेयर और कौंसिलर्स डिसऐग्री करते थे

उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट के पास मामला रेफर होता था और तब डिजोल्युशन हो सकता था। वह प्राविजन्स उत्तर प्रदेश में जनतांत्रिक परम्पराओं को आगे बढ़ाते। कोई हर्ज नहीं था अगर चार साल में एक कारपोरेशन में दो दफा चुनाव हो जाता। मगर जो आज की परिस्थिति है कि मेयर का चुनाव इनडायरेक्ट हो यह जनतांत्रिक नहीं है। यह तो वैसा ही है जैसे पहले म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में होता था कि कुछ आदमियों को तोड़ कर पैसे वाले और असर वाले अपने आप को चेयरमैन चुनवा लिया करते थे। इस बिल के सिलसिले में हमारा यह भी सुझाव है कि सरकार इस बात पर विचार करे कि मेयर का चुनाव भी डायरेक्ट चुनाव हो।

इसके अलावा मेयर का चुनाव अगर हर साल हो तो बड़ी बेजा बात होगी। एक साल में एक एग्जीक्यूटिव कमेटी कितना तजुर्बा प्राप्त कर लेगी, यह तो यह हाउस स्वयं ही समझे। शायद यह इसलिये रखा गया है कि कभी कांग्रेस पार्टी का कोई विरोधी इत्तफाक से अगर मेयर चुना जाय तो जल्दी ही उसको तब्दील करने का मौका मिले। इसलिये उसके टर्म को एक ही साल का रखा गया है।

टैक्सेशन के जो प्रोपोजल्स हैं उनके सम्बन्ध में अगर श्रीमन्, सेक्शन १६९ और उससे आगे देखें तो यह मालूम होता है कि इस बिल में सरकार कारपोरेशन्स के लिये यह प्राविजन करती है कि गरीब से गरीब आदमियों पर ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाये। जो प्राविजन इसमें दिये गये हैं उनके मुताबिक रिक्शावालों पर, तांगावालों पर, उन अहीरों और गड़रियों पर जो छोटे-मोटे जानवर रखते हैं उन पर टैक्स लगाने के अधिकार कारपोरेशन्स को दिये गये हैं। इसका नतीजा यह होगा कि बड़े-बड़े शहरों के कारपोरेशंस के गरीब लोगों पर यह अन्याय होगा। मेरा निवेदन यह है कि मान लीजिये कानपुर के कारपोरेशन को, उस शहर की सेल्स टैक्स की आमदनी दे दी जाय तो वहां के गरीब आदमियों पर टैक्स लगने का सवाल नहीं पैदा होता। इसी तरह से अगर एक शहर के सेल्स टैक्स से जो आमदनी होती है वह वहां के कारपोरेशन को दे दी जाय तो वहां के गरीब आदमियों पर बोझ नहीं पड़ेगा, कारपोरेशन की आमदनी भी बढ़ेगी और जब उसकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी होगी तो काम भी अच्छा होगा।

एक अजीब बात और है कि सरकार दूसरों की सम्पत्ति पर कब्जा करती है लेकिन अपनी सम्पत्ति दूसरों को नहीं देना चाहती और दूसरों को पूरे तरीके अप ने कंट्रोल में रखना चाहती है। यह बिल इसी का द्योतक है। वह ऐसे साधन तो पैदा करना चाहती है जिससे कारपोरेशन गरीब से गरीब आदमी से पैसा वसूल करे मगर बजातखुद कोई रकम देने को तैयार नहीं है।

जैसा माननीय पालीवाल जी ने कहा, म्युनिसिपल कमिश्नर भी एक अजीब सी चीज है। मालूम होता है कि इस गवर्नमेन्ट को इन कबाल टाउन्स के रहने वालों की नेकनीयती और ईमानदारी पर विश्वास नहीं है इसलिये सरकार अपना एक एलची उन कबाल टाउन्स में भेज देना चाहती है ताकि वह उन पर अंकुश रखे और जैसा सरकार का आदेश हो उनका पालन हो। यह तो डिमोक्रेसी का मजाक है। हैल्थ के लिये भी इसी तरह का प्राविजन है कि जो हेल्थ का इंतजाम करेगा उसका एपवाइन्टमेंट गवर्नमेन्ट करेगी। नतीजा यह होगा कि ऐसी परिस्थितियां उनमें पैदा होंगी कि सरकार जिनको नियुक्त करेगी वह लोग यह समझेंगे कि वह कारपोरेशंस के मातहत नहीं है बल्कि सरकार का प्रेमभाजन है, जिसके फलस्वरूप कारपोरेशन के काम में कमी होगी।

कारपोरेशन के हाथ में पुलिस का इंतजाम भी देना चाहिये। इसमें केवल यह दिया गया है कि अगर कोई कारपोरेशन पुलिस वालों की सहायता चाहे तो पुलिस वाले उसको सहायता देंगे। यह तो आज भी म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में मौजूद है। पंचायत राज ऐक्ट में भी यह चीज मौजूद है कि अगर पंचायत या सरपंच चाहें तो पुलिस कांस्टेबिल और पुलिस के चौकीदार उसको सहायता देंगे मगर इसके अन्दर बड़े-बड़े शहरों में भी लोकल बाडीज के इंतजाम में लोकल पुलिस के इंतजाम को भी देने को सरकार तैयार नहीं है। इसका कारण, जैसा मैंने अर्ज किया यह है कि यह सरकार न तो प्रजातांत्रिक पद्धतियों में विश्वास करती है

[श्री गोविन्द नारायण तिवारी]

है और न सत्ता के विकेन्द्रीकरण में। हमारी कल एक सम्भ्रांत पुरुष से बात हुई। मालूम हुआ कि अगर सरकार की यही मनोवृत्ति रही तो दस साल के बाद उत्तर प्रदेश में जजों के फैसले के बाद सरकार अपना फैसला देगी। अगर जज ने कत्ल का फैसला कर दिया तो सरकार के यहां रिप्रेजेंटेशन होकर, सेक्रेटरी का नोट उस पर लिखा जा कर मिनिस्टर साहब उस पर फैसला लिख दिया करेंगे और अगर जज ने फांसी लिख दी है तो सेक्रेटरी ने अगर नोट लिख दिया है तो मिनिस्टर साहब उस सजा को बहाल रखेंगे, नहीं तो नहीं। यह सरकार जुडिशियरी में इसलिये विश्वास नहीं करती कि यह सरकार सत्ता का विकेन्द्रीकरण नहीं चाहती ? यह सरकार सत्ता का केन्द्रीयकरण चाहती है और इसका सबसे बड़ा सबूत यह बिल है जो आज इस हाउस के सामने पेश है। इसलिये सेलेक्ट कमेटी की जिम्मेदारी इस बिल के सिलसिले में बहुत ज्यादा है। न सिर्फ यह कि उसका समय बढ़ाया जाय, न सिर्फ यह कि ३१ अगस्त, १९५७ तक वह इसकी रिपोर्ट दे दे बल्कि सेलेक्ट कमेटी का काम और भी ज्यादा होगा। सेलेक्ट कमेटी को यह देखना पड़ेगा कि डेमोक्रेसी के मौलिक सिद्धांतों पर कुठाराघात करने वाली इस बिल में कौन-कौन सी धारायें हैं और उसको उनमें आमूल परिवर्तन करना पड़ेगा। इसलिये इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी-अभी मैंने माननीय तिवारी जी के व्याख्यान को बड़े ध्यान से सुना। उनकी बातों का विस्तारपूर्वक जवाब देने के लिये और बहुत से दोस्त हैं, किन्तु एक बात की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आपने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी बात को कहा, केस को पुटअप किया कि अगर शहरों की आमदनी वहीं खर्च कर दी जाय तो फिर सेल्स टैक्स लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह बात साधारण तौर पर सुनने में बहुत अच्छी मालूम पड़ती है, मगर तिवारी जी भूल गये कि अभी तक ज्यादातर पैसा देहात से लिया जाता था और शहरों पर खर्च होता था। आज भी हिसाब देखें कि गांव से कितनी आमदनी होती है और गांव पर कितना खर्च होता है। गांव के रहने वाले जानते हैं कि किस मुसीबत में हमारे देश के किसान भाई हैं। तो जहां ज्यादा पैसा है वहां से लिया जाय। अगर देहात में ज्यादा पैसा है तो देहात का पैसा शहर पर खर्च किया जाय और शहर में ज्यादा पैसा है तो उसे देहात में खर्च किया जाय। लेकिन इसलिये कि शहर में ज्यादा पैसा है, तो वह शहर में ही खर्च किया जाय और देहात को भूल जाया जाय, यह महज एक प्रोपेगैंडा का साधन मात्र है और इसके अलावा और कुछ नहीं।

दूसरी बात मुझे आपसे यह अर्ज करनी है कि इस बिल के पेज ५९ पर धारा ११३ की उपधारा (६) में लिखा गया है कि "निगम पूर्णतः या अंशतः व्यवस्था कर सकता है। संगीत तथा अन्य ललित कलाओं को प्रोत्साहन देना तथा सार्वजनिक स्थानों और सार्वजनिक समागम स्थलों पर संगीत की व्यवस्था करना।" यह जो ललित कलाओं की बात कही गई है, उसके लिये मैं कहना चाहता हूं कि शब्द "ललित कलाओं" बहुत व्यापक हो। यद्यपि बहुत सी बातें इसमें आ जाती हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इसको विस्तारपूर्वक बतलाने की आवश्यकता है इसलिये मैं सदन का ध्यान कलाकारों की ओर थोड़ा सा आकर्षित करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, सड़कें, नहरें, कारखाने, खाना, कपड़ा, मकान, आदमी को शारीरिक आराम दे सकते हैं, लेकिन कलाकार दिल को आराम देता है। यह सब शारीरिक आराम देते हैं और कलाकार दिली आराम, मानसिक आराम देता है। कलाकार वह है कि जो बैठे-बैठे बड़ी-बड़ी क्रांतियां करवा देता है। जिस वक्त हमारा मुल्क गुलाम था, इस बात की प्रतिद्वन्दिता थी कि अंग्रेजों का ज्यादा दोस्त कौन है। उसकी कौन और किस तरह बात करता है इस बात का कम्पिटीशन था तो यह कलाकार हैं कि जिन्होंने कहा कि यह खाना, कपड़ा, मकान और रुपया कोई चीज नहीं है। बड़ा तो वह है जो त्याग करता है ? वह कहते हैं कि हम तो आराम करते हैं, किन्तु देश गुलामी के कारण गरीबी भोग रहा है। गुलाम कौम का सिजदा हराम होता है। नता ने इन कलाकारों की बातों को सुनकर अपने अन्दर देश-प्रेम त्याग और उपकार की भावना

को उत्पन्न किया और परोपकार में लग गये। इन कलाकारों के संकेत पर, उनकी कविताओं की बदौलत हमने बहुत विजय प्राप्त की। चुनाव की लड़ाई में उन्होंने बहुत मदद की। इससे बहुत लोगों को आराम मिला। किसानों को और मजदूरों को अपना सिर ऊंचा करके चलने का अवसर मिला और आज वह अपना सिर ऊंचा करके चल सकते हैं किन्तु जबसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ उनकी कुछ भी आशा पूरी नहीं हुई और वह....

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---प्वाइन्ट आफ आर्डर उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक आपसे यह पूछना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बिल पर बोल रहे हैं या कोई हम लोगों को सबक दे रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---बिल पर बोल रहे हैं।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं यह अर्ज कर रहा था कि जिनको आशा थी कि स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारा देश आजाद होगा और उनको कुछ राहत मिलेगी वे बेचारे घाटे में पड़ गये। ऐसी बात नहीं है कि सरकार उनके प्रतिकूल हो, किन्तु जिन राजा महाराजाओं के यहां उनकी परवरिश हुआ करती थी आज वे राजा महाराजा नहीं रह गये। ऐसा होता था कि कलाकार ने एक कविता पढ़ दी और एक लाख रुपया उसको मिल गया किन्तु 'वह डाल ही नहीं रही जिस पर आशियाना बना था", जहां पर उनकी परवरिश हुआ करती थी वह तबका ही नहीं रह गया। जिनके दरवाजे पर भीड़ लगी रहा करती थी, जो यह समझते थे कि आज हमारे दरवाजे पर मेहमान नहीं आया तो खाना कैसे खाया जाय, आज वह यह अनुभव करते हैं कि अगर उनके दरवाजे पर कोई मेहमान चला जाय तो उनको भार मालूम होता है। तो फिर कलाकार उनके दरवाजे पर कैसे जाय? कलाकार यह समझते हैं कि अगर वे उनके दरवाजे पर जायेंगे तो उनको परेशानी होगी। तो वे उनके यहां जाकर किसी प्रकार से उनको बाध्य नहीं करते....

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि इस पर तो रोशनी पड़ गयी अब आप और आगे बढ़िये।

श्री सीताराम शुक्ल---उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी पर रोशनी डालने का प्रयास कर रहा हूं। मैं स्वयं जानता हूं कि मेरी क्या ड्यूटी है। मैं यह भी जानता हूं कि सदन का समय बहुत कीमती है और कम से कम समय में हमें अपने व्याख्यान को समाप्त करना चाहिये, किन्तु जो खास बात है वही मैं सदन के सामने रखना चाहता हूं।

उधर तो वह जमींदार तबका गया दूसरी तरफ बिजनेसमैन का तबका है। आज उसके ऊपर इतना टैक्स लग गया है जिसको आप और हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। यह सही है कि उनका संगठन नहीं है और कवियों का संगठन है, लेखकों का संगठन है....

श्री उपाध्यक्ष---मैं आपसे फिर कहूंगा कि विधेयक के और प्रश्नो पर रोशनी डालें।

श्री सीताराम शुक्ल---मैं तो इसी पर बोलना चाहता हूं और इसी विषय पर मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। मैं इसी विषय को चन्द मिनट में एक्सप्लेन करना चाहता हूं ताकि सेलेक्ट कमेटी इसके ऊपर जोर दे सके।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)---मैं आपकी आज्ञा से यह निवेदन करूंगा कि इस वक्त माननीय सदस्य जो भाषण सदन के सामने कर रहे हैं वह किसी दरबार के लिये रखें और नगर निगम विधेयक पर ही बोलें।

श्री उपाध्यक्ष---मैं माननीय नागर जी से यह कहूंगा कि माननीय सदस्यों को एक दूसरे के बारे में ऐसी बातें कहना, जिससे किसी को दुख हो, उचित नहीं है।

श्री शिवप्रसाद नागर--मैं इसकी माफी चाहता हूं।

श्री सीताराम शुक्ल--अब उन्होंने क्षमा मांग ली, मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अपनी-अपनी कला की सब कोई तारीफ करता है लेकिन वक्ता खुद कहता है कि देखो भाइयों अब व्याख्यान का समय चला गया है, अब तो काम करना चाहिये किन्तु वह यह भूल जाता है कि पहले जबान हिलती है तब काम होता है। चाहे फावड़ा चलाना हो, खेत जोतना हो या बिजनेस करना हो लेकिन वक्तव्य से ही सब काम शुरू होता है। तो मेरी गुजारिश है कि उन कलाकारों की ओर ध्यान जाय। सही है कि रेडियो में थोड़ी सी मदद उनलोगों को मिल जाती है। मगर वहां भी सिफारिश चलती है। बुरा न मानें। मैं अर्ज करूं कि एक साहेब की लड़की ने मुझसे कहा कि उनका गाना रेडियो पर होने वाला है और जरा मैं उनको बतला दूं, वह गाने के लिये जावेगी। मैं तो दंग रह गया कि यह मुझ जैसे मामूली आदमी से सीखने आई है। तो वहां भी सिफारिश चलती है। कलाकार ने यह सीखा है कि "किसी रईस की महफिल की क्या जिक्र अमीर है खुदा के घर भी न जावेंगे वे बुलाये हुये"। इसलिये उन्हें काम नहीं मिलता, फल स्वरूप बुरी तरह गरीबी की जिन्दगी बसर कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारे अच्छे लेखक, कलाकार, साधु, संतों के नाम स्पष्ट करके यह तय करें कि उन्हें पेंशन वगैरह दी जावें ताकि इस मुल्क में फिर ऐसे बुद्धिमान लोग और वीर लोग पैदा हों जो कि न सिर्फ इस मुल्क की बल्कि संसार की भी तरक्की करें।

श्री हरिश्चन्द्र अष्ठाना (जिला सीतापुर)--उपाध्यक्ष महोदय साधारणतया आज इस नगर निगम विधेयक पर बोलने का मेरा इरादा नहीं था, क्योंकि पौने छः सौ धाराओं के इस बिल पर केवल डेढ़ दिन के लगभग साधारण बहस के लिये समय मिल रहा है। मेरा खयाल था कि संभवतः सेलेक्ट कमेटी से आने के बाद फिर इस सदन को इसके सिद्धांतों पर वादविवाद करने का मौका मिलेगा। मगर माननीय विरोधी दल के नेता की बात सुनने के बाद कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः फिर यह मौका न मिले।

जैसा कि ज्ञात होगा, और सदन के पुराने सदस्यों को मालूम होगा ४ साल पहले गवर्नमेंट की एक कमेटी इस विधेयक के लिये बनी थी और उसमें बातचीत करके कुछ उसूल तय किये गये थे यद्यपि बिल तो तैयार नहीं किया था। मुझे भी उस समिति से संबंध रखने का गौरव प्राप्त हुआ था। मैंने देखा कि कुछ ऐसा प्रयास भी हो रहा था कि अपने देश में जो सफल कारपोरेशन रहे हैं; जैसे कलकत्ता और बम्बई, उनके कानूनों को लेकर एक विधेयक बनाने की कोशिश की जा रही थी। आज इस विधेयक को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हम अपने बुनियादी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के यूनिट में कुछ आमूल परिवर्तन नहीं कर सके है। माननीय मंत्री जी की तकरीर के समय में यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिरकार हम कौन सा ऐसा परिवर्तन कर रहे हैं जिसे हम प्रगतिवादी कह सकते हैं। जो इस कारपोरेशन के निर्माण से संबंध रखने वाली धारायें हैं उनसे मालूम होता है कि स्टैंडिन्ग कमेटी, इम्प्रूवमेंट कमेटी, म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर, डिप्टी मेयर इत्यादि इसके विशेष हिस्से हैं। लेकिन इन धाराओं को पढ़ने के बाद भिन्न दशा दिखायी पड़ती है। म्युनिसिपल कमिश्नर के हाथ में सारी ऐक्जीक्यूटिव और ऐडमिनिस्ट्रेटिव अथारिटी दे रखी हैं। मैं बहुत अदब के साथ यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो मौजूदा म्युनिसिपैलिटीज हैं उनमें और कारपोरेशन में केवल इतना ही अन्तर रक्खा गया है कि जो "ओवर आल एक्जीक्यूटिव अथारिटी" ऐक्जीक्यूटिव आफीसर में नहीं होती है, वह म्युनिसिपल कमिश्नर को दे दी गई है। यह म्युनिसिपल कमिश्नर गवर्नमेंट का नोमीनेटेड व्यक्ति होगा। यह सही है कि कारपोरेशन को उसे हटाने का अधिकार होगा जब कि एक खास मैजारिटी ऐसा करने के पक्ष में हो। इस प्रकार मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि म्युनिसिपल कमिश्नर को ऐडमिनिस्ट्रेटिव और एक्जीक्यूटिव सारे से सारे अधिकार सौंप दिये गये हैं जो कि ऐडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से उचित नहीं है और नहीं सौंपे जाने चाहिये। मैं यह विनम्र निवेदन

करना चाहता हूं कि जब हम जनतांत्रिक प्रणाली की नींव डालने जा रहे हैं और चाहते हैं कि लोकल ऐडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट सेल्फ रनिंग हो तो उसको हम इस प्रकार से मजबूत नहीं बना सकते।

यहां इस समय केवल सिद्धांत की बात होनी चाहिये, इसलिये मैं धाराओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं यह निवेदन करूंगा कि यदि आप कारपोरेशन में मेयर को केवल टिटयूलर हेड बना कर नहीं रखना चाहते हैं तो आपको उसे अधिक अधिकार देना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी में जब यह बिल जाय तो इन तमाम बातों पर गौर किया जाना चाहिये यद्यपि जिन सिद्धांतों को मंजूर करके हम यहां से इस बिल को भेजेंगे, संभवतः उससे आगे बढ़ने की बात वहां न होगी। फिलहाल इस कारपोरेशन के संगठन के अन्तर्गत कानून बनाने और टैक्स लगाने एवं नीति निर्धारित करने के सारे के सारे अधिकार कारपोरेशन को दे दिये गये हैं। टैक्सों को बढ़ाने का भी अधिकार उसको दिया गया है। इस दृष्टि से तो मौजूदा म्युनिसिपैलिटीज से कारपोरेशन भिन्न चीज मालूम होती है। लेकिन अगर केवल इसी में भिन्नता हो तो हमारे ४–५ साल की मेहनत बेकार हो गयी। आजाद हिन्दुस्तान के इस प्रदेश में आज हम पहली बार ही लोकल सेल्फ गवर्निंग यूनिट संबंधी बिल बनाने जा रहे हैं। म्युनिसिपैलिटीज के जो पुराने कानून समय-समय पर आये हैं उनको हमने संशोधित किया है। लेकिन कारपोरेशन का एक बड़ा बिल हम पहली बार ही लाना चाहते हैं तो हमें कुछ सिद्धांतों पर अवश्य फैसला कर लेना चाहिये। उन फैसलों को करने के लिये हमें यह निश्चय करना होगा कि हमारे वे यूनिट्स किस तरह के होंगे।

मैं बड़े अदब के साथ यह कहना चाहता हूं कि कारपोरेशन बिल से हमें जो आशायें थी वे प्रतिफलित नहीं हुई। वहां के मेयर को कोई खास अधिकार नहीं दिये गये हैं। अगर उसको कोई अधिक अधिकार नहीं दिये गये तो आपने जो स्टैंडिंग कमेटी बनायी है, उसको क्यों अधिक अधिकार नहीं दिये। क्या मेयर सिर्फ थोड़े से अधिकारों के साथ प्रीसाइड करने के लिये ही है? आपने स्टैंडिंग कमेटी को ऐडमिनिस्ट्रेटिव एवं एक्जीक्यूटिव अथारिटी क्यों नहीं दी है। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, नये टैक्स लगाये जायेंगे, उनसे रुपया ज्यादा मिल जायगा और जब पैसा होगा तो थोड़े बहुत काम भी ज्यादा हो जायेंगे। ट्रांसपोर्ट आदि जो पब्लिक युटीलिटी के काम हैं वह कारपोरेशन कर सकेगा। लेकिन जो बुनियादी सिद्धांत हैं उनमें कोई तब्दीली नहीं हुई। इस बिल को जब हम आज सेलेक्ट कमेटी के पास भेज रहे हैं तो इस बात का भी विचार करना चाहिये कि अधिकार का जहां तक संबंध है, विशेषकर उस अधिकारी को जो कि राज्य सरकार द्वारा चुना जायगा, उसके हाथ में हम किस हद तक ताकत दें। व्यक्तिगत रूप से मेरा अपना ऐसा खयाल है कि इस बिल के द्वारा म्युनिसिपल कमिश्नर को इतनी ताकत देकर हम कोई आगे कदम नहीं बढ़ा रहे हैं बल्कि थोड़ा सा पीछे ही हट रहे हैं। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्रश्न के इस पहलू पर भी सिद्धान्ततः सदन विचार करे। यह बिल सेलेक्ट कमेटी में तो जा ही रहा है, वहां इस बुनियादी पहलू से विचार किया जा सकेगा, अतएव मैं इसका समर्थन करता हूं।

कतिपय समितियों के निर्वाचन के कार्य-क्रम में परिवर्तन की सूचना

श्री उपाध्यक्ष––मैं पहले सदन को एक सूचना दे देना चाहता हूं। वित्त समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडियेट एजूकेशन राज्य मद्य-निषेध बोर्ड, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स समिति और रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये जो नामदजगी के परचे आये हैं, उनको वापस लेने का समय आज ४ बजे तक था लेकिन मुझ से यह प्रार्थना की गयी है कि इसका समय बढ़ा दिया जाय। इसलिये यह समय, आज ४ बजे तक के बजाय कल ४ बजे तक का होगा।

उत्तर प्रदेश नगर निगम विधेयक, १९५७ (क्रमागत)

श्री मदनगोपाल वैद्य (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, इस बड़े लम्बे बिल के ऊपर थोड़े से समय में विचार करना है। हमारे प्रदेश में स्वायत्त संस्थायें बहुत लम्बे अरसे से काम कर रही हैं और उनके कामों का तजुरबा और उनके कामों की शोहरत हम सब लोगों के सामने है। वर्तमान कानून के अनुसार जो म्युनिसिपैलिटियों की व्यवस्था चल रही है, वह हम बहुत दिनों से देखते चले आ रहे हैं। शहरों में पढ़े-लिखे लोग भी काफी रहते हैं, अच्छे से अच्छे नागरिक रहते हैं इसलिये हम यह आशा करते हैं कि शहरों की व्यवस्था तो अवश्य ही बहुत सुन्दर और अच्छी से अच्छी और एक आदर्श व्यवस्था होनी चाहिये। लेकिन इस परिस्थिति के बावजूद अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि शहरों की व्यवस्था से लोगों को संतोष नहीं है। लोगों को पार्टीबाजी के कारण या और दूसरी शिकायतों के कारण बहुत शिकायतें रहा करती हैं। हम देखते हैं कि हमारे शहर दिन ब दिन बहुत तरक्की कर रहे हैं, लेकिन शहरों के अन्दर जो व्यवस्था है उसकी वजह से वहां की जनता का जीवन एक प्रकार से कष्टमय होता जा रहा है। वहां पर एक काम के लिये ही न मालूम कितने अधिकारी हैं। एक मकान बनाने की ही बात ले लीजिये, अगर किसी को मकान बनाना होता है तो उसे म्युनिसिपैलिटी से परमिशन लेना होता है, फिर पी० डब्ल्यू० डी० से परमिशन लेना होता है, फिर नजूल से परमिशन लेना होता है, इस तरह से न मालूम कितने अधिकारियों के हाथ में एक चीज की ताकत दी हुई है और इस तरह से शहरों के अन्दर अनेक प्रकार के गड़बड़ घोटाला होने से लोगों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर शहरों के अन्दर कोई जमीन है तो उसके संबंध में भी ठीक नहीं मालूम है कि वह जमीन किस संस्था के अधिकार के अन्तर्गत है। इस प्रकार से आज जो शहरों की व्यवस्था है उसके अन्दर आदमियों के जीवन में नाना प्रकार की कठिनाइयां उपस्थित होती हैं।

जो मौजूदा विधेयक हमारे सामने है, हम आशा करते हैं कि इससे नगर निगम व्यवस्था काफी उन्नत होगी, इससे सुधार होगा और जनता के कष्ट दूर होंगे, लेकिन इस विधेयक के जरिये जो कई प्रकार की व्यवस्था की गयी है, जो कई प्रकार के अधिकारी रखे गये हैं उससे बड़ी दिक्कत पेश आयेगी। इतना होने के बावजूद भी बाउंडरी डिस्प्यूट्स इतने हैं कि यही नहीं तय होता है कि किसकी जमीन कहां से शुरू होती है, यानी नजूल की जमीन कहां से शुरू होती है, रूरल एरिया कहां से शुरू होता है या कंटूनमेंट एरिया कहां से शुरू होता है ? इस तरह से बहुत से डिस्प्यूट्स पड़े हुये हैं जिनका फैसला दसों वर्ष से भी नहीं हो पाता है। इस तरह से शहर में रहने वालों के जीवन में एक प्रकार की अनिश्चितता की स्थिति रहती है।

शहरों में हम यह भी देखते हैं कि उनका सेटलमेंट बहुत दिनों से नहीं हुआ है। जहां तक मैं अपने शहर फैजाबाद की बात जानता हूं वहां शायद १९०४ या १९०२ में सेटिलमेंट हुआ था और इससे जमीन के डिस्प्यूट्स होने की वजह से जितनी तेजी से शहरों का विकास होना चाहिये, नहीं हो रहा है और शहरों के अन्दर नजूल की बहुत शिकायत है। हमें तो कानपुर और फैजाबाद का तजुरबा है कि वहां के आफिस पर या दूसरे जो आफिसेज हैं उन पर जो अधिकार काम करते हैं वह अपने आफिस के ऊपर हावी नहीं रहते। वह जानते नहीं कि उनके दफ्तर में कितना काम बकाया पड़ा हुआ है और कितनी दरख्वास्तें आती हैं, कभी उनके सामने पेश भी होती हैं या नहीं होती हैं। घूसखोरी की जो शिकायत है वह तो है ही। इन सारी परिस्थितियों में जो विधेयक रखा गया है उसमें नगर निगम से ऐसी आशा करना कि वह नगरों के जीवन में काफी उन्नति करेगा, इसके अन्दर शंका दिखायी पड़ती है, क्योंकि उसके अधिकार बढ़ाये जा रहे हैं।

जिन कर्मचारियों के जरिये वह व्यवस्था चलायी जाती है, उनके संबंध में आज तक का अनुभव यही रहा है पुराने जमाने की यह प्रथा है कि जो भी चेयरमैन हुआ करता था

उसी की पार्टी के लोग सरविसेज में रखे जाते थे। वह उनके कार्यकाल तक रहते थे। जब किसी दूसरी पार्टी का चेयरमैन आता था तो बढ़ती खर्चा के नाम पर रिट्रेन्चमेंट करके निकाल दिये जाते थे। कुछ दिनों के बाद यह रिपोर्ट दी जाती थी कि काम सफर हो रहा है और फिर नये आदमी रखे जाते थे। इस तरह से म्युनिसिपैलिटी के अन्दर, बड़े-बड़े शहरों के अन्दर जो कर्मचारी रहते हैं उनकी नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं है और यही कारण है कि उनके अन्दर पक्षपात की भावना की भी संभावना रहती है क्योंकि वह समझते हैं कि जिन्होंने हमें नौकर रखा है उनके अनुसार काम करना है। इन कर्मचारियों के ट्रांसफर की भी व्यवस्था नहीं है। नजूल के कर्मचारियों के भी ट्रांस्फर की व्यवस्था नहीं है।

बहुत से शहरों में नजूल का अधिकार म्युनिसिपैलिटी के हाथ में है। बहुत से शहरों में नजूल का प्रबन्ध सीधे सरकार के हाथ में है। नजूल का शासन सारे शहरों में म्युनिसिपैलिटी को दे दिया जाय। दो प्रकार की व्यवस्था नहीं चलनी चाहिये। नजूल के संबंध में शहरों में एक बड़ी एनामली है। या तो नजूल का सारा अधिकार म्युनिसिपैलिटी को मिल जाय या चेयरमैन का सारा अधिकार नजूल को मिल जाय। एक छत्र राज्य हो जाय। आज कई प्रकार की व्यवस्था होने से जनता को कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं।

म्युनिसिपैलिटी के अन्दर पी० डब्ल्यू० डी० का भी बड़ा भारी प्रकोप रहता है। साधारण से साधारण चीज, चाहे सड़क हो, नाली हो, या मकान हो, किसी भी चीज के निर्माण के लिये पी० डब्ल्यू० डी० का एक बड़ा लम्बा दरवाजा खटखटाना पड़ता है जिससे जनता को बड़ी परेशानी रहती है। कई प्रकार के शासन होने से, कई प्रकार की परेशानियां रहती हैं। कई प्रकार के अधिकारियों को परिवर्तित करके एक ही प्रकार का अधिकार रहे तो शायद मौजूदा परेशानियां चौथाई या आधी हो जायं।

इस विधेयक के जरिये जो नाना प्रकार के टैक्सों के अन्दर परिवर्तन कर रहे हैं और उसके अधिकारियों के अधिकार के संबंध में परिवर्तन कर रहे हैं वह एक बड़ी लम्बी सी बात है। कितने अधिकार कारपोरेशन को दिये जायं, कितने अधिकार गवर्नमेंट के पास रहें, यह बड़ा लम्बा विषय है, लेकिन हम यह स्पष्ट कहना चाहते हैं कि यह बिलकुल मानी हुई बात है कि बहुत सी चीजों पर सरकार का नियंत्रण होना आवश्यक है। लेकिन जो कर्मचारी नगर-निगम में काम करेंगे उनको सर्विस की सुरक्षा कार्यक्षमता के लिये होना बहुत आवश्यक है। उनका एक नगर से दूसरे नगर में ट्रांस्फर होना उनकी योग्यता बढ़ाने के लिये बहुत आवश्यक है। तभी वह नगर निगम का काम योग्यता, क्षमता और निष्पक्षता के साथ चला सकते हैं। जब तक इस बात की व्यवस्था नहीं की जाती है कि उनकी सर्विस की सुरक्षा हो और उनके ट्रांस्फर की व्यवस्था की जाय तब तक नगर निगम में कार्यक्षमता की अधिक आशा नहीं कर सकते हैं और जो अधिकार दिये जा रहे हैं उनका कैसा परिणाम होने वाला है उसके संबंध में मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि जो कई प्रकार के अधिकारी हैं उनमें कमी होनी चाहिये और कारपोरेशन के अधिकार ही अधिक बढ़ाने के चाहिये। टैक्स के अलावा एग्जिक्यूटिव पावर्स की बात है। अभी एक माननीय सदस्य ने यह शंका प्रगट की कि जो भी कारपोरेशन तय करती है उसको म्युनिसिपल कमिश्नर कार्यान्वित करे या न करे, ऐसी आशंका जाहिर की गई। जो भी नीति कारपोरेशन की हो उसको कार्यान्वित करने या न करने में उसका क्या हित हो सकता है, यह विचारने की बात है। अब जैसा मैंने कहा था कि सर्विसेज की सेक्योरिटी हो, ट्रान्सफर की व्यवस्था हो तो मैं समझता हूं कि कोई कारण नहीं है कि वह कार्पोरेशन के प्रस्तावों को क्यों न कार्यान्वित करे।

टैक्स के सम्बन्ध में जनता की बहुत बड़ी शिकायतें रहती हैं और यहां से टैक्स की व्यवस्था में और दूसरे परिवर्तन किये जाते हैं। यह सब बातें भी काफी विचारने की हैं तब उसके बाद इतने अधिक अधिकार देने चाहिये।

[श्री मदनगोपाल वैद्य]

जो सबसे नया अधिकार कार्पोरेशन को दिया जा रहा है वह कर्जा लेने का है। कर्जा लना बड़ी सरल बात है लेकिन अगर अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते तो यह बड़ी खतरनाक बात होगी। इसलिये जहां तक कर्जे की व्यवस्था की गई है उसका अधिकार तो होना चाहिये, लेकिन उसकी कोई सीमा होनी चाहिये, क्योंकि इस मंहगी के जमाने में जितनी आमदनी हो उसी के अनुकूल काम करना चाहिये। कर्जा लेने का अधिकार समय समय पर हो सकता है, लेकिन आम तरीके से कर्जे पर ही सारी योजनाओं को चलाना बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। इसमें बहुत सी बातें विचार करने की हैं, जिन पर सेलेक्ट कमेटी में विचार होगा। लेकिन जो मौलिक बात है, प्राय: वही व्यवस्था रखी गई है जो म्युनिसिपैलिटियों में है। लेकिन मैं समझता हूं कि शुद्ध व्यवस्था तभी हो सकती है जब जो भी कर्मचारी हों उनकी सर्विसेज की सिक्योरिटी हो, उनके साथ न्याय हो और सर्विस के सम्बन्ध में डर न रहे तभी वे निष्पक्षतापूर्वक काम कर सकते हैं; और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इन निगमों में विशेष सुधार की बात नहीं कर सकते।

श्री रामसिंह चौहान (जिला आगरा)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल की बहुत दिन से चर्चा सुन रहे थे। हम ऐसा समझते थे कि कोई बड़ी अच्छी चीज हमारे सामने आयगी, लेकिन वही बात कहनी पड़ती है।

"बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो यक कतराये खूं न निकला!"

इसमें कौन सी नई चीज आपने की? विदेशों की नकल करना मौजूदा सरकार का फर्ज सा हो गया है। क्या नयापन इसमें आपने ला दिया? वही इंगलैंड, अमेरिका और फ्रांस से कुछ बटोर कर रख दिया। आखिर हम देश में एक नई व्यवस्था करने जा रहे हैं. गांधी जी की इच्छा थी, आप भी रोज अलापते हैं राग, विकेन्द्रीयकरण का। चौखम्भा बनाने को हमारी पार्टी बहुत दिनों से कह रही है। केन्द्र में तो सारे अधिकार केन्द्रित कर रखे हैं, सूबे की सरकार भी शायद केन्द्रीय सरकार के कदमों पर चल रही है, जितने भी अधिकार हों सब हमारे हाथ में हों। स्थानीय लोगों को जनता की सेवा करने के जितने भी अधिकार हैं, सभी यह सरकार अपने ही हाथ में रखना चाहती है। मैंने देखा सारे अधिकार कलक्टर, जज को, जो पहले थे नौकरशाही को वही अब भी हैं और फिर उसके लाने में १० साल से अधिक! उस पर आप राग अलापेंगे कि बड़ी सुन्दर योजना हमने दी है, अपने नगरों को स्वर्ग बनाने के लिये। लेकिन मैं समझता हूं इनसे नगरों की अच्छी सेवा नहीं हो सकेगी, शायद शासन हो सकेगा और अब हमारे नये प्रशासक अब बिलकुल शासन के ही मूड में हैं। सेवा उनके दिमाग से निकल चुकी है। मैं कुछ आपसे कहना चाहता हूं। शब्दों में बड़ा बल होता है। मैं चाहता हूं कि हम कुछ परिवर्तन लायें, निगम का नाम भी दूसरा रखें। क्या जरूरत है कि जो हमें पहले से मालूम है उन्हीं नामों को हम दुहराते जायं? क्या हम नगर सेवा सदन या इस तरीके से कोई दूसरा नाम नहीं रख सकते हैं? उसको हम पावर भी दे सकते हैं, उसका रूप भी बदल सकते हैं, उसमें शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, व्यवस्था के लिए सभी बातों के लिए हम अधिकार दे सकते हैं। क्या हम इस प्रकार अपनी शक्ति को कुछ इन नगरों को नहीं दे सकते जिससे कि वहां के जो नगर के चुने हुए नुमाइन्दे आयें वह कुछ अपने नगर की सेवा कर सकें, कुछ उसमें नयापन ला सकें? हमारी व्यवस्था में कुछ परिवर्तन हो, कुछ विकेन्द्रीकरण हो, हमारी जो केन्द्रीयकरण की इस वक्त व्यवस्था चल रही है उसमें और जैसा आप कहते हैं, जैसी आपकी कथनी है वैसी कुछ करनी भी हो। इस प्रकार की बात मैं इस विधेयक में कुछ भी नहीं पा रहा हूं।

हर्ष इस बात का है कि यह विधेयक एक प्रवर समिति के सामने जा रहा है जिसमें हमारे दोनों सदनों के ही योग्य मेम्बर भाग लेंगे। मैं उनसे निवेदन करूंगा और सरकार से भी निवेदन करूंगा कि वह अब केवल नकल करना छोड़ दें। कुछ नयापन ले आयें जिससे

नगरों में नया जीवन आये। सारी शक्ति आप देते चले जा रहे हैं पुरानी नौकरशाही के हाथ में। पुलिस के अधिकार देते चले जा रहे हैं, न्याय के अधिकार देते चले जा रहे हैं। आप यह अधिकार जजों के हाथ में क्यों देते चले जा रहे हैं, मुंसिफों के हाथ में, कलेक्टरों के हाथ में क्यों देते चले जा रहे हैं? वहां कुछ और भी व्यवस्था हो सकती है। उसके सुझाव भी दिये जा सकते हैं और जब यह समिति बनने जा रही है और वह उस पर विचार विनिमय करेगी तो मुझे आशा है कि हमारे बहुत से साथी अपने कुछ मौलिक विचार और उसके सम्बन्ध में अपने सुझाव उस समिति को देंगे।

मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, इस सम्बन्ध में मैंने पिछले तीन चार साल पहले पढ़ा था कि हमारे माननीय खेर जी की अध्यक्षता में शायद कोई एक कमेटी बनी थी। उसने भी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ किया है। मैंने तलाश की, लेकिन मुझे मिल नहीं पाया। मैं देखना चाहता था कि उसकी क्या सिफारिशें थीं। लेकिन वह मुझे मिला नहीं। मैं समझता हूं कि हमारे नये शासक कुछ थोड़ा सा अपना दिमाग इसमें अच्छी तरह से लगायेंगे। उन्हें कुछ देश में नये परिवर्तन लाने हैं और वह परिवर्त्तन गांवों और नगरों से ही होंगे। ऊपर का ढांचा तो सारा विदेशी हो गया है। विदेशीपन को अपनाने में हमने कमाल कर दिया है। केवल दिखावे के लिये ड्रेस हमारा देशी रह गया है। खद्दर पहन कर हम समझते हैं कि हम देशी हैं। लेकिन हमारा सारा दिल व दिमाग विदेशी हो गया है। भाषा विदेशी, व्यवहार विदेशी, सभी कुछ विदेशी हमने अपना लिया है। क्या हमारे पास अपना कुछ नहीं है? क्या अपनापन बिलकुल हम खो बैठे? मेरी आपसे प्रार्थना है कि चौखम्भा राज्य के स्थापित करने के लिये हमारी सब की भावना कुछ दिन पहले थी। उसमें ग्राम समाज, नगर समाज, स्टेट और केन्द्र यह चार खम्भे थे। अभी भी हम तो यही चाहते हैं कि देश में चौखम्भा राज्य स्थापित हो और चारों स्थानों पर हमारी शक्तियों को हर विषय में कुछ वास्तविक अधिकार हों। न्याय में, व्यवस्था में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, प्रत्येक अंग में उन्हें कुछ मौलिक अधिकार हों। उसी प्रकार की मांग हम करते हैं।

जब हम यह विधेयक बनाने जा रहे हैं और नया-नया बनाने जा रहे हैं तो इसके नाम में भी परिवर्त्तन होना चाहिए, इसके काम में भी परिवर्त्तन होना चाहिए। यह बजाय शासन के, सेवा करने वाला होना चाहिए। अधिकतर हमारा विचार नगरों की सेवा करने का हो, प्रान्त की सेवा करने का हो, शासन करने का नहीं। यह शासन शब्द ही कुछ ऐसा बन गया है कि जो मुनासिब नहीं है। गांधी जी के "हरिजन" के पन्नों को जब हम उलटते हैं तो सोचते हैं कि क्या हो गया गांधी जी के सेवकों को, क्या हो गया हरिजन भक्तों को, कहां जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं, समझ में कुछ नहीं आता। सामने जब यह विधेयक आता है तो देखते हैं कि इसके अन्दर तो वही सब विदेशीपन भरा हुआ है। बिलकुल ऐसा मालूम होता है कि पूरी कापी रख दी है। कार्पोरेशन हमारे यहां शायद पहले भी बने हुए हैं पुराने शासन के जमाने के बम्बई और कलकत्ता वगैरह में हैं। वहां भी वही मेयर और एल्डरमेन--उसी तरह की चीजें इसमें भरी हुई हैं। वही सब नकल करने पर भी हमारी सरकार को दस वर्ष इसके लाने में लग गये।

एक सदस्य--दस वर्ष कैसे लग गये?

श्री रामसिंह चौहान--आपके ही बहुत से साथी बतला चुके हैं कि अभी तक डिस्ट्रिक्ट बोर्डस् पर आप कब्जा जमाये हुए हैं। रोज कहते हैं कि यह कर रहे हैं, वह कर रहे हैं लेकिन होता कुछ नहीं। किस तरह से जनतंत्र का मखौल बना रक्खा है? अगर मांग करते हैं तो शक्ति के मद में वह चीज दबा दी जाती है। कहा जाता है कि जनतंत्र का हमारा दावा है। सूबे के इलेक्शंस और केन्द्र के इलेक्शंस तो हो गये लेकिन म्युनिसिपल बोर्ड व डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के इलेक्शन नहीं हुए। जब आप देखेंगे कि आपके पास लोकल सेल्फ बाडीज के लिये आदमी हैं तब यह नगर निगम भी बन जायगा और तभी शायद इलेक्शंस भी हो जायेंगे। अजीब तमाशा है। जिस प्रकार रूस में कुछ लोगों को उठा कर रख दिया जाता है और

[श्री रामसिंह चौहान]
उन्हीं को वोट देने के लिये कहा जाता है उसी प्रकार जब टैक्स देते-देते हमारा कचूमर निकल जायगा और हम लोगों में दम न रहेगा तब थोड़े से अपने आदमी आप ला कर बैठा देंगे और नगर निगम भी बना देंगे ।

मैं चाहता हूं कि देश में नई व्यवस्था लाने के लिये वास्तविक सेवा ही हमारा उद्देश्य होना चाहिये और उसके लिये मैं अपने सभी साथियों से---इधर के और उधर के---कहूंगा कि कुछ विचारों में परिवर्तन लाइये, व्यवहार में कुछ परिवर्तन लाइये तब तो हमारी आने वाली पीढ़ी के बच्चे समझ पायेंगे कि देश में कुछ परिवर्तन हुआ । इस प्रकार के नकलपन से काम नहीं चलेगा । कब तक नकल करते चले जाइयेगा ?

श्री उपाध्यक्ष---माननीय सदस्य एक ही बात को बारबार दोहरा रहे हैं ।

श्री रामसिंह चौहान---मैं इसलिये कह रहा था कि जहां देखता हूं वहां बिल्कुल कापी देखता हूं । मैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं पाता हूं जिसमें मुझे यह संतोष हो कि हम कुछ कहीं आगे बढ़ रहे हैं । उन्हीं पुरानी बातों पर चल रहे हैं जिससे बड़ी निराशा होती है । इसलिए मुझे श्रीमन् के द्वारा यही निवेदन करना है कि जब हमारे विचार करने वाले इस पर विचार करने बैठे तो इसमें जो खामियां हैं, जो एक पुरानापन है उसमें तब्दीली करें और एक ऐसी चीज हमको दें जिससे वास्तव में हम अपने नगरों का कल्याण कर सकें ।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस नगर निगम विधेयक को पढ़ा । मैंने इसको भी, जो हमारे लोकल ऐक्ट्स हैं उनकी भांति पाया और जो परिभाषा दी गई है वह दूसरे ऐक्ट्स पर आधारित की गई है । मैं यह चाहता हूं कि जब यह सिलेक्ट कमेटी में जाय तो परिभाषा वाली बात को देखा जाय जिससे पढ़ने वाले को यह दिक्कत न हो कि उसे उस ऐक्ट को भी ढूंढ़ना पड़े जिस ऐक्ट में कि परिभाषा दी हुई है ।

गवर्नमेंट जो अधिकार लेती है ४-५ आदमियों को चुनने का वह भी जनहित की हत्या है । वह भी अधिकार हमको मिलना चाहिये । मैं आपको बताऊं कि सेक्शन १८ में मेयर की उम्र ३५ वर्ष और.....

श्री चन्द्रसिंह रावत (जिला गढ़वाल)---प्वाइंट आफ आर्डर । यह दफाओं पर बात हो रही है या जनरल डिस्कशन हो रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष---(श्री हिम्मत सिंह से) आप अपना भाषण जारी रखिये ।

श्री हिम्मतसिंह---धारा १८ (ख) और (ग) में ३५ वर्ष की उम्र और इंटरमीडियेट तक की शिक्षा मेयर के लिए अनिवार्य रखी गयी है । मेरी राय में आयु २५-३० वर्ष की रखी जानी चाहिये और जैसा कि विधान सभा के सदस्यों के लिए इस प्रकार की कोई पाबन्दी नहीं है तो यहां भी इंटरमीडियेट रखना उचित नहीं होगा ।

दूसरे जो हमारे सेक्शन ११२ में कर्तव्य और अधिकार दिये गये हैं उसके सब-सेक्शन (१) के (३८) के बाद ११३ की उपधारा (१) और (२) को (३९) और (४०) के रूप में बढ़ा दिया जाय । मैं धारा ११३ की उपधारा (१) को पढ़ता हूं---

"नगर के भीतर या बाहर, ऐसे व्यक्तियों की देखभाल के लिए, जो अशक्त (infirm), रुग्ण या असाध्य रूप से रोगग्रस्त हों या अंधे, बहरे, गूंगे (mute) या अन्य रूप से असमर्थ (disabled) व्यक्तियों या सुविधाहीन (handicapped) बच्चों की देखभाल तथा प्रशिक्षण के लिए, संस्थाओं का, जिनमें पागलखाने, कुष्ठाश्रम, अनाथालय तथा महिल सेवा आश्रम (rescue house) सम्मिलित हैं, संगठन, संधारण अथवा प्रबन्ध करना ।"

यह ऐसी चीज है जिसका होना, कर्त्तव्य जो दिये गये हैं, उनमें अनिवार्य होगा, क्योंकि जब हम कहते हैं कि समाजवादी ढांचे पर समाजवादी व्यवस्था करना चाहते हैं, तो इनमें सब ऐसे अशक्त आदमी आ सकेंगे जिनकी देखभाल की जरूरत है। तो आपके द्वारा ध्यान दिलाना चाहता हूं कि उनके ऊपर छोड़ दिया गया है कि अपने कर्त्तव्य को चाहे करें या न करें, ११२ की धारा.....

श्री उपाध्यक्ष—माननीय सदस्य को मैं यह बतलाना चाहता हूं कि साधारण वाद-विवाद में धाराओं का पढ़ना अनुचित है। आप नाम लेकर या संख्या बताकर किसी धारा के बारे में कह सकते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—तो इसके बारे में उसके अन्तर्गत छोड़ दिया जाय और अब टैक्सेशन के बारे में, जहां कि संख्याओं के ऊपर टैक्स रखा गया है, उसकी धारा भी निश्चित कर देनी चाहिये कि यहां पर सीमा हुई। और जो हमारा इंटरटेनमेंट टैक्स गवर्नमेंट लगाती है, उस काम को भी कार्पोरेशंस के सुपुर्द कर देना चाहिये और एक्साइज और इलेक्ट्रिसिटी भी कार्पोरेशंस को दे देनी चाहिये। शिक्षा, जो हमारे इस कार्पोरेशन में अनिवार्य होनी चाहिये, उसकी देखभाल भी कार्पोरेशन अनिवार्य रूप से करे।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नगर निगम विधेयक की चर्चा आज कई वर्षों से है। मैं नहीं कह सकता कि मेरा दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि मैं कबाल टाउंस का, जिन पर सीधा असर इस विधेयक का पड़ेगा, रहने वाला नहीं हूं, लेकिन साल में कई मर्तबा इन नगरों में जाने का मौका मुझे मिलता है और बाहर के आदमी की हैसियत से जो मैं महसूस करता हूं वह यह है कि जबसे नगर निगम विधेयक बनाने की तैयारियां हो रही हैं और इस बीच वहां जो म्युनिसपैलिटीज से ऐडमिनिस्ट्रेशन लेकर ऐड-मिनिस्ट्रेटर वहां पर मुकर्रर किये गये हैं तब से कई चौराहे तो जरूर ऐसे हैं, जिनमें कुछ चमक दिखाई देती है, लेकिन जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन आम तौर से इतना खराब हो चुका है कि इन नगरों का हर नागरिक यह चाहता है कि आज जल्द से जल्द नगर निगम विधेयक पास हो कर वहां पर चुनाव हो जाय लेकिन उसके सामने एक अजीब समस्या पैदा हो गयी है। इन शहरों के हर एक नागरिक को "मेयर" क्या हैं, "एल्डरमैन" क्या हैं, नगर निगम विधेयक क्या होगा, उसमें हमारे क्या अधिकार बढ़ेंगे और क्या नहीं बढ़ेंगे, इन सब बातों की जानकारी नहीं है। आज जब नगर निगम विधेयक की चर्चा इन अखबारों में होती है तो वहां के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उनमें से अखबार पढ़ने वाले तो जरूर इस आशा से देखेंगे कि अगर नगर निगम विधेयक बनेगा तो वहां के नागरिकों के अधिकार क्या होंगे और जो म्युनिसिपैलिटी के समय में उनके अधिकार थे उनसे कुछ बढ़ कर मिलेंगे या कुछ घट जायंगे।

जब इस दृष्टि से हम नगर निगम विधेयक को देखते हैं तो श्रीमन्, मुझसे पहले कई वक्ता इस बात को कह चुके हैं लेकिन उसको थोड़ा सा दोहराये बगैर मैं आगे बढ़ने में असमर्थ हूं, इस लिये उसका जिक्र करता हूं, मुझे आश्चर्य होता है। एक तरफ तो यह सरकार जो हमारे सदन की भाषा है उसमें इस प्रकार का उलट फेर करती है कि जिससे सुनने वाले को भी जरा हंसी आ जाती है। इस सदन की मेज पर दो बार कौंसिल से होने के बाद एक ऐडवान्स कापी हम लोगों को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स अमेंडमेंट बिल की मिली। उसका हिन्दी अनुवाद था "औद्योगिक झगड़ा विधेयक।" या तो आप इतना अधिक अंग्रेजी से दूर भाग जाते हैं कि उसका अनुवाद भी इस हद तक ठेठ देहाती में कर देते हैं कि पढ़ने वाले को आपकी और इस तरह के संशोधन करने वाले की बुद्धि पर हंसी आने लगे और जब आप नया विधेयक पेश करते हैं तो उसका जो नाम रखते हैं वह हमारे यहां की जनता की ही नहीं बल्कि यहां जो हमारे विधायक लोग बैठे हैं उनसे भी अगर ईमानदारी से पूछा जाय कि 'मेयर' 'एल्डरमैन' 'म्युनिसिपल कमिश्नर' आदि शब्दों का जो समावेश विधेयक की परिभाषाओं में किया गया है वह उनकी समझ में खाक

[श्री मदन पांडेय]

पत्थर कुछ आता है, तो शायद बहुतों की समझ में कुछ नहीं आता होगा। हम अगर नगर निगम विधेयक की प्रतियां जनता के सामने रखें तो उनको यही समझ में आयेगा कि हमको बड़े-बड़े बम्बास्टिक शब्द जरूर मिले हैं, लेकिन समझ में कोई खास बात नहीं आती है। मैं इस विषय में बहुत स्पष्ट निवेदन करना चाहता हूं, मुझे खुशी है कि सरकार नें स्वयं ही इस विधेयक को एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने का फैसला किया है, लेकिन अगर फैसला हुआ है तब भी मैं आपके द्वारा सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि 'मेयर', 'एल्डरमेन', 'कौंसिलर' इन शब्दों के लिए आप हिन्दी के शब्द ढूंढिये जो वाकई में लोगों की समझ में आ सकें और अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो यह सारी दुनियां के सामने बुद्धि का दिवालियापन कहा जायगा।

इसके अलावा जब हमने गौर से इसकी भीतरी चीजों को देखना चाहा तो इसमें जो इंटरमीडियेट का सवाल है वह भी नजर आया। इतने विधायक लोग कानून बनाने बैठे हैं, हमारे चुनाव में, यहां तक कि प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक के चुनाव में कोई भी इस तरह की योग्यता का सवाल नहीं पैदा होता है। इंटरमीडियेट तक की शिक्षा की कैद रखना, यह मेरी समझ में बहुत से जन-सेवकों को वंचित कर देगा। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आज भले ही नये-नये लोग जनसेवा के मैदान में आ चुके हों लेकिन अभी भी बहुत से पुराने लोग, जिन्होंने जब पढ़ाई का वक्त था तो जेलों में काटा, बहुत से नये जनसेवियों से आगे हैं और आज भी जनता की उनके प्रति श्रद्धा और आदर है। आप इंटरमीडियेट की कैद लगाइये लेकिन पहले पांच साल तक इंटरमीडियेट तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था कर लीजिये तो हमको बड़ी खुशी होगी।

(इस समय ३ बज कर ५० मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के चले जाने पर अधिष्ठाता, श्री हरिश्चन्द्रसिंह पीठासीन हुये।)

उसके बाद हमने जो इस विधेयक की परिभाषाओं पर दृष्टि डाली तो पता नहीं माननीय मंत्री जी या उनके सेक्रेटेरियट के लोग सोते हुये इन परिभाषाओं को बना रहे थे या जागते हुये। इन परिभाषाओं में एक बहुत अजीब बात हमको देखने को मिली। "बाजार" की परिभाषा इसमें यह लिखी हुई है कि "मनुष्यों या पशुओं की खाद्य सामग्री बिकने की जगह।" क्या अगर कपड़ा बेचने की जगह वहीं हो, जैसा कि आम तौर पर बाजारों में हुआ करता है कि वहां केवल खाद्य सामग्री ही नहीं बिका करती बल्कि पहनने के, ओढ़ने के सामान, पान, बीड़ी, सिगरेट और तम्बाकू जो खाने की चीजें नहीं हैं वे भी बिकती हैं, तो क्या वह आपकी बाजार की परिभाषा में नहीं आयेंगी और फिर यह परिभाषा कहां जायगी, यह मेरी समझ में नहीं आता।

इसमें एक व्यवस्था यह की गई है कि ७५ व्यक्तियों की एक कौंसिल चुनेगी और उसके एक चौथाई मेम्बरों को सरकार नामजद करेगी। मेरी समझ में नहीं आता है कि हम देहात के लोगों के साथ ऐसी कोई ज्यादती हो जो नाख्वांदा हैं, अपढ़ हैं, तब तो बात समझ में आ सकती थी, लेकिन सबसे ऊंचे हमारे शहरों के पढ़े-लिखे लोगों के साथ आप यह पाबन्दी क्यों लगा रहे हैं? यह नामजदगी करने की प्रथा अंग्रेजी सरकार के जमाने की है जब उन्होंने हम लोगों को नाख्वांदा करार दे रखा था और नामजदगी का तरीका निकाला था, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि आज जब जनसत्ता जनता के हाथ में हम देखना चाहते हैं और सरकार भी फ्राम दि हाउसटाप्स यह प्रोफेस करती है कि वह जनता में जनसत्ता देना चाहती है तो फिर यह नामजदगी वाला कलाज क्यों ल आती है? जो हमारे नागरिक हैं उनके अधिकारों का क्यों अपहरण किया जा रहा है?

स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री रामस्वरूप यादव)—एक चौथाई का नामिनेशन नहीं है।

श्री मदन पांडेय---ठीक है, एक बटा पांच होगा। मैं तो नया सदस्य हूं, इतनी गलती तो अमेंड की जा सकती है।

जितनी बातें मुझे कहनी थी वह मैं कह चुका और इन शब्दों के साथ मैं पालीवाल जी के संशोधन के सहित इस को प्रवर समिति को सुपुर्द करने के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री जगदीशशरण अग्रवाल (जिला बरेली)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज माननीय मंत्री महोदय ने सदन के सामने वह विधेयक प्रस्तुत किया जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा थी। अच्छा होता यदि यह विधेयक और पहले आ चुका होता। आज जब माननीय मंत्री जी का भाषण सुना तो इस बात से दुख हुआ कि इसके लिये हमें काफी क्षति उठानी पड़ी है। मैंने माननीय मंत्री जी के वक्तव्य से ही समझा कि जब केन्द्रीय सरकार ४० करोड़ रुपये का वितरण कर रही थी तो उसमें १० करोड़ रुपया कार्पोरेशन्स के हिस्से में आने वाला था। यदि हम अपने यहां पहले से कार्पोरेशन कायम कर लेते तो कदाचित् हमें अपना भाग अवश्य मिलता। मुझे तो अभी भी खेद है कि माननीय मंत्री जी की उस अच्छी सलाह को केन्द्र ने क्यों नहीं माना कि जब यह निश्चित बात थी कि हमारी विधान सभा में एक विधेयक आ रहा था, जब हम अपने यहां कार्पोरेशन्स निश्चित रूप में बनाने जा रहे थे, तो जो अगली पंचवर्षीय योजना में कार्पोरेशन्स की उन्नति पर रुपया खर्च होने वाला था, उसमें हमारा भाग हमको अवश्य मिलना चाहिये था। वह रुपया क्यों नहीं मिला?

श्रीमन्, जहां तक प्रस्तुत विधेयक का संबंध है उसके बारे में कुछ कहने से पहले मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि यदि हम स्वायत्त शासन के इतिहास के पन्ने लौटें तो देखेंगे कि १८८७ में हमारे देश में लार्ड रिपन के जमाने में स्वायत्त शासन का प्रादुर्भाव हुआ। १९१६ में सबसे पहले स्वायत्त शासन की आधारशिला के रूप में हमारा आज का म्युनिसिपल ऐक्ट कायम हुआ। मुझे दुःख के साथ निवेदन करना पड़ता है कि इस दिशा में समय की प्रगति के साथ हम प्रगति नहीं कर पाये। मांटेगू-चैम्सफोर्ड रिफार्म के समय जहां पर हम थे उससे बहुत आगे आज तक भी स्वायत्त शासन में हम बढ़ नहीं सके हैं। फिर भी श्रीमन्, १९३५ में जब यहां पापुलर मिनिस्ट्री आई तो उन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि उन्होंने १९३८ में एक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कमेटी कायम की और उसने बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। उस कमेटी ने इस ओर ध्यान दिलाया कि हमें स्वायत्त शासन को सशक्त और सबल बनाना है। वास्तव में श्रीमन्, स्वायत्त शासन की नींव उस समय पड़ी थी जब कि अंग्रेजी सरकार हमें एक स्वायत्त शासन के रूप में स्वशासन का भुलावा देना चाहती थी। वह नींव उस समय पड़ी थी जब कि अंग्रेज सरकार कोई वास्तविक शक्ति हमें न देकर हमारे सामने एक ढांचा रखना चाहती थी।

उसके बाद जब हमारे प्रदेश में और हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद अपनी सरकारें कायम हुईं। तब समय था कि हम सोचते कि या तो हम इन स्वायत्त शासन की संस्थाओं को समाप्त कर दें, क्योंकि उस समय जब कि प्रान्त में और केन्द्र में हमारी अपनी सरकारें बनी हुई हैं, जिनमें पूर्ण रूप से हमें सब कुछ करने का अधिकार है, तब इस डुप्लीकेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, या दूसरी तरफ हम यह सोचते कि यदि हम उनको कायम रखें तो उनको अधिकार दें, उनको सशक्त और सबल बनायें, जिससे वह हमारे कार्य को हमारे विधान सभा के और केन्द्र के कार्य को सप्लीमेंट कर सकें। इसके लिये उनको अधिक बल, अधिक शक्ति और विस्तृत क्षेत्र देने की आवश्यकता थी। १९३८ में उस सरकारी कमेटी ने यह सिफारिशें कीं कि स्वायत्त शासन संस्थाओं के लिये हमें उनको पुलिस के अधिकार देने चाहिये। उनकी सिफारिश थी कि हमें स्वायत्त शासन के लिये कई ऐसी चीजों के अधिकार उनको देने चाहिये जिनमें कुछ ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस का भी सम्बन्ध हो। उनकी सिफारिश थी कि हमें लेबर वेलफेयर से सम्बन्धित नियमों का अधिकार भी स्वायत्त शासन संस्थाओं को देना चाहिये, आदि-आदि। इन तमाम सिफारिशों पर समय-समय पर हमें विचार करने का अवसर मिला।

[श्री जगदीश शरण अग्रवाल]

अगर हम दूसरे देशों की स्वायत्त शासन संस्थाओं पर निगाह डालें तो हम देखेंगे कि अमरीका में और इंगलैन्ड में, जहां का माडल हमारे कांस्टीट्यूशन का आधार है, जहां के माडेल के आधार पर हमने अपने म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट को और इस कार्पोरेशन ऐक्ट को भी बनाया है, हमारे देश को स्वायत्त शासन संस्थाओं से कहीं अधिक अधिकार हैं।

इस सिलसिले में अभी हमारे एक माननीय मित्र इस सदन में कह रहे थे कि हमारी आदत नकल करने की है। मैं तो यह कहूंगा कि नकल करना कोई बुरी बात नहीं है। अच्छी बात की नकल करना हमारा अधिकार है, हमारा कर्त्तव्य है। हमारा फर्ज है कि हम संसार के सारे प्रगतिशील देशों के अनुभवों का लाभ उठायें। यदि उन अनुभवों के आधार पर कोई अच्छी चीज हमें मिलती है तो हम अवश्य उसकी नकल करें। हमेशा एक नयी बात ही कहते रहना कुछ विशेष शोभा नहीं देता। हमें अवश्य ही दूसरे देशों की पद्धति से लाभ उठाने का प्रयत्न करना चाहिये। श्रीमन्, मैं संदर्भ से कुछ दूर चला गया।

मैं यह निवेदन कर रहा था कि हमारा कांस्टीट्यूशन और हमारी स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं का कांस्टीट्यूशन अमेरिका और इंगलैन्ड की संस्थाओं के माडल पर है। आप उधर भी निगाह डालें। उन्होंने पुलिस और टैक्सेशन के लिये विस्तीर्ण अधिकार अपने यहां के कार्पोरेशन को दे रखे हैं। इस पर समय-समय पर जब कि विचार किया गया तो यह कहा गया कि पुलिस को अधिकार देना बड़ी दिक्कत की चीज हो सकती है। वहां पर इसका दुरुपयोग हो सकता है। म्युनसिपल बोर्ड और कार्पोरेशन में आम तौर पर पार्टी पोलिटिक्स चलती है, तो कदाचित् वहां पर ऐसा न हो जाय कि पुलिस भी इस प्रयोग में लाई जाय। इस प्रकार से कहा गया कि यह आशंका हो सकती है कि इस प्रकार से पुलिस का संचालन उनके हाथ में दिया जाय। किन्तु मैं उदाहरण के लिये आप से निवेदन करूंगा कि ट्रैफिक पुलिस तो पुलिस विभाग के आधीन होती है पर वहां सिविक बाडी पर इसका उत्तरदायित्व स्वायत्त संस्थाओं पर रहता है। शहरों में जहां पर ट्रैफिक पुलिस की सुविधा रहती है वहां पर वहां की सिविक बाडी पर उसका उत्तरदायित्व रहता है, उसके संचालन का अधिकार पुलिस के ऊपर रहता है। यह कितनी आसान बात थी कि ट्रैफिक पुलिस को स्वशासन संस्थाओं के सिपुर्द कर दिया जाता और मैं यह आशा करता था कि जब हम कार्पोरेशन बिल यहां पर पास कर रहे हैं तो कम से कम कवाल टाउन्स में इसका प्रयोग कर के देखते।

इसी तरह से हम देखते हैं कि जहां तक म्युनिसिपल बोर्ड का ताल्लुक है या स्वशासन संस्थाओं का ताल्लुक है, वहां पर ऐसी आवश्यकता पड़ेगी कि इस प्रकार का अधिकार म्युनिसिपल बोर्ड को दिया जाय। किसी भी म्युनिसिपल बोर्ड को यह अधिकार है कि वह अपने यहां बाई-लाज पास करे या सरकार कार्पोरेशन को वही अधिकार दे रही है, लकिन उस अधिकार को एक्जिक्यूट कराने के लिये स्वशासन संस्थाओं को कठिनाई होती है। उसके लिये म्युनिसिपल अधिकारियों को पुलिस के ऊपर आश्रित होना पड़ेगा। यह कोई अच्छी चीज नहीं होगी। सरकार को कभी न कभी इस ओर ध्यान देना ही पड़ेगा। जब हम कार्पोरेशन अपने बड़े नगरों के लिए बनाने जा रहे हैं तो यहीं से इसकी शुरुआत करें।

इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि बरेली नगरपालिका से मेरा भी सम्बन्ध रहा है और ४, ५ वर्ष तक मैं अध्यक्ष भी रहा हूं। उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूं कि आज सब से बड़ी कठिनाई इन स्वशासन संस्थाओं के सामने आर्थिक है। उनके आर्थिक साधन इतने सीमित हैं कि वह सारा काम, जो उनको करना चाहिये, कर नहीं पाते हैं। जब आप उनसे अच्छे शासन की आशा करते हैं, जब आप उनसे अच्छी व्यवस्था की आशा करते हैं तो उनके आर्थिक साधन भी विस्तृत करने की आवश्यकता है। हम जो नया कार्पोरेशन बिल या कोई नई चीज इस हाउस में लायें तो हमारा यह कर्त्तव्य होना चाहिये और हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि हम इस ओर ध्यान दें। उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी को बढ़ाने की कोशिश करें। यह ठीक है कि इस बिल में इस बात की आज्ञा दी गई है कि कार्पोरेशन अपने यहां कोई बड़ी स्कीम चालू करना चाहे तो उसके लिये वह डिबेन्चर के रूप में कर्जा ले सकता है। यह ठीक

ही है, क्योंकि बिना कर्जे के कोई बड़ी स्कीम पूरी नहीं हो सकती है। एक मित्र ने कहा कि कर्जा लेने की बात बड़ी गलत है। मैं सिद्धान्ततः उनकी बात का विरोध करता हूं। मेरी राय यह है कि ऐसे प्रगति के कार्य बिना कर्जा लिये हुये नहीं हो सकते हैं। वह तो नाम का कर्जा है। वास्तव में वह तो एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है। उस कर्जे को लेकर यदि नगर निर्माण का कार्य करता है—जैसे कि आजकल निर्माण की बहुत आवश्यकता है—तो उससे उसका लाभ ही होगा।

इस विषय में मेरा यह भी निवेदन है कि सरकार अरबन एरिया को अभी तक नेगलेक्ट करती रही है। कुछ ऐसी धारणा हमारे मन में आ गयी है। मैं मानता हूं कि हमारा देश गांवों में है, असली हिन्दुस्थान गांवों में रहता है, लेकिन इन्टैलीजेन्शिया शहरों में ही रहती है और मैं यह समझता हूं कि अब समय आ गया है कि जब हमें उनकी ओर भी उचित ध्यान देना होगा।

इस बिल के दो महत्वपूर्ण अंग हैं। एक इसके निर्माण के सम्बन्ध में है, जिसमें यह है कि किस प्रकार वेयरमैन, एल्डरमैन, काउन्सिलर्स का चुनाव हो। दूसरे अंग में हैं कि इसके फंकशन्स क्या हैं जिनका जिक्र धारा ११२ व ११३ में है। धारा ११२ में कार्पोरेशन के मैन्डेटरी फंक्शन्स पर प्रकाश डाला गया है और ११३ में उन कर्तव्यों की ओर संकेत है जो ये कर सकेंगे। किसी भी ऐसी संस्था के लिये सबसे महत्वपूर्ण यही दो अंग होते हैं। मैंने इसे बड़े ध्यानपूर्वक, जितना सीमित समय हमें इसके सदन में आने के बाद मिला, उसमें पढ़ा और मैं यह समझता हूं कि इसमें काफ़ी विस्तार की आवश्यकता है। मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने स्वयं ही इस आवश्यकता का अनुभव करते हुये इस सदन के माननीय सदस्यों की भावनाओं का समावेश करने के अभिप्राय से यह प्रस्ताव किया है कि यह संकल्प प्रवर समिति को सौंपा जाय। मेरा विश्वास है कि वहां जाकर इसकी कमियां दूर हो सकेंगी।

श्रीमन्, मैं अपना स्थान ग्रहण करने के पहले एकाध मिनट और लेना चाहता हूं। कुछ मित्रों ने इसमें जो धारा मेयर की एजूकेशनल क्वालीफीकेशन्स के लिये रखी हैं उस पर आपत्ति की। मैं चाहता हूं कि वह कृपा कर इस सदन के और केन्द्रीय सदस्यों का इस बात में मुक़ाबला न करें। एक मेयर और एक विधायक के कर्त्तव्यों में बहुत अन्तर है। एक विधायक किसी भाषा को अच्छी तरह से समझ ले, मगर मेयर के पास एग्जीक्यूटिव काम होता है जिसके लिये जो न्यूनतम योग्यता रखी गयी है, इन्टरमीडियेट, वह भी मेरी राय में कम है। अगर बी० ए० होता तो अच्छा था। मैं यह नहीं कहता कि अंग्रेजी का ही बी० ए० हो, वह संस्कृत का भी हो सकता है, उस डिग्री का होल्डर भी चीजों को अच्छी तरह से समझ सकेगा। मेरा निश्चित निवेदन है कि इसमें ऐजूकेशनल क्वालीफीकेशन होना अत्यन्त अनिवार्य है वर्ना बड़ा अनर्थ होने की सम्भावना है।

इस विधेयक में मेयर के चुनाव के लिये इनडाइरेक्ट चुनाव का प्रावीजन है। म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट में पहले हमने यह रखा था कि चेयरमैन का चुनाव सीधे जनता से हो। हो सकता है कि कुछ सदस्यों को टीकाटिप्पणी के लिये कोई बात चाहिये, लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि सीधे चेयरमैन के चुनाव से म्युनिसिपैलिटीज का काम बन्द हो गया, डैडलाक हो गया, क्योंकि चेयरमैन एक पार्टी का हुआ तो बोर्ड में बहुमत दूसरे का हुआ। चेयरमैन में उनका विश्वास नहीं था और नतीजा यह हुआ कि चेयरमैन अशक्त हो गये और काम नहीं कर सके। यह जो प्रावीजन है वह उस अनुभव के आधार पर है।

अब एक आखिरी बात जो मैं इस विषय में निवेदन करना चाहता हूं वह मेयर की अवधि के बारे में है। इस प्रस्तुत विधेयक में मेयर की अवधि अधिक से अधिक दो साल की रखी गयी है, लेकिन मैं यह सोचता हूं कि यह पर्याप्त नहीं होगी। इसके बारे में यद्यपि आज कोई अन्तिम निश्चय नहीं लिया जा सकता, लेकिन मेरा यह निश्चित मत है कि इस विषय में बड़ी गंभीरता से विचार होना चाहिये। क्योंकि यदि हर वर्ष, अथवा हर दूसरे वर्ष चुनाव हुआ करेंगे तो उसका

[श्री जगदीशशरण अग्रवाल]

परिणाम यह होगा कि मेयर की कुर्सी पर बैठने के बाद उसमें कार्यक्षमता भी न आ पायेगी, वह कार्पोरेशन के कार्य को अच्छी तरह समझ भी न पायेगा कि चुनाव आ जायगा। तो जब उसे यह मालूम होगा कि एक साल के बाद उसे नहीं रहना है तब मैं समझता हूं कि अपने कार्य में वह कोई कारगर प्रगति नहीं कर पायेगा। एक साल में तो कोई मेयर या चेयरमैन स्थानीय संस्था के कार्य को, वहां की आवश्यकताओं को, वहां की पालिसी को समझ ही पाता है। इसलिये यदि इतनी शीघ्रता से ही चुनाव कर दिया गया तो कोई लाभ नहीं हो सकेगा, बल्कि इसका दुष्परिणाम ही हो सकता है। उसका एक दुष्परिणाम तो यही हो सकता है कि सदा इलेक्शन का सिलसिला जारी रहेगा। जो प्रस्तुत विधेयक में तरीका है, उसके मानी यह होंगे कि हर साल मेम्बरान का चुनाव हुआ करेगा और हर दो साल में मेयर का चुनाव हुआ करेगा। इसके मानी यह है कि चुनाव का वातावरण ५ साल तक बराबर चलता रहेगा। इससे सब माननीय सदस्य परिचित ही हैं कि चुनाव का वातावरण किस प्रकार का होता है। कैसा मस्तिष्क विक्षिप्त हो जाता है, कैसी कटुता पैदा हो जाती है। ऐसी विक्षिप्तता और कटुता के वातावरण में अगर कार्य हुआ तो कुछ कठिनाई पैदा हो सकती है। मैंने इन सुझावों में थोड़ी सी बातों की ओर संकेत किया है। मैं आशा करता हूं कि प्रवरसमिति उन बातों पर ध्यान देगी और इस बिल को उचित रूप में सदन के सामने प्रस्तुत करेगी।

*श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—माननीय अधिष्ठाता जी, इसके पहले कि मैं इस बिल का समर्थन करूं, मैं माननीय पालीवाल जी को जिन्होंने प्रवर समिति का प्रस्ताव रक्खा है, धन्यवाद देता हूं।

जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है और चुनावों का संबंध है, यह माननीय पालीवाल जी ने अच्छी तरह से बता दिया है कि सरकार इसको किस प्रकार से टालती रही है। मैं उस नगर-पालिका का सदस्य हूं जो ५ कवाल टाउन्स में से एक है। मैं उस नगर पालिका का सदस्य रहा हूं जिसके प्रधान माननीय जवाहर लाल जी रहे हैं। परन्तु वहां पर चुनाव किस प्रकार से टाला गया, यह किसी से छिपा हुआ नहीं है। दो बरस नहीं, चार बरस नहीं, वहां पर चुनाव ग्यारह बरस से नहीं हुआ। ७ बरस हुये यहां की सरकार ने यह वायदा करके कि कार्पोरेशन बनाने जा रहे हैं, नगरपालिका को अपने हाथ में ले लिया। इसमें सरकार की एक दूरदर्शिता थी और वह यह कि वह यह जानती थी कि अगर हमने इन पांच कवाल टाउन्स में यदि अपना कब्जा न रक्खा तो वस्तुस्थिति कुछ और ही होगी। इस प्रदेश में जो विधान सभा के चुनाव हुए, अगर सरकार ने ऐसा न किया होता तो जो आज विरोधी दल के १४४ सदस्य हैं, उतने ही न होकर विरोधी दल बहुमत में होता। क्योंकि ५ कवाल टाउंस जो हैं वे हमारे प्रदेश में प्रमुख शहर हैं, जिन पर सरकार कब्जा किये हुए है। नरगपालिकाओं के माननीय सदस्य जो अपने-अपने जिलों में काम कर रहे हैं वे जानते हैं कि प्रजातंत्र के नाम पर वहां क्या-क्या हुआ। श्रीमन्, इस समय मैं इस बिल के ऊपर उन बातों को न कह कर इतना ही कहूंगा कि मेरे यहां चुंगी–वापसी का मामला बहुत दिनों से चल रहा था, परन्तु चुंगी-वापसी को सरकार ने उस समय हटाया जिस समय कि विधान सभा का चुनाव हो रहा था।

दूसरी बात यह कि वहां टैक्सों की भरमार है। चुंगी के बारे में, श्रीमन्, मैं यह कह देना चाहता हूं कि चुंगी का मामला उन्होंने हटाया, और चुंगी वापसी के मामले को हटा कर सरकार ने जिस प्रकार की अनैतिकता बरती है उस का हवाला इस समय न देकर जिस समय यह बिल फिर हाउस के सामने आयेगा उसी समय कहूंगा।

श्रीमन्, इस समय वहां पर जो हमारे प्रशासक मौजूद हैं वे जिस मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं उनके लिये मैं क्या कहूं? मैं चाहूंगा कि शीघ्र से शीघ्र कवाल टाउन्स से प्रशासकों को हटा कर उनकी जगह पर जब तक कि चुनाव न हो, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो सकता है कि इसमें साल, डेढ़ साल व दो साल तक भी लग सकता है ; तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक चुनाव न हो तब तक जनता के प्रतिनिधियों का ही एक बोर्ड कायम कर दिया जाय जो नगरपालिका के काम को चलावे।

श्रीमन्, इस बिल में प्रजातंत्र के नाम पर एक विशेष बात यह रखी गयी है कि कार्पोरेशन के मेयर का चुनाव डाइरेक्ट न होकर और तरीके से हो, यानी इसमें भी सरकार की नीयत यही है कि वह इस पर भी अपना कब्जा बनाये रखना चाहती है।

दूसरे इस बिल की खास बात यह है कि जो म्युनिसिपल कमिश्नर्स हैं उनको पूरा अधिकार दिया गया है, जब कि प्रजातंत्र के नाम की दुहाई देने वाली सरकार यह कहती है कि जनता के ही प्रतिनिधि होने चाहियें, और उनको सरकार चुनकर भेजेगी। तो श्रीमन्, मैं यही कहूंगा कि कार्पोरेशन का चुनाव शीघ्र से शीघ्र किया जाय और जब तक चुनाव न हो तब तक नगरपालिका के प्रतिनिधियों का एक बोर्ड कायम कर दिया जाय जो वहां का शासन करे।

*श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, जहां तक इस नगर निगम विधेयक का प्रश्न है, मैं इसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद यह विधेयक आदरणीय सदन के समक्ष आया। प्रदेश के एक नागरिक की हैसियत से हमारा यह कर्त्तव्य हो जाता है कि हम उसका स्वागत करें।

श्रीमन्, इस पूरे बिल को देखने के बाद जहां तक मेरी समझ में बात आयी वह यह है कि जिन आधारभूत सिद्धान्तों के ऊपर यह नगर निगम विधेयक तैयार किया गया है उसमें हम अपनी आस्था नहीं पाते। हमारे यहां तो बहुत दिनों से, आदि काल से, विकेन्द्रीयकरण की बातों को कहा जाता है और इसकी व्यवस्था भी है। हमारे यहां प्रचीन युग में जो गांव हुआ करते थे, वह सेल्फ ऐडमिनिस्टर्ड हुआ करते थे। हर गांव में गांव वालों का राज्य रहता था। वहां का राजस्व वहां की बहबूदी में खर्च किया जाता था और जनतांत्रिक पद्धति से उसका सारा प्रबन्ध हुआ करता था। यूरोपीय इतिहास में भी हमें ग्रीक टाउंस, रोमन सिटीज का उदाहरण मिलता है जिनका शासन विकेन्द्रीयकरण के आधार पर था और वह सेल्फ ऐडमिनिस्टर्ड टाउंस थे। आज हमारे माननीय सदस्यों ने इंग्लैंड और अमेरिका के टाउंस के प्रबन्ध के सिलसिले में जो वहां व्यवस्था है उसकी चर्चा की है। मैं आपके द्वारा उनसे नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस प्रकार यूनाइटेड किंगडम में काउंटी काउंसिल्स में राजस्व की सुविधा है, ऐसी सुविधा इन नगर निगमों में क्या, जो कार्पोरेटेड टाउंस हिन्दुस्तान में बने हुये हैं, कलकत्ता, मद्रास, बम्बई, उनमें भी नहीं है। तो यह प्रयोग किया गया है और हमारे प्री-इंडिपेंडेंस डेज में जो अंग्रेज प्रशासक थे उन्होंने हमें एक रास्ता दिखाया और डुग्गी पीटी कि हम स्वशासन उन्हें दे रहे हैं और हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां उनके एजेंटों द्वारा उत्पन्न करा दी गयीं कि हम स्वशासन में सफल न हो सके जिसका वह इतिहास रहा है, जो अन्तिम देन ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म की रही है और जिसका बहुत बड़ा अखाड़ा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, म्युनिसिपैलिटीज और कार्पोरेशंस रही हैं, आज तक भी हम उससे अपना दामन साफ नहीं कर पाये हैं। आज भी क्या वजह है कि टाउन एरियाज, म्युनिसिपल बोर्ड्स, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और कार्पोरेशंस में इतने पुराने झगड़े मौजूद हैं उसकी भी पृष्ठ भूमि है, जिस रास्ते पर चल कर आज भी हम उसकी सफाई नहीं कर पाये हैं ?

बहुत दिनों से अखबार में हम पढ़ा करते थे कि नगर निगम विधेयक आयेगा और कवाल टाउंस में उनके जरिये स्वर्ण युग कायम हो जायगा। इस विधेयक को देखने पर मुझे ऐसा लगा वह स्वर्ण युग नहीं होगा हां, उसका नाम जरूर होगा। जैसा कुछ आजकल सामान बिकता है और लड़ाई के बाद तो बहुत से बिकने लगे थे। हां, तो वह बने जापान में थे, मगर उस पर लिखा रहता था 'मेड इन यू० एस० ए०'। तो यह नगर निगम विधेयक जो हमारे सामने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री उग्रसेन]

हैं, बहुत अच्छा है, बड़े ऊंचे ख्यालात हैं उसके, हम क़द्र करते हैं, मगर वह ऐसा ही बना हुआ है जैसे आकूपाइड जापान का माल था, असल में वह अमरीका का बना हुआ नहीं था।

श्रीमन्, मैं दो तीन बातें जो विधेयक में खास तौर पर हैं उसके सिलसिले में चर्चा कर देना अपना फर्ज समझता हूं। हम से कहा जाता है कि कार्पोरेशन की बाडी हमेशा इन-टैक्ट रहेगी। वन थर्ड रिटायर कर देंगे, इस तरह से कार्पोरेशन हमेशा जमी रहेगी। मैं तो यह कहता हूं कि उसकी अवधि दो साल या तीन साल की कर दी जाय और प्रत्यक्ष चुनाव कराया जाय ताकि आम जनता में यह भावना उत्पन्न हो जाय कि नगर के प्रशासन में उनका सीधा सम्बन्ध है और उनका सीधा अधिकार है--इस दृष्टि से नहीं कि जनता उसमें अपना हक पाकर संतुष्ट होगी बल्कि इस दृष्टि से कि नगर निगम जो भी प्रशासकीय आज्ञाएं निकालेगा और जो कुछ उसके पंचमंडल के निर्णय होंगे जनता उसे मान लेना अपना फर्ज समझेगी और उसका स्वागत करेगी। हमेशा ऐसा विकेन्द्रीयकरण, विकेन्द्रित संस्थाएं, जिनका सम्बन्ध एक यूनिट के प्रशासन से हो, एक राजनीति का विद्यार्थी होने के नाते जहां तक मैं समझ पाया हूं, उसमें चुनाव सीधा कराना चाहिये। हमारे यहां तो इतिहास में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। स्विट्जरलैन्ड में जिस तरह का शासन था, वहां तो एक क्षेत्र की आम जनता उस क्षेत्र के शासन में सीधे-सीधे हिस्सा लेती थी। विधान के इतिहास में अगर कहीं ऐसा हुआ है तो क्या एक नगर की जनता को हम ऐसे अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वह उस नगर के प्रबन्ध में सीधा हिस्सा ले सके? हमें यह बात खटकी कि वह बात इस नगर निगम विधेयक में नहीं लायी गई।

इसी सिलसिले में श्रीमन्, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें एक जगह लिखा है कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव प्रतिबन्धों के अन्दर समय-समय पर जो आदेश निकाले जायेंगे सदस्यों द्वारा किया जायगा। अमेरिका में चुनाव होता है, हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव्ज का चुनाव होता है, सिनेट का चुनाव होता है, मगर श्रीमन्, मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि जब उसका प्रेसीडेंशियल इलेक्शन होता है तो एक मोशन सारे अमेरिका में पैदा हो जाता है, । आम जनता जो सिनेट का इनडायरेक्ट इलेक्शन का विरोध भी करती है मगर जब वहां के राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता है कि जनता समझती है कि वह अमेरिका के प्रशासन में सीधा हिस्सा ले रही है, भले ही कैबिनेट सिस्टम न हो। ठीक उसी तरह से श्रीमन्, अगर मेयर का चुनाव सीधा कराया जाय तो मैं समझता हूं वह ऐग्जालटेड पर्सनालिटी जो कवाल टाउन्स की होगी, जो एक हस्ती रखेगी, उसके प्रति जनता का बहुत बड़ा आदर बढ़ेगा और संभवतः वह नगर के प्रशासन के सिलसिले में ज्यादा कामयाब होगा।

श्रीमन्, मैं सदन का ज्यादा समय न लेकर दो, एक बातों की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हम यह मांग करते हैं कि गांवों के अन्दर वहां के स्थानीय शासन का पूरा अधिकार वहां की जनता पर हो, हम सोशलिस्ट लोग ऐसी मांग करते हैं। तो इतने बड़े शहर जहां २ लाख से लेकर १४,१५ लाख की आबादी हो वहां के पुलिस के प्रशासन पर अगर कुछ भी अधिकार इस निगम का नहीं होता है तो हमें यह बात खटकती है और मैं चाहता हूं जब प्रवर समिति में यह बिल जा रहा है और सदन के माननीय सदस्य बैठे तो इस पर भी विचार करें। मेरा तो अनुभव है, श्रीमन्, बम्बई में देखता हूं कि चालान जो हुआ करते हैं वह फुट पाथ पर तरकारी बेंचने वालों के हुआ करते हैं और ज्यादातर पुलिस करती है। जब कोर्ट में जाते हैं और न्याय की मांग करते हैं तो पता चलता है कि कारपोरेशन के किसी ऐक्ट के अनुसार उनका चालान हो गया, बड़ी मुश्किल हो जाती है। बम्बई ऐसे शहर में अगर आपकी गाय सड़क पर चली गई तो फौरन पकड़ ली गई और किसी न किसी नियम के अन्दर उसको कांजी हौज जाना पड़ेगा। तो मेरा एक सुझाव

था इस सिलसिले में, कि यदि पुलिस का स्थानीय प्रशासन इस निगम के अन्दर दे दिया जाय तो दूसरी पंचवर्षीय योजना के युग में जिस जनतांत्रिक भावना को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है उसके साथ वह ज्यादा सफल होगा ।

निगम जहां स्थापित होते हैं वहां पर सबसे बड़ा प्रश्न कन्जरवेंसी का होता है। बम्बई, कलकत्ता जैसे शहरों में जहां निगम हैं वहां बहुत बड़ा प्रश्न ८ हजार, ९ हजार कन्जरवेंसी के कर्मचारियों की कंडीशन्स आफ सर्विसेज जो होती है उनका होता हैं । मैं यह चाहता हूं कि हमारे जो निगम इस विधेयक के अनुसार कवाल टाउन्स में बनें, उनमें विशेष ध्यान कन्जरवेंसी पर दिया जाय और उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, जो कूड़ा-करकट, मैला वगैरह फेंकते हैं, उनकी सर्विसेज के बारे में दिया जाय। खास तौर से, मैं बम्बई का उदाहरण देना चाहता हूं। स्वर्गीय अम्बेदकर जी के प्रयास से बम्बई के कंजरवेंसी के कर्मचारियों ने अपनी मांग से और लड़ाई लड़ लड़ के अपने लिये क्रीड़ा भवन बनवा लिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस ऐक्ट के अन्दर जो निगम बनेंगे उनमें भी इसकी व्यवस्था हो सकेगी और प्रवर समिति इस पर भी विचार करेगी ।

यह कल्याणकारी राज्य के अन्दर एक विधेयक है । कवाल टाउन्स में इस राज्य के अन्दर कारपोरेशन्स बनेंगे। जब मैं म्युनिसिपल कमिश्नर की नियुक्ति को देखता हूं तो कोई अफसर तो जरूर ही रहेगा, उसका मैं विरोध एक समाजवादी के नाते कैसे कर सकता हूं ? मगर जब उसकी पावर्स को देखता हूं कि राज्य सरकार का वह आदमी होगा और उस पर कारपोरेशन का जो पंचायत मंडल है उसका कोई विशेष अधिकार किसी किस्म का न होगा तो मुझे श्रीमन्, ऐसा लगता है कि वहां के कारपोरेशन की जो कौंसिल है उसमें और म्युनिसिपल कमिश्नर में बराबर खींचातानी हुआ करेगी और इस खींचातानी की वजह से हो सकता है, श्रीमन्, कभी-कभी जो आवश्यक कार्य कारपोरेशन का हो वह भी रुक जाय। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति कुछ इस पर भी गौर करे, कुछ ऐसी धारायें इसमें जोड़ दी जायं जिससे कि म्युनिसिपल कमिश्नर के अधिकारों पर नगर निगम भी अपना विचार दे सके और उस पर राय कायम कर सके ताकि जो डेमोक्रेटिक चेक्स होते हैं वह उस पर लग सकें।

मैं श्रीमन्, अंतिम बात कहना चाहता हूं। एक दूसरी आवश्यक वस्तु है जो बड़े शहरों में खास मानी रखती है जिसका संबंध हमारी जिन्दगी से होता है। लाखों लोग जहां इतनी कम जगह में रहते हैं, एक एक कमरे में जहां पचास-पचास लोग रहते हैं, अठारह-अठारह, बीस-बीस फेमिलीज बम्बई में एक एक कमरे में रहती हैं, तो वहां उनके लिये सबसे आवश्यक वस्तु मेडिकल फैसिलिटी है। उनके स्वास्थ्य संबंधी अस्पताल और उनके स्वास्थ्य संबंधी जो दूसरे स्थल होते हैं उसके सिलसिले में इस विधेयक के अन्दर कार्पोरेशन कितना अधिकार पाता है, श्रीमन्, हमारे माननीय ट्रेजरी बेंचेज के साथी यह कहेंगे और अग्रवाल जी ने तो पूरा इतिहास ही मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से लेकर अब तक का हमें सुना दिया। वह कहेंगे कि पैसा कहां से आयेगा ? टैक्स लगाना पड़ेगा। बार-बार यह दलीलें दी जाती हैं कि टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा, मगर हम तो यह कहते हैं कि टैक्स लगाना पड़े, टैक्स लगे मगर किस पर लगे ? जिसके पास कैपेसिटी टु पे हो, उस पर लगे। श्रीमन्, जो नंगा नदी में स्नान कर रहा है वह स्नान करके निकलने के बाद कौन-सा कपड़ा भींचेगा ? उसके पास तो कुछ नहीं है। तो मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश के राजस्व का कुछ हिस्सा कवाल टाउन्स को जरूर मिले ताकि उन्हें डिबेंचर के जरिये कर्जा लेने का कम मौका मिले। माना कि इम्प्रूवमेंट के लिये जरूरत पड़ेगी, और साथ ही साथ कारपोरेशन जो टैक्स लगाता है वह कम टैक्स लगा सके। तो हम यह चाहते हैं कि कवाल टाउन्स में कार्पोरेशन्स जो इस विधेयक के अन्दर निर्मित होंगे उन्हें प्रदेश के राजस्व का भी कुछ हिस्सा मिलना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं श्रीमन्, पालीवाल जी के संशोधन का, कि यह बिल एक प्रवर समिति को भेजा जाय और जिसकी मियाद रख दी गई है, उसका समर्थन करता हूं।

*श्री कालीचरण अग्रवाल (जिला एटा)--आदरणीय अधिष्ठाता महोदय और सम्मानित सदस्य, जो नगर निगम विधेयक आज आपके सामने प्रस्तुत किया गया है ....

श्री देवनारायण भारतीय--प्वाइन्ट आफ आर्डर। मैं यह जानना चाहता हूं कि स्पीच जो ऐड्रेस की जायगी वह चेयर को ऐड्रेस की जायगी या सम्मानित सदस्यों को ऐड्रेस की जायगी।

श्री कालीचरण अग्रवाल--मैं वापस लेता हूं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपके सामने जो नगर निगम विधेयक पेश किया गया है, उसके सिलसिले में मैंने अपने सम्मानित सदस्यों के भाषणों को सुना। बहुत से भाषणों में चौखम्भा राज्य की दुहाई दी गई है,

(इस समय ४ बजकर ४५ मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

विकेंद्रीकरण की बात कही गई है, जनतांत्रिक प्रणाली की बात कही गई है और साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि यह विधेयक जो हमारे सामने आज प्रस्तुत किया गया है वह जनतंत्र का एक मखौल है। उसमें ऐसी खराबियां हैं जो हम समझते हैं कि सरकार के लिये शोभनीय नहीं है। मैंने बड़े गौर से सम्मानित सदस्यों के भाषणों को सुना। लेकिन खेद है कि मैंने एक भी तर्क नहीं पाया और न समझ सका कि आखिर उन्होंने कौन सा विकल्प रक्खा है आपके सामने जिसके द्वारा वह नगर निगम विधेयक में सुधार करना चाहते हैं?

मैं आपसे, श्रीमन्, निवेदन करूंगा कि जो विधेयक आपके सामने आया है यह हमारे अनुभवों पर आधारित है। यह जो ५६९ धाराओं का नगर निगम विधेयक प्रस्तुत है उसमें हमने पाश्चात्य और अपने देश की दोनों प्रणालियों का अध्ययन करने के पश्चात जितनी सुन्दर बातें हैं, लाने का प्रयत्न किया है।

यहां पर बड़ा मखौल उड़ाया गया कि हम अपना कपड़ा पहनने में देशी हो सकते हैं, लेकिन इस विधेयक के अन्दर जो भावनायें हैं वे पाश्चात्य भावनायें हैं और उनमें नकल की गई है। मैं आपसे निवेदन करूं कि जितने प्रगतिशील राज्य होते हैं उनमें सब देशों की सुन्दर बातें ली जाती हैं और उनको नकल का रूप देना, मैं समझता हूं कि, बड़ी खराब सी बात है। हमने मद्रास, कलकत्ते और बम्बई के जो नगर निगम हैं उनकी सुन्दरतम बातों को अपने इस विधेयक के अनुभव के आधार पर शामिल किया है और साथ ही साथ जो विदेशों के निगम हैं उनकी बातें भी हमने इसमें ली हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहां पर ऐसी कौन सी बात है जो हमने छोड़ दी है? हमने ५६९ धारायें इस विधेयक में रक्खी हैं। ११८ धारा यदि आप देखें और उसका अच्छी तरह से अध्ययन करें तो आपको पूर्ण रूपेण मालूम हो जायगा कि हमने जो पद्धति दूसरें देशों की ली है उसके अनुसार हम नगरों में अच्छे-अच्छे अस्पताल कायम कर सकते हैं, वहां पर अच्छी-अच्छी पाठशालायें कायम कर सकते हैं और मेटरनिटी सेंटर्स कायम कर सकते हैं। जो जो आवश्यक बातें हैं वे सब हमने इस धारा के द्वारा इसमें रख दी हैं। १३६ धारा में फंड का आयोजन किया है। १६९ धारा में कौन कौन से टैक्स कहां कहां लगा सकते हैं इन बातों का जिक्र किया है। १५१ धारा के अन्तर्गत हमने यह रक्खा है कि आवश्यकता पड़ने पर नगर के निर्माण के लिये हम कर्ज भी ले सकते हैं, बांड्स ईश्यू कर सकते हैं।

बड़ा मखौल उड़ाया गया कि इस तरह के टैक्सेज की भरमार से जनता दुखी हो जायगी, सरकार का पेशा ही यह हो गया है कि लगातार टैक्सेज की भरमार की जाय। मैं आपसे निवेदन करूं कि टैक्स लगाना कोई बुरी बात नहीं है। टैक्स प्रगतिशील राज्य का एक अंग है जो हमको लगाना पड़ता है। जिस राज्य में टैक्स नहीं लगता वह तरक्की नहीं कर पाता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जब हम कल्याण की बात करते हैं, कल्याणकारी योजनायें हमारे सामने आती हैं तो आखिर उन योजनाओं को पूरा करने के लिये पैसा कहां से आयेगा ? आसमान से नहीं आयेगा, जमीन से नहीं आयेगा, हमारे साथियों से ही आयेगा। टैक्स लगाना कोई बुरी चीज तो नहीं है। मनुस्मृति में कहा गया है कि जिस प्रकार सूर्य–तालाब, नदी और समुद्र से जल का शोषण करता है और वह जल शोषण होने के बाद भाप के द्वारा बादल बनता है और बादल बनने के बाद मेंह के रूप में आता है, उससे खेती होती है और इस प्रकार जो शोषण हुआ करता है सूर्य के द्वारा वह बड़े पानी के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है, जिससे हमारी तरक्की होती है ; उसी प्रकार जो टैक्सेशन हमारे यहां लगता है वह कोई बुरी बात नहीं है। उसका दुरुपयोग जरूर बुरा है। टैक्स लगाने से इस विधेयक में हमारा मकसद यही है कि यहां अच्छे-अच्छे अस्पताल बनें, सुन्दर-सुन्दर बाग लगें, मेटरनिटी सेंटर्स कायम हों और लेबर वेलफेयर सेंटर्स खुलें। जो मजदूरों की आज शहरों में बड़ी दुर्दशा है उसमें सुधार करने के लिए हाउसिंग स्कीम चले, नये नये नगर बसाये जायं, सिटीज का एक्सटेंशन किया जाय, हाउसिंग की स्कीम हो और जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने कहा, यहां पर कंजरवेंसी का इन्तजाम करें। तो इन सब बातों के लिये धन की बहुत भारी आवश्यकता होगी। इसलिये हमने प्रावीजन किया है इन सेक्शनों में, कि अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम कर्ज भी लेंगे और उसको धीरे-धीरे चुका देंगे और बहुत-सी ऐसी बातें होंगी।

हमारे मित्रों ने विकेंद्रीकरण की बात कही, बड़ा सुन्दर भाषण दिया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें कौन सी ऐसी बात है जो विरोध किया जाता है। केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार यहां पर मौजूद है, लेकिन हमने, जिन्होंने रामराज्य की कल्पना की थी, सत्ता के विकेंद्रीकरण को अपने सामने रखा था, उसको पूरा करने के लिये हमने गांव-गांव में पंचायतें कायम कीं और उसके बाद हमने टाउन एरियाओं में, नोटिफाइड एरियाज में विकेंद्रीकरण किया और शहरों में नगरपालिकायें कायम करके सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया। आज हमारे नगर नगर और गांव गांव में इस प्रकार की नगरपालिकायें बन रही हैं, सारी चीज मौजूद है। अब सवाल रह जाता है कि बड़े-बड़े शहरों में, जहां की आबादी बड़ी-बड़ी है, बड़ी बड़ी जहां समस्यायें हैं, बड़ी बड़ी विषम परिस्थितियां हैं, बड़े बड़े लेबर संबंधी झगड़े हैं, उन शहरों में हमको बड़ी म्युनिसिलटी के रूप में, जिसको हम "निगम" कहते हैं, यहां पर इस काम को करने की जरूरत थी। हमने इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुये यह आपके सामने बिल रखा है। हम यह नहीं कहते कि इसमें सारी बातें अच्छी ही हैं। स्टैंडिंग कमेटी के सामने यह गया, वहां कुछ सिद्धांत रखे गये, उनके मातहत ५६९ धारायें आपके सामने रख दी गयीं और हमने एक ढांचा, एक रूपरेखा, आपके सामने रखी है और साथ ही साथ प्रवर समिति के सामने इसलिये लाये कि जो उसमें खराबियां और खामियां हों उनको दूर किया जाय। तो इन कामों पर विचार करना हमारा परम कर्त्तव्य है।

मेरे एक सम्मानित मित्र जो विरोधी दल के सदस्य हैं, उन्होंने अपने भाषण में कोई विकल्प इस बात का नहीं किया कि कौन सी योजना इसकी बजाय होनी चाहिये थी। केवल एक ही ओर ध्यान दिया। केवल हननात्मक कटु आलोचना ही कर दी गयी। केवल इसको ही कर्त्तव्य मान लेना कोई मुनासिब बात नहीं। मैं निवेदन करूंगा, जैसा कि इसके ऊपर भाई जी कह चुके हैं, वह यह कि यहां पर एक प्रश्न यह है कि मेयर का चुनाव सीधा हो या हमारे सदस्यों के द्वारा हो। मुझे कुछ नगरपालिकाओं का अनुभव है, मैंने कानपुर की नगरपालिकाओं में काफी भाग लिया है सन् ५३ में जो चुनाव हुआ, उसमें हमने वहां पर विदेशी पद्धति को देखते हुये नगरपालिका के अध्यक्ष का चुनाव सीधे कराया। साल भर के बाद हमने देखा कि जब उस चीज को कार्यरूप में परिणत करने का समय आया तो बहुत सी मुसीबतें उपस्थित हुईं। पहली तो यह कि जो अध्यक्ष हमारे चुनकर आये वह एक राजनैतिक पार्टी के सदस्य थे और जो दूसरे व्यक्ति सदस्य चुनकर आये थे वह दूसरी पार्टी के थे। नतीजा यह हुआ कि अध्यक्ष में और सदस्यों में बड़ा संघर्ष चला। यह

[श्री कालीचरण अग्रवाल]

हमारे लिये एक सबक होगा। इसलिये यह आवश्यक है कि जहां जिस पार्टी का बहुमत हो वहां उसी का अध्यक्ष होना चाहिये। काम तभी ठीक चलाया जा सकता है जब सदस्यों द्वारा ही अध्यक्ष का चुनाव हो, सीधे सीधे चुनाव न कराया जाय। तो यह अनुभव की बात है। इसमें कौन सी बात है कि हम जनता की परवाह नहीं करते? जैसा कि एक सम्मानित सदस्य ने कहा कि इस तरह से कांग्रेस सरकारें एक साल के बाद चेयरमैनों को निकाल देना चाहती हैं और साथ ही साथ यह भी चाहती हैं कि जहां हों, वहां उन्हीं के अनुरूप हों। यदि सदस्य एक दूसरी पार्टी के आते हैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, किस प्रकार से अध्यक्ष कांग्रेस के मत के अनुसार चुना जा सकेगा। तो मैं समझता हूं कि अनुभव के आधार पर जो हम चुनाव अध्यक्ष का करने जा रहे हैं, उसमें सही यही होगा कि वह हमारे सदस्यों के द्वारा हो, सीधा न हो सके।

एक बात और है कि एक चौथाई सदस्य रोटेशन के साथ खत्म होते चले जायेंगे और उनके साथ २५ फीसदी सदस्यों का चुनाव हो सकेगा। मैं समझता हूं कि यह बड़ी सही प्रणाली है और आज हमारे यहां जो कौंसिल का चुनाव होता, है उसमें भी यही होता है कि कुछ दिनों के बाद १/३ सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उनके स्थान पर दूसरे सदस्य आते हैं। इससे आपका निगम सर्वदा बना रहता है और उसमें रद्दोबदल होती रहती है। मैं समझता हूं कि दूसरे देशों में भी जहां कारपोरेशन्स हैं इसी प्रकार होता है और वहां ठीक से काम हो रहा है। इसलिए यहां पर इसका रखना ठीक है।

एक बात और है। हमारे कुछ सदस्यों ने कहा कि नाम बड़े विचित्र रखे जाते हैं। 'एल्डरमैन', 'मेयर', 'डिप्टी मेयर', 'कौंसिलर' ये नाम रखना क्या हमारी बुद्धि का दिवालियापन नहीं है? मैं समझता हूं कि प्रवर समिति के सामने जब यह विधेयक जाय तो यदि हमको सही नाम मिल सकें तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। लेकिन साथ-साथ में हम यह समझते हैं कि इस प्रकार के नाम भी नहीं होने चाहिये जैसे बहुत से रख दिये जाते हैं कि रेल के लिये 'लौह पथ गामिनी' और पानी के गिलास के लिये 'लम्ब पेय पात्र', रखा जाय आज सारा साहित्य प्रगतिशील दिशा में जा रहा है। आज हम हिन्दी को राष्ट्रभाषा बना चुके हैं और उसकी शीघ्र से शीघ्र इस प्रकार उन्नति चाहते हैं कि वह सारे देश में फैल सके। तो हमको ऐसे बहुत से शब्दों को अपनी राष्ट्रभाषा में लेना पड़ेगा जिनका संबंध हमारा सीधी सादी बोलचाल की भाषा से रहा है। मेयर, एल्डरमेन, कौंसिलर, ये इस तरह के नाम हैं जिनका संबंध अन्तराष्ट्रीय देशों के साथ साथ हमारे दूसरे जो निगम हैं, कलकत्ता, मद्रास वगैरह के वहां भी प्रचलित हो गये हैं। इसलिये यदि हम इन नामों को अपनी राष्ट्रभाषा के अन्दर ले आयेंगे तो कोई हानि नहीं है। तो इस प्रकार की चर्चा करना, मैं समझता हूं, केवल भावुकता है।

इसके अतिरिक्त हमारे सामने मेयर की अवधि की बात आती है। उसकी अवधि हमने केवल एक वर्ष रखी है। यह बहुत कम अवधि है। जो मेयर होगा वह शहर की परिस्थितियों को समझने में कम से कम ६ महीने लेगा और ९ महीने से एक साल तक योजना बनाने और उसको क्रियान्वित करने में लगेगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि जब यह विधेयक प्रवर समिति में जाय तो मेयर की अवधि पूरे चार वर्ष की होनी चाहिये जिससे जो योजनायें हों उनको ठीक तरह से रखा जा सके और क्रियान्वित किया जा सके।

एक बात मुझे आपके सामने और निवेदन करना है। हम यह समझते हैं कि यदि हम स्वायत्त शासन के इतिहास को अमरीका, ब्रिटिश काउंटीज और दूसरे मुल्कों में देखें तो वहां की ट्रैफिक पुलिस नगरपालिकाओं के अन्तर्गत है। तो मैं समझता हूं कि यह स्वस्थ बात जो दूसरे देशों में प्रचलित है वह, जब प्रवर समिति के सामने यह विधेयक जाय, तो यहां भी ट्रैफिक पुलिस निगम के अन्तर्गत कर देनी चाहिये। मैं समझता हूं कि यह बहुत आवश्यक भी है। जो बहुत सी बातें भ्रष्टाचार की सुनाई पड़ती हैं उनकी बहुत रोकथाम होगी। इसके अतिरिक्त जो पुलिस का रवैया दूसरी दिशाओं में है, ट्रैफिक पुलिस के निगम

के अन्तर्गत आ जाने से उस पर भी थोड़ा-सा प्रभाव पड़ेगा और जिस प्रकार हमारे लिये स्वतंत्रता प्राप्ति के लिये स्वायत्त शासन पहली सीढ़ी थी, उसी प्रकार यातायात पुलिस का अधिकार निगम को देने से उसका एक स्वस्थ असर हमारे पुलिस के पूरे ऐडमिनिस्ट्रेशन पर पड़ेगा। इस प्रकार वह जनता के सम्पर्क में आकर सही तरीके से अमल करने की कोशिश करेगी।

तीसरी बात जस्टिस की है। यह कहा गया कि जस्टिस का भी थोड़ा सा भाग इसको देना चाहिये। मैं आपको बतलाऊं कि नगरपालिकाओं ने बहुत से रूल्स बनाये हैं, वे चालान करती हैं, मकानों, सड़कों और नजूलों के अमीनों के लिये हम उनको अधिक अधिकार देने जा रहे हैं, तो यह भी आवश्यक है कि जहां रूल्स और रेगुलेशंस निगम पास करें तो उनको पालन कराने का भी अधिकार उनमें हो।

जहां तक मेयर के न्यूनतम क्वालिफिकेशन की बात है, वह तो इसीलिये है कि वह सही तरीके से इसका पालन करा सकता है। जस्टिस के लिये, रूल्स के पालन के लिये, यातायात संबंधी जो कंट्रैवेंशंस हो, उनके जो चलान हों, मेयर उनकी बातों को तय कर सके तो मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि पुलिस, यातायात और जस्टिस का जहां तक सवाल है, हम उनको यह शक्ति दें और इस बात के लिये प्रवर समिति में विचार हो।

न्यूनतम योग्यता वाली बात कही गयी है। हमने मेयर के लिये कम से कम योग्यता इंटरमीडियेट की निर्धारित की है। आरगूमेंट यह दिया गया है कि अगर सदन के सदस्यों के लिये किसी प्रकार की न्यूनतम क्वालिफिकेशन्स की जरूरत नहीं है तो क्या आवश्यकता है कि निगमों के सदस्यों और मेयर के लिये ऐसी न्यूनतम क्वालिफिकेशंस रखी जायं? मैं आपसे निवेदन करूं कि यहां और वहां में भेद है। वहां पर एक्जीक्यूटिव कार्य होगा। इस बात की आवश्यकता वहां पर है कि जब हम उनको पुलिस के अधिकार देने की बात सोचते हैं, जब हम उनको जस्टिस के अधिकार देने की बात करते हैं और मेयर के सामने जब यह सारी बातें तय होंगी तो प्रवर समिति यदि इन अधिकारों को देने की बात सोचेगी तो उसे यह सोचना पड़ेगा कि जिसको हम मेयर बनाने जा रहे हैं उसकी क्वालिफिकेशंस ग्रेजुएट नहीं बल्कि ला ग्रेजुएट होनी चाहिये। इस बात का ध्यान अवश्य रखना पड़ेगा।

जिस वातावरण में यहां आज वाद-विवाद हुआ है, वह भावना के वशीभूत होकर हुआ है। आज हमें भावुकता को छोड़ कर, राजनीतिक बातों को छोड़कर, ऐसे निर्दोष विधेयक पर जिसमें लाखों आदमियों के जीवन और मरण का प्रश्न सन्निहित है, लाखों मजदूरों का, कारखानों में काम करने वाले लोगों का, सेठों का प्रश्न है आज हम सबको मिलकर यहां पर यह सोचना है कि यह जो निगम हमारे सामने आ रहे हैं उन पर कुतर्क न करके प्रवर समिति के सामने जाकर सुझावों को रखें, क्योंकि यह हमारे प्रदेश की, बड़ी भारी आबादी की सेवा होगी। यही मुझे आपसे निवेदन करना है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय पालीवाल जी द्वारा उपस्थित इस संशोधन का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं कि यह विधेयक संयुक्त प्रवर समिति को भेज दिया जाय और वह अपनी रिपोर्ट ३१ अगस्त तक इस सदन के समक्ष उपस्थित कर दे।

मैं इस नगर निगम विधेयक का स्वागत करता हूं, इसलिये कि इस बात की आवश्यकता थी कि हमारे प्रदेश में पिछले महायुद्ध के बाद जो बड़े-बड़े नगरों की दशा हुई है, जिस प्रकार उनकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, उसके कारण स्वतंत्रता मिलने के बाद बड़े नगरों में नगर निगमों की स्थापना की आवश्यकता हुई है, उन जगहों पर हम स्वायत्त शासन के अंदर अधिक से अधिक लोकतांत्रिक व्यवस्था की नीति कायम कर सकें, इसलिये आवश्यक था कि यह विधेयक इस सदन के सामने आता।

चन्द्रजीत यादव]

जहां यह विधेयक एक ओर हमारी आशा को पूरा करता है, वहां दूसरी ओर हमें इसको देख कर निराश होना पड़ता है। विधेयक के अन्दर जो व्यवस्थायें की गई हैं, वे एक तरफ तो ब्यूरो की मशीनरी को सुदृढ़ बनाती हैं और दूसरी तरफ जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं उनको कमजोर बनाती हैं और उनको विकास का अवसर नहीं देतीं।

इस लम्बे चौड़े विधेयक के अन्दर जो निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था है, जो निर्वाचित मेयर को और निर्वाचित समितियों को अधिकार दिये गये हैं, उनकी जो व्यवस्था है, वह इतनी कम है कि लोकतंत्र के खिलाफ है। दूसरी तरफ म्युनिसिपल कमिश्नर को इतने व्यापक अधिकार दिये गये हैं कि अगर वह पूर्णरूप से अपने उन अधिकारों को प्रयोग करे तो नगर निगम की जो महत्ता है वह बहुत हद तक खत्म हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष—अब आप अपना भाषण कल जारी रखियेगा।

पश्चिमी जिलों में गन्ना पेराई से सम्बन्धित १८ अप्रैल, १९५७ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १ व २ के विषय पर विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब श्री गेंदा सिंह जी की मांग पर पश्चिमी जिलों में गन्ना पेराई की शक्ति के संबंध में जो आधे घंटे का समय विवाद के लिये रखा गया है, उस पर विचार होगा।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर का लाभ उठाकर, जरा प्रसंग के भीतर तो नहीं है, लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उस वक्त मुझे अवसर नहीं मिला और मैं आशा करता हूं कि ऐसी बधाई देने का अवसर हम लोगों को बराबर मिला करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर उस दिन मैं सुन रहा था और उसके सुनने पर मुझे बड़ी मायूसी हुई। यह तो मैं जानता हूं कि यह इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट जो है वह एक लड़खड़ाता हुआ डिपार्टमेंट है। यह कई बरस से इस सेक्रेटेरियट में घूम रहा है और किसी की योग्यता पर मैं हमला नहीं करना चाहता, लेकिन असल में यह बहुत बदकिस्मत विभाग है। इस बदकिस्मत विभाग को कभी किसी के हाथ से गुजरना पड़ता है और कभी किसी के, नतीजा यह होता है कि इतनी बड़ी इंडस्ट्री, जो हमारे सूबे की सब से बड़ी और हमारे देश की दूसरे नम्बर की इंडस्ट्री है, और जो हमारी मालगुजारी का एक बहुत बड़ा जरिया है, उस के बारे में अगर मैं सरकार से जानने की कोशिश करूं कि यह शुगर फैक्टरियां कब तक चलेंगी, कितना गन्ना पेरेंगी, कितने गन्ने का अन्दाज किया गया था, आदि सब बातों में हमारे मिनिस्टर साहब कोरे उतरेंगे। एक रत्ती की जानकारी हमारे मिनिस्टर साहब को न होगी। जब मैं जवाब मागूंगा तो वह उत्तर इधर-उधर का देंगे कि जिसका कोई मतलब न हो। मैं दो एक बातें उनसे कहना चाहता हूं।

सवाल नागर साहब का यह था कि "क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी जिलों में लाखों मन गन्ना चीनी मिलों की पेराई की शक्ति से इस वर्ष अधिक पैदा हो गया है? यदि हां, तो क्या गन्ना पूर्वी जिलों को शीघ्र बन्द हो जाने वाली चीनी मिलों को भिजवाने के बारे में सरकार कोई व्यवस्था करने जा रही है?" जवाब उसका यह दिया गया कि अगर आपके सवाल का संबंध पश्चिमी जिलों से है तो वहां कोई खतरे की बात नहीं और न कहीं पूर्वी जिलों में भिजवाने की बात है। इस वक्त फैक्ट्रियां ६६ में से शायद २७ तक बन्द हो चुकी हैं और ६६ में से २७ फैक्ट्रियों के बन्द हो जाने के बाद आज भी, उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप भी इंडस्ट्री विभाग से पुछवा लें कि यह फैक्टरियां अगले महीने में कब तक चलेंगी और कितना गन्ना किस फैक्टरी में है? यह अगर वह बता सकें तो हम कुछ सन्तोष करके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बैठ जायेंगे। हमारा यह हाउस बन्द होने जा रहा है। साथ ही यह बात भी है कि यह दिक्कत हमारे सामने खड़ी होगी कि इस गन्ने का दाम कम होगा। ठाकुर साहब से एक सवाल किया गया। उसका जवाब ठाकुर साहब ने जो दिया उससे तसल्ली नहीं हुई। ठाकुर साहब से यह सवाल किया गया कि कहीं ऐसा न हो जाय कि गन्ने की कीमत कम हो जाय। उसका जवाब ठाकुर साहब ने यह दिया कि यह सब नियम के मुताबिक होगा। कौन सा नियम? कोई नियम नहीं है। नियम के मुताबिक जब आप कहते हैं तो उससे हमारा कलेजा कांपने लगता है। वही नियम जो पिछली मर्तबा बनाया गया था? तब तो हमारे किसानों का लाखों रुपया पानी में गिर जायगा।

अब उसमें कसूर क्या है, मैं इसको थोड़े शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं। सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको वह पूरा नहीं करती है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि कितने गन्ने की मांग होती है और उसमें कितनी पैदावार होती है। यह ऐग्रीकल्चर विभाग की जिम्मेदारी है। अगर सरकार को इस बात की जिम्मेदारी नहीं हो सकती है तो सरकार बन्दोबस्त कैसे कर सकती है? सरकार को आखीर वक्त तक इस बात का पता नहीं होता है कि काश्तकार कितना गन्ना बोए हैं और उनको जमीन से कितना गन्ना पैदा होने वाला है और सरकार को कितनी पेराई का बन्दोबस्त करना है। इसका नतीजा यह होता है कि दिसम्बर में सरकार को जानकारी नहीं है। जनवरी, फरवरी और मार्च तक सरकार नहीं जानती है। रऊफ साहब का जवाब यह होता है कि वक्तन-फवक्तन रिव्यू होता है। केन कमिश्नर साहब उसको रिव्यू करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि रऊफ साहब भी स्वयं कभी उसको रिव्यू करते हैं, इसको जरा मेहरबानी करके बतायें। इस तरह के जवाब देने से काम नहीं चल सकता है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि यह एक बड़ा भारी जरिया मालगुजारी का है और जिस तिजारत से लाखों आदमियों का सम्बन्ध हो वह कितना महत्व रखती है, यह आप समझ सकते हैं। पिछले वर्ष २७ करोड़ मन गन्ना मिलों में पेरा गया। इस साल २९ करोड़ मन गन्ना पेरा गया है। अब तो यह भी हो गया है कि इस व्यापार के जरिये से हम फारेन एक्सचेंज हासिल करें और जितने गन्ने की हम चीनी बना सकें यह हमारे देश के लिए हितकर है। अगर गन्ना सूखता है और उसका ठीक प्रबन्ध नहीं होता है व काश्तकार मरते हैं और परेशान होते हैं, तो यह हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को हमें निबाहना चाहिये।

हमारे यहां केन डेवलपमेंट विभाग है और केन कमिश्नर साहब के मातहत एक बड़ी भारी फौज है। यह फौज क्या करती है? एक काम यह जरूर करती है, मुझको मालूम है, वह काम यह है कि किसी का गन्ना कम करना और किसी का ज्यादा करना। यह कम ज्यादा करने का काम इन्नोसेन्ट काम है। इसमें, मेरा ख्याल है, शायद कुछ पुरस्कार पाने की बात है। आज पीलीभीत की शिकायत यह है कि पीलीभीत में कुछ बड़े लोगों का गन्ना खत्म हो गया है और छोटे लोगों का पड़ा हुआ है। लखीमपुर, पीलीभीत, तराई भावर, बरेली वगैरह में हर जगह किसान कराह रहा है। जिनसे सरकार ५ करोड़ रुपया केन सेस में लेती है, उन काश्तकारों के लिये कम से कम इतना तो कर दे कि इंडस्ट्रीज मिनिस्टर साहब के यहां एक चार्ट हो कि किस फैक्ट्री में कितना गन्ना पेरा जा सकता है, इस साल कितना इम्प्रूव्ड मैथड से बोया गया है, कितने दिन अमुक फैक्ट्री चलती है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? लेकिन अगर हम किसी मिनिस्टर साहेब के पास इस इत्तिला के लिये जावें तो वह कोरे मिलेंगे।

गुड़ पर भी उस दिन सवाल हुआ था। जगदीश शरण जी अग्रवाल ने पूछा कि इसका भी कोई प्रबन्ध है? उसका जवाब मिला कि जहां जहां सम्भव होगा वहां होगा। यह क्या जवाब है? मैं सुनता हूं कि कुछ नये लोग यहां आये हैं और उनके उत्तर सुन कर मुझे भी कुछ सन्तोष होता है। हमारा और इस सरकार का भी गुड़ गन्ने से बड़ा गहरा सम्बन्ध है। अगर वह इस व्यापार को इस निगाह से देखेगी तो उसका बड़ा नुकसान होगा। उसकी

[श्री गेंदासिंह]

बधिया बैठ जायगी। और इससे कड़ा शब्द क्या हो सकता है कि सरकार की बधिया बैठ जायगी ? दूसरे भाई भी इस सम्बन्ध में निवेदन करेंगे। कुछ नहीं तो इस बुढ़ापे में तो हमें आपस में सलाह लेकर चलना चाहिये, जिससे जनता का और गरीब काश्तकार का कल्याण हो। मंत्री जी मुझे दावत दें या मैं उनको दावत दूं और सतुवा भुंजवा कर तैयार रखूं और चीनी भी अवश्य रखूंगा क्योंकि चीनी का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष—इसके लिये आधा घंटा होता है। अगर कोई माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहेंगे तो मैं उसकी इजाजत दूंगा और माननीय मंत्री जी का उत्तर होकर वादविवाद समाप्त होगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, नियमानुकूल तो यह है कि पहले मंत्री जी का उत्तर हो और उसके बाद प्रश्न हों।

श्री उपाध्यक्ष—हां, ठीक है। धन्यवाद।

उद्योग उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—मुझे बड़ा अफसोस है कि मेरा जवाब गेंदासिंह जी को पसन्द नहीं आया। पूछा गया था कि पश्चिमी जिलों में बड़ी गम्भीर परिस्थिति है, तो जवाब था कि वहां हालत ज्यादा खराब नहीं है। जिस तरह से काम हो रहा है उससे यह आशा की जाती है कि तमाम गन्ना मिलों में पहुंच जायगा और पिछली फसल के मुकाबले में अब की बार मिलें ज्यादा गन्ना पेर कर बन्द होंगी।

यह तो खुद माननीय गेंदा सिंह जी ने बताया कि पिछले साल से ज़्यादा गन्ना पेरा गया है। माननीय गेंदासिंह जी ने यह भी कहा कि डिपार्टमेंट को या मिनिस्टर साहब को यह पता नहीं रहता कि किस जिले में कितना कितना गन्ना बाकी है और कहां पर है। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ गलतफहमी हैं। बजुज उस सूरत के कि कोई सवाल किसी वक्त कर दिया गया और उस वक्त उसके फीगर्स न हुए, वरना शुगर केन के मामले में रिव्यू होता रहता है, केन कमिश्नर की रिपोर्ट आती रहती है। सारे मामले को देखा जाता रहता है कि किस जोन में कितना गन्ना है। अगर किसी जोन में बाकी रह भी जाता है तो उसको दूसरी जगह पेरवाने की कोशिश की जाती है। सरकार को इसकी पूरी मालूमात रहती है कि हर ज़िले में कितना गन्ना पेरा गया और कितना बाकी है। पिछले साल से करीब सवा तीन करोड़ मन गन्ना ज्यादा पेरा गया है।

कहा गया कि गवर्नमेंट गन्ने को पेरवाने की कोशिश नहीं करती और इससे किसानों का नुकसान होता है। यह बात सही नहीं है। अगर किसानों का नुकसान होता है तो उससे गवर्नमेंट का भी नुकसान होता है। किसान अगर गरीब होंगे तो हमारा भी नुकसान होगा। इसलिये उसकी फिक्र सरकार बराबर रखती है। केन्द्रीय सरकार की तरफ से नवम्बर में ही कह दिया गया था कि जो मिलें ४ नवम्बर से पहले पेराई शुरू कर देंगी और ११ नवम्बर तक वे जितना पेरेंगी उस पर उनको ५ आने की छूट दी जायगी। इस बफा १६ मिलें ४ नवम्बर से चालू हुईं जब कि पिछले सेशन में एक हुई थी। इस साल नवम्बर तक जो गन्ना पेरा गया वह पिछले साल के गन्ने से, जो नवम्बर तक पेरा गया, बहुत ज्यादा था। इस सूरत से कोशिश बराबर की जाती रही है।

हमारी मुश्किल यह है कि किसानों का एकरेज बराबर बढ़ता चला जा रहा है। कुछ तो एकरेज बढ़ रहा है और कुछ खाद और सिंचाई आदि की सुविधा के कारण पैदावार हर साल बढ़ती जाती है। इसका नतीजा यह होता है कि गन्ना मिलों की कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है। गुड़ का जो सवाल है, वह यह है कि जब गुड़ महंगा होता है तो गन्ना गुड़ की तरफ ज्यादा चला जाता है, लेकिन जब वह सस्ता हो जाता है तो मिलों में गन्ना

ज्यादा आना शुरू हो जाता है और उस उक्त मिलों पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। इस साल पश्चिमी जिलों में मिलें ३१ मई तक बंद हो जायेंगी, लेकिन कुछ मिलें ऐसी जरूर रह जायंगी जो बाकी गन्ने को पेरने की कोशिश करेंगी और जून खत्म होने तक उस गन्ने की पेराई खत्म हो जायगी।

अब रहा सवाल यह कि उसकी तरफ से लापरवाही बरती जाती है और उसके बारे में वे हमें कुछ समझाना चाहते हैं, तो उसके लिये जब भी वे कुछ समझना चाहें या समझाना चाहें, मिनिस्टर साहब और मेरी तरफ से उनको दावत है कि जब भी कुछ दिक्कत महसूस करें वह कहें। उससे हमें खुशी होगी।

पर्चे बंटने की बात में यही होता है। हर किसान को जल्दी होती है कि पहले उसका गन्ना ले लिया जाय। इस जल्दी के कारण बड़ी दिक्कत होती है। होता यह है कि जो कैपेसिटी होती है उसी के लिहाज से परची दी जाती है। करप्शन भी होगा, उससे मैं इन्कार नहीं करता कि करप्शन नहीं है। माननीय गेंदासिंह जी ने एक कांकरोट मिसाल दी जिसमें जांच की गयी और उसमें सजा भी दी गयी। तो जब कभी इस किस्म की बातें सामने आती हैं तो उन पर जरूर खयाल किया जाता है। मगर यह कि जैसा पुराने जमाने में कंट्रोल का जमाना था तो हर शख्स जमा करने की कोशिश करता था---आजकल ही सीमेंट का मामला ले लीजिये, सीमेंट की कमी होने की वजह से हर जगह करप्शन की बास सुनाई देती है। इस सूरत में हर किसान को जल्दी रहती है कि उसका गन्ना पहले लिया जाय और यह जल्दी इसलिये होती है कि प्राइस को रिकवरी से लिंक कर दिया जाता है। इस साल भी ८ मई से प्राइस को रिकवरी के साथ लिंक कर दिया गया है। इस वजह से भी किसानों की ख्वाहिश रहती है कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी वे अपना गन्ना दे दें। और मिलों की भी ख्वाहिश रहती है, इसलिये कि उनको भी जल्दी हो जाती है कि पेराई बन्द हो जाती है तो उनको भी फायदा हो जाता है। मेरे खयाल से यह सही नहीं है कि यदि पेराई हो जाती है तो उससे चीनी मिल वालों को काफी फायदा हो जाता है।

यह बात भी उन्होंने कही कि इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो बराबर बदलता रहता है। बहरहाल, यदि कोई नुक्स हो तो वे हमको बतलावें, उसको दुरुस्त करने की कोशिश की जायगी और मैं समझता हूं कि इसमें उनका सहयोग हमें बराबर मिलता रहेगा। मैं से तो मैं यह समझता हूं कि इस साल हमारे यहां जो गन्ने का इन्तजाम हुआ है वह बहुत अच्छा और माकूल रहा।

मिलों के सिलसिले में यह कहा गया कि चाहे रिकवरी कम हो, लेकिन मिलें मिनिमम प्राइस देती रहें। मेरे ख्याल से यह बात बहुत सही नहीं है। इसलिये कि हमारे यहां की जो मिलें हैं उनको और जगहों की मिलों से मुकाबला भी करना पड़ता है। अगर उनका कास्ट आफ प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाय तो इस बात का अन्देशा है कि बहुत सी मिलें बन्द हो जायंगी या यहां से उठ कर कहीं दूसरी जगह चली जायंगी जैसा कि एकाध मिलों ने इसके लिये कोशिश भी की, लेकिन उनको इसकी इजाजत नहीं दी गयी। इसलिये प्राइस को रिकवरी से लिंक करने की बात कोई बहुत गलत नहीं है, बल्कि यह फेयर बात है। माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कई सवाल उठाये हैं उनका जवाब मैंने दे दिया है और यदि कोई माननीय सदस्य पूछेंगे तो उनका जवाब दिया जायगा।

श्री बंशीधर शुक्ल (जिला खीरी)---मैं लखीमपुर के बारे में पूछना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष---आप मेरी बिना इजाजत के न बोलें। यदि कोई माननीय सदस्य चाहें तो माननीय उद्योग मंत्री जी से इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री शिव प्रसाद नागर (जिला खीरी)---श्रीमन्, मैं पूछना चाहता हूं। गन्ने के पेराई के महीने का तात्पर्य किसी वर्ष की उस अवधि से है जो एक अक्तूबर से आरम्भ होकर ३० जून तक समाप्त हो, यानी ९ महीने का सीजन यह होता है.....

श्री उपाध्यक्ष---आप भाषण कर रहे हैं या प्रश्न पूछ रहे हैं ?

श्री शिवप्रसाद नागर---श्रीमन्, मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं कि इस ऐक्ट के मातहत ९ महीने का सीजन होता है और श्री बसन्त सिंह सेठ, केन कमिश्नर ने गन्ने की पर्चियों के साथ एक पर्ची चिपकायी है जिसमें लिखा हुआ है कि यदि किसी मिल के सुरक्षित क्षेत्र का बेसिक कोटा उस मिल की १८० दिन की पेराई शक्ति की सीमा से बढ़ जाता है तो प्रत्येक उत्पादक का बेसिक कोटा उसी अनुपात से कम कर दिया जायगा। तो मैं पूछना चाहता हूं कि १८० दिन की अवधि जो श्री बसन्त सिंह सेठ द्वारा निर्धारित की गयी है, वह सही है या जो इस ऐक्ट के अनुसार ९ महीने की अवधि निर्धारित की गयी है वह सही है ? जब ऐक्ट के अनुसार ९ महीने की अवधि निर्धारित कर दी गयी है तो फैक्टरी के चलाने वाले क्यों नहीं १ अक्तूबर से ३० जून तक अपने फैक्टरी को चलाते और अगर वे नहीं चलाते तो क्या आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष---प्रश्न इतना लम्बा नहीं होता ।

श्री शिवप्रसाद नागर---जब कि ऐक्ट में ३० जून तक की अवधि लिखी है कि ३० जून तक फैक्टरी चलाना जरूरी है और यह सीजन मान लिया गया है तो फिर उस सीजन को घटाया क्यों जाता है ? सिर्फ इसी का जवाब चाहता हूं। जब किसानों से कंट्रैक्ट बांड भरवाये जाते हैं और अगर तीस जून तक, जितने गन्ने का सट्टा होता है, उतना गन्ना पूरा सीजन भर में न कर सके तो उसमें पैनाल्टी ली जाती है।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रऊफ जाफरी---जो सीजन नौ महीने का है वह मेक्सिमम सीजन है। यह सवाल, कि अक्तूबर से नहीं चालू हो जाते, उसकी वजह यह है कि यहां अभी तक गन्ने की बोवाई काफी देर में होती है। अक्तूबर तक गन्ना पकता नहीं है और उस वक्त अगर उसको पेरा जाय तो उसकी रिकवरी काबिल इत्मीनान नहीं होती है। यही वजह है कि अक्तूबर में यहां शुरू नहीं किये जाते। ऐग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि अक्तूबर से वह बोवाई शुरू करने की स्कीम को चलाये और अगर वह चल गयी तो यह उम्मीद की जाती है कि न सिर्फ अक्तूबर से मिलों को चालू करा पायेंगे बल्कि यह भी होगा कि पर एकड़ यील्ड भी बढ़ जायगी और यह भी इंतजाम किया जा रहा है---अरली मेट्योर्ड वैराइटीज का भी उधर इंतजाम किया जा रहा है। अगर वह हो जाय तो उसमें इस बात की कोशिश की जायगी कि अक्तूबर से शुरू हो और उस वक्त नौ महीने की अवधि पूरी हो सकेगी।

दूसरा सवाल यह किया गया कि जब हम से बांड भराया जाता है, और पेनालिटी ली जाती है तो बाद में उसको कैसे घटा दिया जाता है। मेरे खयाल में एक कानफ्रेन्स हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि प्राइस को रिकवरी से लिंक कर दिया जाय उसके लिहाज से होता है और उसके मुताल्लिक़ ज्यादा इत्तला मेरे पास नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---कोई कान्फ्रेन्स नहीं हुई थी।

श्री रऊफ जाफरी---गेंदा सिंह जी को कहने का मौका हो गया कि वह बतला न पायेंगे, वह बात तो हो गयी। यह जरूर कायदे के मुताबिक हुआ होगा, यह मुझे इतमीनान है।

श्री बंशीधर शुक्ल---मेरे जिले लखीमपुर खीरी में एक करोड़ मन गन्ना खड़ा हुआ है, इसके लिये उद्योग मंत्री जी अब क्या कर रहे हैं? वर्ष सर के ऊपर है और इस समय यह दुर्दशा हो रही है। वह तो वही बता पायेंगे जो सट्टे में लिखा हुआ है, लेकिन यह सट्टा किस तरीके से किया गया है ?

श्री उपाध्यक्ष---फिर वादविवाद शुरू हो गया, प्रश्न साफ है। वह उसका जवाब दे देंगे, आप बैठिए। लखीमपुर में जो कहा गया कि एक करोड़ मन गन्ना खड़ा हुआ है वह सही है, या नहीं ?

श्री रऊफ जाफरी---यह सही नहीं है कि एक करोड़ मन गन्ना वहां खड़ा है।

श्री बंशीधर शुक्ल---आपको आंकड़े .....

श्री उपाध्यक्ष---शान्त रहिए।

श्री रऊफ जाफरी---खोरी में इस वक्त ४१ लाख ५० हजार मन गन्ने का अन्दाजा है जो वहां पर खड़ा है।

श्री बंशीधर शुक्ल---वह तो आंकड़े.....

श्री उपाध्यक्ष---माननीय वंशीधर जी, मैंने निवेदन किया कि बिना मेरी इजाजत के न बोला करिये।

उनका दूसरा प्रश्न है कि गन्ना खड़ा हुआ है उसके लिये सरकार क्या कर रही है, उसका उत्तर देना चाहते हैं ?

श्री रऊफ जाफरी---यही कोशिश की जायगी कि वहां की फैक्टरीज चलती रहें। १ करोड़ २३ लाख ५६ हजार मन गन्ना इस दफा पेरा जा चुका है, और ४१ लाख मन बाकी है। अभी मई का महीना बाकी है, जून बाकी है।

श्री उपाध्यक्ष---(श्री बंशीधर शुक्ल के खड़े होकर कुछ कहने पर) माननीय बंशीधर कृपया आप बैठिए। आप शांत रहिये।

श्री गेंदासिंह---एक बात उद्योग मंत्री जी बतला दें, उन्होंने कहा कि गन्ना पका नहीं होता है इस वजह से अक्तूबर में मिलें नहीं चलतीं। मगर जो पेड़ी का गन्ना होता है और लाखों और करोड़ों मन होता है, और अक्तूबर की सोइंग भी है या कुछ वेराइटीज ऐसी भी होती हैं जो अक्तूबर में पक गयी होती हैं, उस गन्ने को क्यों नहीं लिया जाता, उस गन्ने को चलाने की क्यों नहीं कोशिश की जाती है ? और जरा इसको भी ध्यान में रखें कि जिन्होंने दिसम्बर में चलायी है तो उन फ़ैक्ट्रियों को कम नुकसान पड़ा और इन फैक्ट्रियों को क्यों नहीं नुकसान पड़ा ? तीसरी बात यह है कि क्या यह बात सही है कि नहीं कि केन सेस की रकम में छूट दे कर इन फैक्ट्रीज को चलाने के लिये शुगर बोर्ड ने फैसला किया था उसको क्यों नहीं यू० पी० की सरकार ने किया ?

श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---मैं व्यवस्था चाहता हूं। यह प्रश्न नहीं हो रहे हैं, भाषण हो रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष---मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन कर दिया है कि वह संक्षिप्त प्रश्न पूछें जिससे उत्तर देने में आसानी हो।

श्री रऊफ जाफरी---माननीय गेंदासिंह जी ने जो सवाल किया वह यह था कि पेड़ी का गन्ना पक जाता है उसको अक्तूबर से पेरवाने की कोशिश क्यों नहीं की जाती ? अगर अब तक ऐसा नहीं हुआ है तो कोशिश की जायगी। इस दफ़ा यही बहुत कामयाबी समझी जाती है कि जहां पहले एक मिल ४ नवम्बर से चालू होती थी अब १६ अक्तूबर में चालू की गयीं और कोशिश की जायगी कि अक्तूबर से चलें।

दूसरा यह सवाल है कि सेस की रकम में छूट देकर के क्यों नहीं गवर्नमेंट करती ? ऐसा किया गया है। जैसा मैंने बतलाया ४ नवम्बर से ले कर ११ नवम्बर तक जो गन्ना पेरा गया उसमें ५ आना फ़ैक्ट्रीज को छूट दी गयी, १ आना दाम में से, दो आना सेस में से और दो आना भारत सरकार की ओर से जो ड्यूटी लगती थी उस में से छूट दी गयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो रिकवरी के ऊपर किसानों को गन्ने की कीमत सिर्फ उसी समय में दिलायी जाती है जब गन्ने की रिकवरी कम होती है, तो जब रिकवरी ज्यादा होती है तो ज्यादा कीमत क्यों नहीं दिलायी जाती ?

श्री रऊफ जाफरी---गन्ने की रिकवरी यहां और स्टेट्स के मुकाबले में कम ही है, ज्यादा होती नहीं।

श्री सुल्तान आलम खां (जिला फर्रुखाबाद)---क्या सरकार को यह मालूम है कि गन्ने के मामले में सब से ज्यादा दिक्कत और तकलीफ उन जगहों में होती है जो ऐसाइन्ड एरियाज कहलाते हैं। उनमें जो गन्ना होता है उसकी मिकदार बिलकुल अनसर्टेन होती है और उसका नतीजा यह होता है कि लोग गन्ना काफ़ी मिकदार में बो लेते हैं और मालूम हुआ कि उनका गन्ना इतना लिया जायगा लेकिन कम गन्ना लिया जाता है और काफी इससे लोगों को नुक्सान होता है। क्या सरकार ऐसाइन्ड एरियाज के मुताल्लिक अपने कानून में कोई तरमीम करेगी, ऐसी तरमीम कि जिससे यह बता दिया जाय कि इतना ज्यादा से ज्यादा गन्ना लिया जाने वाला है ताकि उसी मिकदार में लिया जाय। और ठेकेदारी का सिस्टम खत्म कर के फ़ैक्ट्रीज की तरफ से इंतजाम होना चाहिये कि वही गन्ना वहां से खरीदा करें।

श्री रऊफ जाफरी---जहां तक इसका सवाल है कि ज्यादा से ज्यादा गन्ना लिया जाय, फैक्ट्रीज भी कोशिश करती हैं और सरकार भी करती है और आइन्दा भी बराबर करती रहेगी। जैसा मैंने पहले कहा, असल में हमारी दिक्कत यह है कि गन्ने की पैदावार भी बढ़ती जाती है और एकरेज भी बढ़ता जाता है .....

श्री सुल्तान आलम खां---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। मुझे माफ़ किया जाय मैंने प्वाइंट आफ आर्डर इसलिये उठाया, क्योंकि वक्त कम है। मैंने जो बात कही वह सिर्फ ऐसाइंड एरियाज के मुताल्लिक कही है। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उसी के मुताल्लिक कुछ रोशनी डालें।

श्री रऊफ जाफरी ---मैं उसी पर कह रहा हूं। जितना वहां होता है उसको पेरने की कोशिश की जाती है। यह जरूर है कि हमारे आदमी जो सर्वे करने जाते हैं कभी-कभी उनका गलत सर्वे हो जाता है, वह कुछ ऐस्टीमेंट को लो कर देते हैं। इसके मुताल्लिक़ देखा जा रहा है और कई आदमियों को सजा भी दी जा चुकी है और कोशिश की जाती है कि जहां तक हो सके सही अन्दाज किया जाय। और पेरवाने का जो सिलसिला है वह अब की दफ़ा ऐसा होता रहा है कि जब कभी....

एक सदस्य---मैं प्रस्ताव करता हूं कि समय १० मिनट और बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---थोड़ा सा समय है, अब आप जल्दी खत्म करें।

श्री रऊफ जाफरी---तो यह कोशिश होती रही है कि मालूम हुआ किसी फैक्ट्री में जो ऐसाइन्ड और रिजर्व एरियाज हैं उनमें भी यह मालूम हुआ कि वह पूरा नहीं पेर सकती हैं तो और फ़ैक्ट्रियों को जिनकी कैपिसिटी ज्यादा होती है उन में भेजवाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि अब की दफ़ा अक्सर मिलें जो हैं वह सब गन्ने पेर करके मई में बन्द हो जायंगी। चन्द ऐसी बचेंगी कि जिनको जून में चलना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष---अब इस विषय पर वादविवाद समाप्त होगा और कानपुर मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में माननीय त्रिलोकी सिंह जी के प्रश्नों के विषय पर वाद-विवाद जारी होगा।

कानपुर मेडिकल कालेज की नियुक्तियों से संबंधित ३० अप्रैल, १९५७ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न ३ के विषय पर विवाद

श्री त्रिलोकी सिंह (जिला लखनऊ)—बैठे-बैठे कुछ अर्ज करने की इजाजत चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—जी हां।

श्री त्रिलोकी सिंह—उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन जो प्रश्न मैंने यह जानने के लिये किया था कि कानपुर मेडिकल कालेज में नियुक्तियां किस प्रकार की गयीं उससे चार बातें पैदा होती हैं।

श्री उपाध्यक्ष—मैं देखता हूं कि सदन में कुछ अशान्ति है। कृपया शान्ति कायम करें ताकि माननीय वक्ता को बोलने की सुविधा प्राप्त हो सके।

श्री त्रिलोकी सिंह—एक तो यह कि पब्लिक सर्विस कमीशन के सुपुर्द यह नियुक्तियां क्यों नहीं की गयीं? मान्यवर, भारत के संविधान के अनुसार और जो उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्वयं पब्लिक सर्विस कमीशन के सिलसिले में नियम बनाये हैं उनमें साफ साफ यह लिखा हुआ है कि १२० रुपये मासिक से ऊंचे वेतन की जितनी भी नियुक्तियां होंगी, पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा उनकी सिफारिश करायी जायगी। यह जितनी नियुक्तियां कानपुर मेडिकल कालेज में की गयीं उन सब का वेतन १२० नहीं बल्कि २५० से ज्यादा है। तो क्यों वह पब्लिक सर्विस कमीशन के पास नहीं भेजी गयीं? इस सिलसिले में श्रीमन्, मुझे यह भी मालूम हुआ, माननीय मंत्री जी उसको पुष्टि करेंगे कि पब्लिक सर्विस कमीशन से यह इच्छा सरकार ने की थी कि वह अपना एक नुमाइन्दा सरकारी बोर्ड के साथ बैठने के लिये भेज दें जिसे पब्लिक सर्विस कमीशन ने स्वीकार नहीं किया। यह भी श्रीमन्, सभी को मालूम होगा कि कानपुर मेडिकल कालेज जिसके बारे में दावा यह किया जाता है कि वह एशिया का सब से बड़ा मेडिकल कालेज होगा, उसकी स्थापना सन् ५५ में की गयी थी और उस समय यह साफ साफ कहा गया था कि दो साल तक उस मेडिकल कालेज के विद्यार्थी लखनऊ मेडिकल कालेज में पढ़ेंगे। सन् ५७ के जुलाई में वह कानपुर मेडिकल कालेज में पढ़ेंगे और उनको पढ़ाने के लिये अध्यापकों की नियुक्तियां हो जायंगी। यह नियुक्तियां तो ऐसी नहीं थी कि जिनका ज्ञान सरकार को नहीं था या ऐसी थीं कि जिनके तुरन्त न करने से सरकार का या देश का कोई घाटा होने जा रहा था बल्कि इसका ज्ञान बहुत पहले से था। लेकिन उस दिन सरकार की ओर से यह कहा गया था कि कुछ जल्दी थी इसलिये उन्हें किया गया। तो जल्दी की बात नहीं थी। दो साल पूर्व से इसकी इत्तिला थी। अब मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि क्यों सरकार ने असाधारण जल्दी बरती।

माननीय मंत्री यदि मेरी सूचना ग़लत हो तो उसे ठीक करेंगे और जरा ध्यानपूर्वक सुनेंगे क्योंकि जो नियुक्तियां की गयीं हैं मैं उनके नाम लेने जा रहा हूं। मेडिसिन के लिये एक डाक्टर बी० एल० अग्रवाल की नियुक्ति रीडर के स्थान पर की गयी। विज्ञापन में साफ-साफ लिखा हुआ था कि रीडर के स्थान पर वही नियुक्त किया जायगा कि जो बड़ा अनुभवी होगा। जिसे कम से कम तीन साल का एक्सपीरियेंस होगा। इन सज्जन को टीचिंग एक्सपीरियेंस बिलकुल नहीं है। यह पी० एम० एस० के डाक्टर थे और ऐसे ऐसे डाक्टरों ने भी उसमें दरख्वास्तें दी थीं जैसे डाक्टर जैन हैं जो लन्दन कालेज के एडिनबरा कालेज के एम० आर० सी० पी० हैं, एम० डी० भी हैं, जिनको टीचिंग एक्स्पीरियेंस भी है उनको नहीं लिया गया। एक बड़े अचम्भे की बात है कि स्थान दो ऐडवर्टाइज किये गये और नियुक्तियां चार की गयीं। माननीय

[श्री त्रिलोकी सिंह]

मंत्री उनके नाम जान लें। डाक्टर के० बी० भाटिया, इन सज्जन को टीचिंग एक्सपीरियेंस एक दिन का भी नहीं है। तीन साल विलायत रहे वहां कोई दर्जा पास नहीं कर सके, वापस चले आये, लेकिन कानपुर मेडिकल कालेज में लेक्चरर नियुक्त कर दिये गये और जिस बोर्ड ने नियुक्त किया उसमें उनके पिता जी भी इत्तफाक से मेम्बर थे। डाक्टर आर० एन० मिश्रा--इनको एक दिन का टीचिंग एक्सपीरियेंस नहीं है। यह अभी लन्दन में हैं। लेकिन बिला इंटरव्यू के इनको नियुक्त कर दिया गया। डाक्टर धर्मपाल और डाक्टर सिक्का। दो स्थान थे चार नियुक्तियां की गयीं। चार में से एक को भी टीचिंग का एक्सपीरियंस नहीं है और एक सज्जन बिना इंटरव्यू के नियुक्त कर दिये गये।

यह आदरणीय सदन इस बात पर गौर करे कि एक जगह के लिये एडवर्टाइज किया गया जो हड्डी के मामले में एक्सपर्ट हो, लेकिन नियुक्ति होती है डा० टी० एन० गुप्त की जो जनरल सर्जरी में एम० एस० हैं। हड्डी वालों ने एप्लाई किया उनको नियुक्त नहीं किया गया। इसी प्रकार प्रोफेसर आफ गायनाकालोजिस्ट के स्थान के लिये एडवर्टाइजमेंट किया गया। मशहूर और मारूफ डाक्टर कुट्टी ने प्रोफेसर आफ गायनाकालोजिस्ट के लिये एप्लाई किया लेकिन रीडर की नियुक्ति हुई डाक्टर सुनन्दा बाई की, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। इश्तहार में निकाला गया था कि तीन साल का रीडर का तजुर्बा पढ़ाने का होना चाहिये। इस बात पर भी गौर फरमाया जाय। एक डाक्टर भटनागर साहब नियुक्त हो गये। उनको एक दिन का भी टीचिंग एक्सीपीरियंस नहीं है और डाक्टर दुबे मशहूर और मारूफ एम० डी०, एफ० आर० सी० एस० हैं उनको नियुक्त नहीं किया गया।

मेरे पास पूरी सूची है जिनकी नियुक्तियां की गयीं और जिनकी नियुक्तियां नहीं की गयीं। लेकिन मिसाल के तौर पर ये नाम आदरणीय सदन के सामने पेश करता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तीस मिनट के अन्दर वाद-विवाद खत्म हो जायगा। इसलिये प्रश्न यह है कि जो नियुक्तियां पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा होनी चाहिये थीं वे क्यों सरकार ने स्वयं कर ली? कोई जल्दी नहीं थी। दो साल पूर्व से तय था कि कानपुर मेडिकल कालेज खुल गया है और यह भी तय था कि जुलाई से क्लासेज खुलेंगे और उसके लिये स्थानों का एप्वाइंमेंट किया जायगा।

दूसरी बात, श्रीमन्, जैसा मैंने निवेदन किया, ये सारी नियुक्तियां मार्च के महीने में की गयीं और ऐसे लोग जिनको काम जुलाई से शुरू करना था उनकी तकर्रुरी का परवाना अप्रैल में दे दिया गया और यह और भी दुख की बात है कि यह सब इलेक्शन के समय में हुआ जब कि साधारण तौर पर और काम नहीं हुआ करते। फिर भी ऐसे मंत्री जो स्तीफा दे चुके हों--यह भी गौर करने की बात है कि उस समय के स्वास्थ्य मंत्री ने, अपने पद से स्तीफा दे दिया था--उनकी इन नियुक्तियों में बड़ी दिलचस्पी कायम रही ताकि ये हो जायं। तो माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करें क्यों यह असाधारण जल्दी इस काम में की गयी, क्यों पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ये नियुक्तियां नहीं भेजी गयीं? क्यों ऐसे लोगों की नियुक्तियां की गयीं जो नियम के अनुसार योग्यता नहीं रखते थे। क्यों ऐसे लोगों की नियुक्ति की गयीं जो इंटरव्यू में नहीं बुलाये गये? ऐसे दो आदमियों की नियुक्ति की गयी जिनके स्थान के बारे में इश्तहार में नहीं छपा था और एक सज्जन की ऐसी नियुक्ति की गयी जिनके पिता उस सेलेक्शन बोर्ड में स्वयं मौजूद थे।

कृषि मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे मित्र श्री त्रिलोकी सिंह जी ने इस विवाद के प्रश्न को उठा कर मुझे यह मौका दिया कि किन परिस्थियों में ये तकर्रुरियां हुई हैं। उसके सम्बन्ध में सदन के माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये स्पष्टीकरण दे सकूं। जो नोटिस मुझे श्री त्रिलोकी सिंह जी का दिया हुआ मिला है उस में सब से पहला प्रश्न यह है कि अस्थायी नियुक्तियां की गयीं, बिना पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिश के

नियुक्तियां स्वयं सरकार कर सकती है या नहीं ? सब से बड़ा प्रश्न महत्व का यही है और इसी के आधार पर बकिया जो सवालात उस नोटिस में दिये गये हैं, उठते हैं और इस खयाल को लेकर हमारे मित्र ने इस सदन के सामने यह कहना ठीक समझा कि चूंकि परमानेंट अप्वाइंट मेंट्स हैं, सरकार ने क्यों इन तकर्ररियों को बिला पब्लिक सर्विस कमीशन की ....

श्री त्रिलोकीसिंह—गलत है, वे प्रोबेशनर्स हैं ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—"अस्थायी" के माने मैं टेम्पोरेरी समझता हूं और "स्थायी" के माने परमानेंट समझता हूं—जो आम माने हिन्दी के हैं। अगर उर्दू जबान होती तो आपकी राय की पाबन्दी जरूर होती, लेकिन हमारी हिन्दी मातृभाषा है ।

श्री त्रिलोकीसिंह—जितने परमानेंट अप्वाइंटमेंट्स होते हैं वह पहले एक साल के प्रोबेशन पर होते हैं ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—Hear & listen to me । तो हमारे मित्र ने इस आधार पर यह विवाद उठाया। मैं अपने मित्र की जानकारी के लिए कहना चाहता हूं कि यह खयाल मिसअंडरस्टैंडिंग पर मबनी ह । ये जितनी जगहें हैं, सब एक साल के लिए टेम्पोरेरी हैं । इसमें कोई जगह मुस्तकिल नहीं है, जैसा कि हमारे यहां आर्डर दिया गया ।

श्री त्रिलोकीसिंह—एक साल का प्रोबेशन नहीं है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन—जी नहीं, टेम्पोरेरी सब । तो जब टेम्पोरेरी हैं तब सवाल यह पैदा होता है कि आया सरकार को तकर्ररी इन जगहों पर करने का अधिकार है या नहीं । यह बड़ा प्रश्न है जो हमारे दोस्त ने उठाया और इस सम्बन्ध में यह भी बता देना चाहता हूं कि कानपुर मेडिकल कालिज ऐसा कालिज है जिसको यूनिवर्सिटी नहीं मेनटेन करेगी, बल्कि सरकार मेनटेन करेगी और यूनिवर्सिटी का वह एक कांस्टीट्युएंट कालिज होगा । ऐसे कालिज में मुलाजमान की तकर्ररी के सम्बन्ध में वही रूल्स हैं जो कि सरकारी मुलाजमान की तकर्ररी के हैं । उसके सम्बन्ध में भी क्लियर प्रावीजन मौजूद है । यदि आप इजाजत दें तो मैं पढ़ दूं ।

श्री उपाध्यक्ष—यदि आवश्यक समझते हैं तो पढ़ दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह बिसेन—

"The teachers of the King George's Medical College shall be appointed in the manner prescribed for the teachers of the University. Teachers of the other two Constituent Colleges, viz. Medical College, Kanpur and State College of Ayurved, Lucknow, maintained by the State Government shall be appointed in the manner provided in the Constitution under rules framed by the State Government for the appointment of servants of the State Government of corresponding status."

अब इस नियम के अनुसार सरकार को अप्वाइंट करने का अधिकार है । अब सवाल यह है कि जो तकर्ररियां होने की हैं टेम्पोरेरी बेसिस पर उसका अख्तियार हमको है या नहीं उस सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से यह जो एक रूल है वह पढ़ देना चाहता हूं—

"Notwithstanding anything contained in regulations 3 and 4, it shall not be necessary for the Commission to be consulted in the following cases, namely—

(a) When a temporary or officiating appointment is to be made by direct recruitment, by the Governor or an authority other than the Governor

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

to a permanent or temporary post which falls within the purview of the Commission, if the person to be appointed is not likely to hold the post for a period of more than one year ; provided that the person thus appointed shall not hold the post in question for a total continuous period of more than one year without the Commission being consulted."

तो इस नियम की रू से उन केसेज में भी जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर किये जाने चाहिये थे उनमें अगर एक साल के लिए टेम्पोरेरी बेसिस पर तकर्रुरी करते हैं, ख्वाह परमानेंट हो या टेम्पोरेरी, तो वह सरकार कर सकती है ।

श्री त्रिलोकी सिंह---यह कहां लिखा हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---I can only explain, I can not make you understand. मैं समझा सकता हूं, समझने के लिए अक्ल नहीं दे सकता । न समझें तो मजबूरी है । हमारे अन्य माननीय सदस्यों ने समझा, इसलिए उन्होंने कोई एतराज नहीं किया ।

श्री त्रिलोकी सिंह---आप समझे नहीं.....

श्री हुकुमसिंह विसेन---मैं बिलकुल खामोश सुनता रहा, जब आप फरमाते रहे ।

इस नियम की रू से हम तकर्रुरियां कर सकते हैं । अब सवाल हमारे सामने यह दरपेश है कि हमने किया क्यों नहीं । एक सवाल यह भी रखा गया कि इतनी जल्दी क्यों की गयी । एक जो मिनिस्टर अब यहां नहीं है उनके सम्बन्ध में भी कहा गया । मैं उस बात में जाना नहीं चाहता लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि दो वर्ष हुए जब यह निर्णय हुआ था कि कानपुर में एक कालेज खोला जायगा और यह भी तय हुआ था कि दो वर्ष तक लखनऊ मेडिकल कालेज में जो हमारे कानपुर के लड़के पढ़ते हैं उनका ऐडमिशन होगा । उनको यह अधिकार दिया गया था कि वह जैसे यूनिवर्सिटी में तकर्रुरी करते हैं टेम्पोरेरी केसेज में वे तकर्रुरी कर लें । उन्होंने किया । उसके बाद जब कालेज के बनने का सवाल तय हो गया, कानपुर में, तो उसी के साथ-साथ और बहुत सी चीजें जो जरूरी हुआ करती हैं, वह आयीं । यह नहीं होता कि कह दिया कि "लेट देअर बी लाइट ऐंड दि लाइट इज देअर ।" साइट का सवाल सामने था कि कहां मिले । उसके लिये काफी कोशिश करनी पड़ी । उसमें काफी दिक्कतें और कठिनाइयां सामने आयीं । जब साइट तय हुई तो उसका प्लान तैयार हुआ । इतने बड़े कालेज का प्लान, जिसके मुताल्लिक हमारे मित्र खुद कहते हैं कि एशिया में सबसे बड़ा कालेज होगा और जब इतना बड़ा कालेज होगा तब उसके प्लान में काफी समय लगना ही चाहिये था यह नहीं कि नजरी नक्शा खींचा गया और काम तमाम हो गया । इतने बड़े काम में वक्त लगता है ।

फिर इसमें समय लगा कि हमने वहां एक प्रिंसिपल मुकर्रर किया और उनको यह हिदायत दी गयी कि आप को जितने स्टाफ की रिक्वायरमेंट हो उस सब की एक फेहरिस्त जितनी जल्दी हो सके वह आप तैयार करके भेज दें । उन्होंने फेहरिस्त हमको १२ दिसम्बर के करीब भेजी और उसके बाद उन्होंने चन्द कारणों से इस्तीफा दे दिया और चले गये । उसके बाद दूसरा प्रिंसिपल हमें मुकर्रर करना पड़ा और उसको हमने ५ जनवरी, १९५७ को मुकर्रर किया । उनको यह हिदायत की गयी कि आप इस रिक्वायरमेंट की फेहरिस्त को देखिये और अपनी रिपोर्ट फाइनल करके दीजिये । जाहिर है कि उनको कुछ वक्त लेना चाहिये था । इतने बड़े काम के लिये उनसे कहा जाता कि तुम डिटो करके भेज दो तो यह बड़ा अनुचित होता । उन्होंने वक्त लिया और उस लिस्ट को रिवाइज किया जो उनके प्रेडेसेसर ने बनाकर

के तैयार किया था और उसमें कुछ तरमीमें भी कीं। उसके बाद सरकार ने फाइनेंस डिपार्टमेंट को कंसल्ट किया। हर जगह के लिये बिला फाइनेंस डिपार्टमेंट के कंसल्टटेशन के तकर्रुरी करना एक गलत सी बात होती है। उसमें भी काफी वक्त लगा। गरजे कि हम उसको जनवरी के आखिर तक फाइनेलाइज कर सके।

इसक बाद लखनऊ मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल ने कहा कि थर्ड इयर कोर्स के लड़कों को पढ़ाने के लिये कालेज में जगह नहीं है। इसलिये हमने तय किया कि हमें जल्दी करनी है और कानपुर में नया स्टाफ हमें जल्द एप्वाइंट करना है और बिल्डिंग भी जल्दी बनानी है। लिहाजा बिल्डिंग के लिये हमें काफी तदारुक उठानी पड़ी है। बहुत कुछ बन चुकी है और बहुत कुछ जुलाई तक बन जायगी।

अब इसकी फिक्र हुई कि मार्च तक वहां स्टाफ हमको मिल जाना चाहिये। एक बात और मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं। उस दिन मैंने जवाब दिया था कि कुछ जुलाई में ज्वाइन करेंगे और कुछ इसी वक्त। जुलाई में जो बात मैंने कही थी वह ठीक नहीं थी और तरमीम के लिये नोटिस मैंने भेज रखी है कि जितनी तकर्रुरी होनी चाहिये वह मार्च में ही होनी चाहिये। जब हमने समझ लिया कि मार्च में ही तकर्रुरी होनी चाहिये तब हमने तय किया कि अगर इसे पब्लिक सर्विस कमीशन के पास ले जाते हैं, उस लिस्ट को भेजते हैं और हर एक की क्वालिफिकेशन को उनका मशविरा करके फिक्स करते हैं तो उसमें काफी समय लगता है और ऐसा करने में जनवरी के बाद मार्च में किसी तरह से भी तकर्रुरी नहीं हो सकती है। यह दिक्कत ह। अगर हम तकर्रुरी मार्च में नहीं करते तो जुलाई में काम शुरू करना हमारे लिये असंभव था। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन जुलाई के करीब तकर्रुरी करता तो हर विभाग को आर्गेनाइज करना, सेट अप करना, हो नहीं सकता था और जुलाई में हमारा काम शुरू नहीं हो सकता था। इसलिये यह मुनासिब समझा गया कि तकर्रुरी इसी समय कर दी जायं। वहां कोई मोटिव नहीं था, कोई बात नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि तकर्रुरी के बाद हम उनको जल्दी से जल्दी पब्लिक सर्विस कमीशन को रेफर करें। वहां उनका ओपेन कंपीटीशन होगा, एडवर्टाइजमेंट होगा और सारे सूबे के लोग उस कंपीटीशन में भाग ले सकेंगे।

उन जरूरियात को पूरा करने के लिये मजबूरी हो गयी थी कि हम जल्दी करें और इस काम के लिये एक डिपार्टमेंटल कमेटी मुकर्रर की गयी। जो अच्छे से अच्छे आदमी हम को मिल सके, उस कमेटी में हमने रखे। हमने उसमें प्रिंसिपल, मेडिकल कालेज, प्रिंसिपल, कानपुर कालेज, डाक्टर बी० बी० भाटिया, जो मेडिकल कालेज के एक खास डाक्टर हैं, मिश्रा जी, अपने सेक्रेटरी, एडीशनल सेक्रेटरी, डाइरेक्टर और एडीशनल डाइरेक्टर को रखा। जितने माहरीन थे इस मामले के उन सब को रखा और उन लोगों ने अच्छे से अच्छे आदमियों को चुना। सारे देश के खास-खास अखबारों में एडवर्टाइज हुआ, अर्जियां आईं और उसके बाद उनको स्क्रूटनाइज करके लोगों को इंटरव्यू के लिये बुलाया गया। हां, संभव है कि एक साहब जो इंग्लैंड में आज हैं वह न आये हों। मैं इससे इत्तफाक करता हूं लेकिन इन तमाम बातों को देख कर उस हाई पावर कमेटी ने सेलेक्शन करके इनको हमारे पास भेजा। हमें जरूरत थी और वक्त बहुत कम था। हमने अच्छे से अच्छे आदमी उस कमेटी में रखे थे। सरकार इस प्रेजेम्शन पर नहीं चलती है कि बड़े से बड़ा आदमी भी बेईमानी करेगा और अगर कोई शख्स किसी कमेटी में हो तो उसके लड़के बच्चे सब उस इंटरव्यू में जाने से डिस्क्वालिफाई कर दिये जायं और सेलेक्शन में न आयें, ऐसा रूल बनाना, मैं कहना चाहता हूं कि बड़ा खतरनाक होगा। वह तो इत्तफाक था कि वह थे और उनका लड़का आया। सबने सलाह की और उसका सेलेक्शन किया गया।

श्री प्रताप सिंह (जिला नैनीताल)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान दफा ४२ की तरफ दिलाना चाहता हूं कि जिसमें लिखा हुआ है कि मंत्री जो संक्षेप में अपना विवरण दें ताकि हमको भी पूछने का मौका हो ।

श्री हुकुमसिंह विसेंन---अगर आप को मेरी बात पसंद नहीं तो मैं बहुत कम बोलूंगा, लेकिन मामला बड़ा है इसलिये लम्बी बात कहनी पड़ी । आप समझने की कोशिश कीजिये सब टु दि प्वाइंट है । रेलीवेंसी चेप्टर बहुत बड़ा है ।

मुझे यह भी मालूम है कि जिस वक्त बी० बी० भाटिया जी के लड़के का सवाल आया तो यह मेरी जानकारी में है कि उसके डेलीबरेशन्स में उन्होंने भाग नहीं लिया । ही वेंट आउट आफ दि रूम । तो इस तरह से चुनाव हुआ और चुनाव होकर वह लोग आये । मैंने जरूरत भी बताई और जो एक्स्ट्रा-आर्डिनरी हरी की बात कही जाती है उस बारे में भी बतलाया इससे एलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है कि जो हमारे भाई त्रिलोकी सिंह जी के दिमाग में हमेशा चक्कर लगाया करता है । इसका उससे कोई वास्ता नहीं है । जिस वक्त यह बात तय हो गयी कि यह क्वैश्चन आफ अप्वाइन्टमेंट टैम्पोरेरी पोस्ट्स का है तो सारा स्ट्रक्चटर, सारी बुनियाद ही खत्म हो जाती है । उस समय हमारे मित्र की सारी आर्गूमेंट्स जमीन पर गिर जाती हैं और उसमें कोई वजह नहीं रहता है जिन जगहों के लिये विज्ञापन दिया गया था उनमें जितने लोग आये थे उनमें एक भी मौजूं साबित नहीं हुआ । लिहाजा काम जरूरी था तो उन दोनों पोस्ट्स पर हमने रीडर बना कर उनको रखा बजाय प्रोफ़ेसर के । फिर भी यह सारा मामला पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने जायगा और वह नया चुनाव करेगा । जिन को लेना होगा वह लेगा और जिनको नहीं लेना होगा वह नहीं लेगा । इनको उन जगहों पर कमीशन रखे तो अच्छा है और न रखे तो अच्छा है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैं बड़ा मशकूर हूं कि माननीय मन्त्री जी ने एविडेन्स ऐक्ट का भी जिक्र किया । यह भी कहा कि इन दो आदमियों को फालतू इसलिये मुकर्रर किया गया कि कोई प्रोफेसर के लिये मौजूं नहीं था । मैं सदन की इत्तिला के लिये यह निवेदन करूंगा कि श्री के० एम० गौड़ प्रोफेसर मेडिसिन मुकर्रर किये गये हैं । मेरा जो प्रश्न था उसको माननीय मन्त्री जी ने आन्सर नहीं किया । एक प्रश्न तो यह था कि जो विज्ञापन सरकार ने किया तो उस विज्ञापन के खिलाफ क्यों नियुक्तियां की गयीं ?

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि श्री त्रिलोकीसिंह जी के प्रश्न पर माननीय मन्त्री जी ने उत्तर देने में कुछ अधिक समय लिया । इस समय २८ मिनट हो चुके हैं और केवल २ मिनट बाकी हैं । अब और सदस्य भी कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो सदन यदि बैठना चाहता है तो कुछ समय और बढ़ाया जाय अन्यथा इसको यहीं समाप्त कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष---इन प्रश्नों के लिये आधे घंटे का समय नियत है । मैं इस बात की व्यवस्था कर देता कि कुछ समय बढ़ा दिया जाय यदि सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव होता । किन्तु माननीय मन्त्री जी को एतराज है इसलिये अब यह नहीं हो सकता ।

श्री त्रिलोकीसिंह---श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि सरकार की तरफ से जो विज्ञापन निकाला गया उसके खिलाफ नियुक्तियां क्यों की गयीं, माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया ?

दूसरी बात यह कि माननीय मन्त्री जी ने इमारत का जिक्र कर दिया कि ३, ४ महीने में इतनी बड़ी इमारत वहां पर बन कर खड़ी हो गयी । मैं भी वहां पर गया हूं और मैंने

भी उसको देखा है। तीन महीने के अन्दर वहां पर ऐसी इमारत नहीं खड़ी हो गयी है जिसका इन्तजाम सरकार को करना पड़े।

दूसरी बात यह है कि माननीय मन्त्री ने उत्तर इस बात का नहीं दिया कि यह अप्वाइन्टमेंट प्रोबेशन पर किये गये हैं या टेम्पोरेरी किये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—Temporary appointment for one year.

(इसके बाद सदन ६ बजे अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ;
१८ वैशाख, शकाब्द १८७९ (८ मई, १९५७ ई०)।

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान परिषद

पी० एस० यू० पी० ए० पी० ४२ एल० ए०—१९५७—७९६।